योजना

वर्ष : 62
अंक : 08

अगस्त 2018
श्रावण-भाद्रपद, शक संवत् 1940

मूल्य : ₹ 22
पृष्ठ : 60

वेबसाइट www.yojana.gov.in

प्रधान संपादक: दीपिका कच्छल
वरिष्ठ संपादक: कुलश्रेष्ठ कमल

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971

संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी के मीणा
संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन):
गोपाल के एन चौधरी
आवरण: गजानन पी धोपे

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।
योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।
योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।
योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना मंगवाने की दरें
एक वर्ष: ₹ 230, दो वर्ष: ₹ 430, तीन वर्ष: ₹ 610

सदस्यता, नवीकरण, पत्रिका न मिलने की शिकायतों, पुराने अंक मंगवाने के लिए pdjucir@gmail.com पर ईमेल करें या संपर्क करें- दूरभाष: 011-24367453

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्रों पर भी संपर्क किया जा सकता है। साथ ही हमारी वेबसाइट तथा योजना हिन्दी के फेसबुक पेज http://www.facebook.com/yojanahindi पर भी संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें-

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग प्रकाशन विभाग,
कमरा सं. 48-53 भूतल, सूचना भवन,
सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

इस अंक में

संपादकीय 7

सबका सम्मान सबका उत्थान
नीलम साहनी 9

विशेष आलेख

वित्तीय समावेश से वंचित वर्गों का सशक्तीकरण
मुनिराजू एस बी 17

उच्च शिक्षा से सामाजिक बदलाव
एस श्रीनिवास राव
सुंदरेशा डी एस 23

फोकस

उद्यमिता विकास से कमजोर और वंचितों का सशक्तीकरण
सुनील शुक्ला 27

दिव्यांगजनों के सामाजिक सशक्तीकरण का सूत्र
संध्या लिमये 33

आत्मसम्मान और गरिमामय जीवन की अपेक्षा
शीलू श्रीनिवासन 37

नए समाज की बुनियाद पंचायती राज
पार्थिव कुमार 45

क्या आप जानते हैं? 49

घर से बाहर तक सुरक्षा के कानून
अनुषा पुनिया
रीटा गोयल 55

विकास पथ 58

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नयी दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	आकाश दर्शन कॉम्प्लेक्स, भाई काकानगर, थलतेज	380052	079-26588669

www.publicationsdivision.nic.in
@DPD_India

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

आपकी राय

किसानों के कल्याण में निहित है देश की समृद्धि

योजना के जुलाई अंक में किसानों के कल्याण से संबंधित विभिन्न सरकारी प्रयासों और योजनाओं की जानकारी दी गई है। देश के लाखों किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं फिर भी उनका कल्याण लंबे अरसे से दरकिनार रहा। केंद्र में नई सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का अपना संकल्प उजागर किया है। उसे पूरा करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने सात बिंदुओं की रणनीति बनाई है, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने के विभिन्न महत्वपूर्ण और संभावित घटक शामिल किए गए हैं।

भारत सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए गंभीर है और इसके लिए वह उचित नीतियां बनाने और व्यवहारिक कार्यक्रम लागू करने और उन्हीं के अनुरूप बजट आवंटन करने में जुटी है लेकिन उसी भूमि से अधिक कृषि आय प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों, सहकारी संस्थाओं, किसान संगठनों, सहकारी संस्थाओं, किसान संगठनों, संबंधित उद्योगों और किसान जैसे अन्य पक्षों को भी मिलजुलकर मिशन भावना से काम करना होगा।

अपने देश में 85 प्रतिशत से अधिक किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास बाजार में बेचने लायक अतिरिक्त फसल कम होती है और खेती में उनका खर्च भी अधिक होती है। हालांकि, सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं भी शुरू की हैं। सरकार ने लाइसेंस और कराधान संबंधी बाधाएं दूर करने और किसानों का मुनाफा बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रानिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) शुरू किया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना भी शुरू की है, जिसका मकसद विपणन संबंधी सहायता के साथ प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन की सुविधाएं प्रदान कर किसानों का कल्याण करना है।

किसानों का एक बड़ा हिस्सा भू-स्वामी नहीं है, वे पट्टेदार किसान हैं, जो कृषि भूमि पट्टे पर लेते हैं लेकिन ऐसे किसानों को फसल कर्ज नहीं मिलता। इन किसानों को बेहद ऊंची ब्याज दर पर साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। इन किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर नीति आयोग ने कृषि भूमि के पट्टे को औपचारिक बनाने के लिए आदर्श कानून तैयार किया है। हालांकि बैंकिंग में कई सुधार के बाद भी किसानों को अपनी कृषि संबंधी जरूरतों के लिए संस्थागत ऋण हासिल करने में बहुत कठिनाइयां होती हैं। सरकार कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की मात्रा लगातार बढ़ा रही है। सरकार के प्रयास न केवल किसानों के हित में बल्कि देश को समृद्ध बनाने में सहायक होंगे।

– फिरोज खान
चंपानगर, भागलपुर, बिहार

बहुआयामी प्रगति का दर्पण

योजना का जुलाई-18 अंक जोकि भारत की समकालीन बहुआयामी प्रगति का दर्पण था, बहुत भाया। पिछले दिनों योजना की साइट पर इसके पुराने अंक देख रहा था। सबसे पहला अंक जो कि खुशवंत सिंह जी के संपादन में निकला था को भी देखा और पाया कि योजना हिंदी कितनी लंबी यात्रा पूरी कर चुकी है। उस समय इस पत्रिका में विकास पर आधारित कथा-कहानी को भी जगह दी जाती थी। आज योजना पत्रिका, अपने गुणवत्तापूर्ण लेखों के चलते जन सामान्य में अपनी गहरी पैठ बना चुकी है।

जुलाई-18 के अंक का पहला लेख में हरदीप पुरी जी ने सरकार के समावेशी विकास को बयां करने वाले नारे "सबका साथ, सबका विकास" को आगे बढ़ाते हुए इसे सबका आवास तक पहुंचा दिया। वास्तव में आज भारत के किसी गांव में जाकर देखा जाए तो बड़ी मात्रा में टॉयलेट और आवास का निर्माण किया जा रहा है, जल्द ही हम सबको आवास उपलब्ध करा देंगे। सबको बिजली मिले, इसके लिए भी विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। पहले गांव को केन्द्र में रख कर योजना बनाई जाती थी, इसके चलते गांव तो विद्युतीकरण में आ जाते पर वहां पर कई परिवारों को बिजली न मिल पाती थी। पिछले दिनों, इसके लिए 'सौभाग्य' योजना अर्थात प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना भी लागू की गयी है। शिक्षा, अक्षय ऊर्जा तथा किसानों से जुड़े आलेख बहुत ही गुणवत्तापूर्ण बन पड़े है।

– आशीष कुमार
उन्नाव, उत्तर प्रदेश

सबको शिक्षा - अच्छी शिक्षा

योजना के जुलाई 2018 के अंक में "सबको शिक्षा- अच्छी शिक्षा की ओर बढ़ते कदम" लेख के माध्यम से जगदीश उपासने और लोकेन्द्रे सिंह द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की काफी उपयोगी तथा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है इसके लिए योजना की संपादकीय टीम बधाई के पात्र है।

सरकार के संकल्प "सबको शिक्षा- अच्छी शिक्षा की ओर बढ़ते कदम" की पूर्ति के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय योजनाबद्ध तरीके से निरंतर कार्य कर रहा है। पिछले चार वर्ष में स्कूल शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा में भी महत्पूर्ण कदम सरकार ने उठाए है। गुणवतापूर्ण शिक्षा के लिए "शिक्षा का अधिकार कानून" में फरवरी 2018 में संशोधन किया। इसमें पहली बार आठवीं कक्षा तक कक्षावार एवं विषयवार प्राप्त परिणामों को समाहित किया गया ताकि गुणवत्तायुक्त शिक्षा के महत्व पर जोर दिया जा सके। देश के शैक्षणिक संस्थानों के बीच उपलब्ध मौजूदा ई-सामग्री और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जरिए

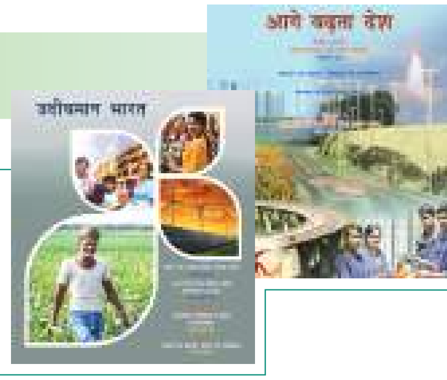

"राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय" (NDL) का 19 जून 2018 को पठन-पाठन दिवस के अवसर पर लोकार्पण किया। कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय और कहीं से राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का उपयोग कर सकता है यह सेवा नि:शुल्क है।

"नेशनल एजुकेशनल डिपाजिटरी" (NAD) के माध्यम से डिग्रियों को फर्जीवाड़े और अब ऑनलाइन ही सत्यापित किया जा सकता है। देश में पांच नये "अनुसंधान पार्को" को केन्द्र सरकार ने मंजूरी दी।

– महेश कलोसिया
राणा प्रताप बाग, दिल्ली

कर प्रणाली में बदलाव पर अच्छी जानकारी

योजना के जून अंक **आगे बढ़ता देश हमारा** थीम पर केंद्रित है और इसमें अपने देश के विकास का आकलन करने वाले कई महत्वपूर्ण लेख पढ़ने को मिले। इनमें खास तौर से टीएन अशोक का 'कर प्रणाली में सुधार' वाला काफी जानकारी देने वाला लेख है। किसी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था को देश और विदेश दोनों मोर्चो से भारी निवेश की आवश्यकता होती है लेकिन ऐसा निवेश आसानी से नहीं आता। इसके लिए ऐसी न्यायोचित, निष्पक्ष, पारदर्शी और भेदभाव रहित कराधान प्रणाली चाहिए जो निवेशकों को अपना धन, उत्पादक उद्देश्यों में लगाने के लिए बढ़ावा दे सके।

अमेरिका और आस्ट्रेलिया ने अपने यहां बेहद प्रगतिशील कराधान प्रणाली लागू की है लेकिन अब भारत में भी कर प्रणाली संकीर्णता भरी, जटिल और केवल जुर्माना वसूलने वाली नहीं रह गई है बल्कि पहले से अधिक प्रभावशाली हो गई है। 1991 से पहले भारत का समूचा कर ढांचा मोटे तौर पर अकुशल था और न्यायसंगत भी नहीं था। आयकर अंतरराष्ट्रीय मानकों से ऊंची थीं और केंद्रीय स्तर पर कोई वैट नहीं था। 1980 के दशक के मध्य से कुछ मामलों में वैट शुरू हुआ था। खपत पर कर का आधार छोटा था और सेवाओं को कर आधार से बाहर रखा गया था। सीमा शुल्क बहुत अधिक थे, लेकिन उनमें कई तरह की जटिल छूटें थीं। कुछ ही मामलों में निर्यात शुल्क लगने के कारण पारंपरिक निर्यात की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो गई थी।

लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण फैसले को अमल में लाना शुरू कर दिया है। जीएसटी और डीटीसी सरकार द्वारा लागू किए सबसे बड़े कर सुधार हैं और ये देसी और विदेशी दोनों निवेशकों के लिए कराधान ढांचे का अनुपालन आसान बनाने का आश्वासन देते हैं। डीटीसी और जीएसटी कराधान प्रणाली को आसान बनाने, करदाताओं का अधिकार बढ़ाने और कर संग्रह में खासी वृद्धि करने में बहुत उपयोगी साबित होंगे, जिससे आगे जाकर देश का राजकोषीय घाटा कम होगा। सरल कर कानून और आसान मध्यस्थता के कारण विदेशी निवेशकों के लिए भारत निवेश का आकर्षक केंद्र बन जाएगा। इससे भारत के जीडीपी में अधिक वृद्धि होगी और लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए अधिक आमदनी होगी।

– हेमा म्हस्के
वडगावशेरी, पुणे, महाराष्ट्र

विकास को समर्पित मासिक

विकास को समर्पित मासिक योजना का जुलाई अंक **उदीयमान भारत** मैंने पढ़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी मिली भारत सरकार एवं उनकी योजनाओं और बाकी रोजमर्रा की खबरें जोकि हमें लगातार पेपर पढ़ने से भी नहीं मिलती है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि जिस तरह आप हर महीने पूरे भारत में हो रहे कार्यो की सूचनाएं इस "योजना" पत्रिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार भारतवर्ष के हर राज्य में चल रहे विकास कार्यो, घटनाओं आदि की विस्तृत जानकारी के लिये भी मासिक पत्रिका निकाले, ताकि हम अपने आस-पास हो रहे या चल रहे कार्यो की विस्तृत जानकारियां प्राप्त कर सकें।

– गौरव निर्मलकर
ईमेल: gauravnirmalkar@gmail.com

निवेदन

योजना हमेशा द्विपक्षीय संचार में विश्वास रखती है। पाठकों से निवेदन है कि वह अपने राय व विचारों से हमें अवगत कराते रहें। हमारा ईमेल है- yojanahindi@gmail.com आप हमें डाक द्वारा भी पत्र भेज सकते हैं। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज http://www.facebook.com/yojanahindi पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी राय और सुझाव का इंतजार रहेगा।

– वरिष्ठ संपादक

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

LIVE / ONLINE Classes also available

Download **VISION IAS app** *from* Google Play Store

सामान्य अध्ययन

✦ **फाउंडेशन कोर्स 2019**

- प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए

DELHI: 25th July | 23rd Aug
JAIPUR: 24th July
AHMEDABAD: 10th July
LUCKNOW: 21st August

- प्रारंभिक परीक्षा के लिए
- मुख्य परीक्षा के लिए

✦ **इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम के घटक**

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- निबंध लेखन शैली की कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

✦ **MAINS 365** • One Year Current Affairs for Mains

English Medium | 24th July
हिन्दी माध्यम | 1st Aug

ALL INDIA TEST SERIES

Get the Benefit of Innovative Assessment System from the leader in the Test Series Program

PRELIMS
- ✓ General Studies (हिन्दी माध्यम में भी)
- ✓ CSAT (हिन्दी माध्यम में भी)

for **PRELIMS 2019** starting from 8th July

MAINS
- ✓ General Studies (हिन्दी माध्यम में भी)
- ✓ Essay (हिन्दी माध्यम में भी)
- ✓ Sociology
- ✓ Geography
- ✓ Anthropology

550+ Selections in CSE 2016

8 in Top 10
38 Selections in Top 50 in CSE 2017

ANMOL SHER SINGH BEDI AIR-2

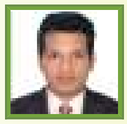
SACHIN GUPTA AIR-3

ATUL PRAKASH AIR-4

PRATHAM KAUSHIK AIR-5

SAUMYA PANDEY AIR-4

KOYA SREE HARSHA AIR-6

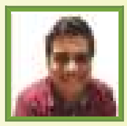
AYUSH SINHA AIR-7

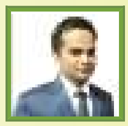
ANUBHAV SINGH AIR-8

ABHILASH MISHRA AIR-5

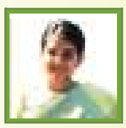
SAUMYA SHARMA AIR-9

ABHISHEK SURANA AIR-10

YOU CAN BE NEXT

/visionias.upsc /Vision_IAS /c/VisionIASdelhi

www.visionias.in

JAIPUR	PUNE	HYDERABAD	AHMEDABAD	LUCKNOW
9001949244	8007500096	9000104133	9909447040	8468022022
9799974032	020-40040015	9494374078	7575007040	9650617807

DELHI
- 635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar
- 2nd Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6,1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh
- Contact : 8468022022, 9650617807, 9717162595

YH-907/2018

संपादकीय

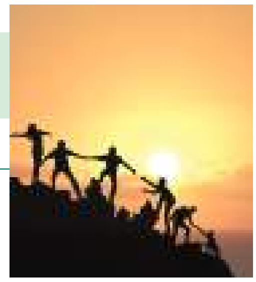

साथ-साथ चलने का मंत्र

सशक्तीकरण का मतलब एक शख्स के रूप में अपनी जिंदगी पर खुद के नियंत्रण से है। और सामाजिक सशक्तीकरण से आशय समाज के सभी तबकों के लिए अपनी जिंदगी पर एक समान नियंत्रण और अहम फैसले लेने के लिए अवसर की उपलब्धता है। बहरहाल, अलग-अलग लोगों के लिए इसका अलग-अलग अभिप्राय है। युवाओं के लिए इसका मतलब सामाजिक नियमों और परंपराओं की परवाह किए बिना अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी करना होगा, जबकि बुजुर्गों के लिए यह होगा कि अपने जीवन की सांध्यकालीन बेला में वे गरिमा और आत्म-सम्मान के साथ जी सकें। पुरुषों के लिए इसका मतलब वित्तीय आजादी हो सकता है, जबकि महिलाओं के लिए इसके मायने जेंडर आधारित भेदभाव से छुटकारा हो सकते हैं।

किसी भी देश के आगे बढ़ने के लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त है कि समाज के सभी तबके का एक समान सशक्तीकरण हो। यह तभी हासिल हो सकता है, जब एक समान विकास का मौका सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग योजनाओं और नीतियों का एकीकरण हो। सरकार बहुआयामी रणनीति पर काम कर समाज के इन अलग-अलग तबकों के सशक्तीकरण की कोशिश कर रही है।

किसी देश का विकास सुनिश्चित करने में महिलाएं सबसे अहम माध्यम हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें तो, 'महिलाओं का सशक्तीकरण पूरे परिवार के सशक्तीकरण के बराबर है।' हालांकि, भारत में सशक्तीकरण के लिए महिलाओं का संघर्ष जन्म से ही शुरू हो जाता है - इस हकीकत के साथ कि बच्चियों को जन्म लेने के अपने अधिकार के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इस बात को महसूस करते हुए सरकार ने महिला सशक्तीकरण को मुख्य फोकस बनाने के लिए कई तरह की पहल की है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और इस तरह की कई अन्य योजनाएं समाज में महिलाओं का दर्जा सुधारने में काफी कारगर होंगी।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे असहाय और हाशिए पर मौजूद तबकों के लिए सशक्तीकरण का मतलब वैसी कई चीजों की उपलब्धता है, जिन्हें हमारे जैसे ज्यादातर लोग आसानी से उपलब्ध होने वाला मानते हैं; मसलन बुनियादी शिक्षा; आजीविका की उपलब्धता और आगे बढ़ने के लिए मौके। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा, वेंचर कैपिटल फंड योजना, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, स्किल इंडिया, शिक्षा हासिल करने के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं, नौकरियों में आरक्षण आदि ने इन तबकों को विकास के संसाधनों के लिए एक समान उपलब्धता और समावेशी मौके मुहैया कराए हैं।

वरिष्ठ नागरिक अनुभव और ज्ञान का खजाना होते हैं। हालांकि, अपने जीवन के उत्तरार्द्ध में वे उपेक्षित महसूस करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए समेकित कार्यक्रम, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, अटल पेंशन योजना, वय वंदना योजना आदि ने देश के बुजुर्ग नागरिकों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ सम्मानित जीवन जीने की राह बनाई है।

दिव्यांग जनों के लिए जीवन पूरी तरह से अलग कहानी है। उनकी अक्षमता से उन्हें अक्सर यह महसूस होता है कि वे समाज पर बोझ हैं। सशक्तीकरण के लिए उनकी जरूरतें बिल्कुल अलग हैं यानी कार्यक्रमों को उनकी जरूरतों के हिसाब से बनाने की दरकार है। मिशनरी अंदाज में तकनीकी विकास परियोजनाएं, माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा, सुगम्य भारत अभियान, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना आदि ने दिव्यांगों को बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

जनजातीय लोगों के लिए सशक्तीकरण एक अलग प्रजाति के तौर पर उनके अस्तित्व के अधिकार से शुरू होता है। राष्ट्रीय मुख्यधारा की नीतियों और मजबूरियों के परिणामस्वरूप अक्सर जनजातीय समुदाय मुख्यधारा से अलग-थलग महसूस करने लगता है या उसे अपनी पहचान खोने जैसा अहसास होता है। अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए योजना, छोटे-मोटे जंगली उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, विशेष तौर पर कमजोर जनजातीय समूहों के लिए विकास की योजना और वन अधिकार कानून जैसे सरकार के हालिया कदमों ने जनजातिय लोगों के आर्थिक सशक्तीकरण में योगदान किया है।

आम तौर यह माना जाता है कि जब कोई विकास की तरफ बढ़ने का इरादा जताता है, तो उसे अपने साथ सबसे कमजोर को साथ लेकर चलना पड़ता है। हर शख्स बदलाव कर सकता है, बशर्ते वह कोशिश करे। सरकार ने समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीतियों के जरिए पहले ही बदलाव लाना शुरू कर दिया है। ❑

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित मासिक पत्रिका

- ☑ समसामयिक मुद्दों पर आधारित महत्त्वपूर्ण लेख।
- ☑ मुख्य परीक्षा के लिये सामान्य अध्ययन पर महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर।
- ☑ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पर केंद्रित सामान्य अध्ययन के विभिन्न खंडों के रिवीज़न हेतु 'टू द पॉइंट' सामग्री।
- ☑ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं (साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली, द हिंदू आदि) के महत्त्वपूर्ण लेखों का सारांश।
- ☑ मुख्य परीक्षा पर केंद्रित विशेष खंड।
- ☑ टॉपर्स इंटरव्यू।
- ☑ इंटरव्यू की तैयारी के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री।

पत्रिका का सैम्पल निःशुल्क पढ़ने के लिये हमारी वेबसाइट: www.drishtiias.com पर विज़िट करें।

To Subscribe, Call - 8130392351, 8130392359
For business/advertising enquiry, Call - 8130392355
Web : www.drishtiias.com, Email : info@drishtipublications.com

YH-841/3/2018

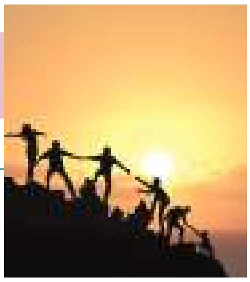

सबका सम्मान सबका उत्थान

नीलम साहनी

विभाग ने अनुसूचित जाति वर्ग की बस्तियों का विकास करने के लिए क्षेत्र आधारित तरीका अपनाया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, स्वच्छता, आजीविका और कौशल विकास पर ध्यान दिया जाता है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में वित्त की कमी की भरपाई केंद्र द्वारा करवाकर मुख्य रूप से केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं को एक साथ लागू करते हुए अनुसूचित जाति बहुल गांवों के एकीकृत विकास की परिकल्पना है। यह कार्यक्रम उन गांवों में चलाया जा रहा है, जहां 50 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जातियों की है

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हमारे संविधान के अनुरूप ही ऐसा समावेशी समाज बनाना चाहता है, जहां हमारी आबादी के सबसे वंचित एवं पिछड़े वर्ग गरिमा और गौरव भरा जीवन जी सके एवं राष्ट्र की मानव पूंजी में सक्रिय सहयोग कर सके। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों का आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण हमारी जिम्मेदारी है। हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों के बारे में स्पष्ट एवं मुखर होना तथा सरकार की सभी नीतियों एवं कार्यक्रमों में उनकी चिंताओं को सामने रखना इस विभाग के सबसे प्रमुख कार्यों में से एक है।

आबादी के ये वर्ग सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की दृष्टि से महत्वपूर्ण लक्षित समूह हैं और इसी कारण ग्राम स्वराज अभियान, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, अंत्योदय अभियान जैसे देशव्यापी अभियान आरंभ किए गए हैं।

अनुसूचित जाति विकास

अनुसूचित जाति के शैक्षिक सशक्तीकरण का अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए विभाग के बजट का एक बड़ा हिस्सा छात्रवृत्ति के मद में जाता है और लक्षित समूह के भीतर इसके वितरण में काफी सफलता मिली है। अनूसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी) विभाग की प्रमुख योजना है, जो 1944 से जारी है और अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार का सबसे बड़ा कदम है। हर वर्ष मैट्रिक अथवा माध्यमिक से ऊपर की शिक्षा पाने वालों से लेकर पीएचडी करने वालों तक लगभग 55 लाख छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है। 2014 से 2018 के बीच 2,29,30,654 छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिली है और 10,388 करोड़ रुपए की राशि इस्तेमाल की गई है। हमें यकीन है कि लक्षित समूहों के साक्षरता स्तरों, शिक्षा बीच में ही छोड़ जाने की दर, उच्च शिक्षा में हिस्सेदारी और उत्कृष्टता हासिल करने एवं राष्ट्र की सेवा के लिए मानव पूंजी तैयार करने में सकारात्मक परिणाम आए हैं। हाल ही में कैबिनेट ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 8737 करोड़ रुपए के बकाए की अदायगी मंजूर की है और 2018-19 में इसके लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अनुसूचित जाति

लक्षित आबादी के आंकड़े

- 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी में 16.6 प्रतिशत अनुसूचित जातियां हैं।
- देश के 522 जिलों में मौजूद 46859 गांव ऐसे हैं, जहां 50 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जातियों की है।
- आजादी के बाद से ओबीसी जातियों की कोई गणना नहीं हुई है। मंडल आयोग के अनुमानों के मुताबिक 52 प्रतिशत आबादी ओबीसी वर्ग से है, जबकि एनएसएसओ ने 2009-10 के आंकड़ों में यह संख्या 41.7 प्रतिशत होने का अनुमान जताया है।
- वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10.36 करोड़ है।
- कुल आबादी के लगभग 1 प्रतिशत लोग नशे की लत के शिकार बताए जाते हैं।

लेखिका भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सचिव हैं। ईमेल: secywel@nic.in

के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की अन्य योजनाएं प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप, श्रेष्ठ शैक्षिक संस्थानों में अध्ययन के लिए टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम और यूजीसी के साथ मिलकर राष्ट्रीय फेलोशिप योजना हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों की संरक्षा एवं गरिमा के लिए एक महत्वपूर्ण कानून अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 है। मौजूदा सरकार ने 14 अप्रैल, 2016 से इसे काफी मजबूत बनाया है। इसमें किए गए संशोधन मोटे तौर पर क्रूरता के 47 अपराधों के लिए राहत राशि के प्रावधानों, राहत राशि के भुगतान के चरणों को तार्किक बनाने, अपराध की प्रकृति के आधार पर 85,000 रुपए से लेकर 8,25,000 रुपए तक की राहत राशि, उचित राहत राशि का भुगतान सात दिन के भीतर करने और मुकदमा समय से आरंभ करने के लिए साठ दिन के भीतर जांच पूरी करने एवं आरोपपत्र दाखिल करने से संबंधित हैं।

यह विभाग योजनाओं को सीधे लागू करने के अलावा 'अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आवंटन' (एडब्ल्यूएससी) पर भी नजर रखता है, जो अनुसूचित जाति सब प्लान का नया नाम है। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) का विचार 1979-80 से ही चल रही है ताकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं से आनुपातिक संसाधनों का मिलना सुनिश्चित हो सके। पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा जारी अनुसूचित जाति सब प्लान (एससीएसपी) के संयुक्त दिशानिर्देशों के अनुसार सभी राज्यों/मंत्रालयों/विभागों को अपनी योजना राशि में से राज्य/देश में अनुसूचित जाति के जनसंख्या प्रतिशत के अनुपात में राशि एससीएसपी के तहत देनी होगी। (2011 के जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में 16.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति की है) इसका नाम 2017 में बदलकर 'अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आवंटन' (एडब्ल्यूएससी) कर दिया गया। एडब्ल्यूएससी के तहत आवंटन 2015-16 में 30850.88 करोड़ रुपए था, जिसे 83.52 प्रतिशत बढ़ाकर 56618.50 करोड़ रुपए कर दिया गया। नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रारूप के अनुसार आर्थिक, भौतिक एवं परिणाम आधारित निगरानी सूचकांकों के बारे में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से ऑनलाइन जानकारी लेने के लिए 2017 में विभाग ने एक वेब पोर्टल (e-utthaan.gov.in) तैयार किया है। वित्तीय निगरानी को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ जोड़ा गया है और इस प्रकार वास्तविक समय में यानि रियल टाइम आधार पर निगरानी की जाती है। भौतिक उपलब्धियों के मामले में सभी नोडल अधिकारियों को लॉग-इन एवं पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वे जानकारी को सीधे पोर्टल में जमा कर सकें।

शिक्षा के अलावा विभाग ने अनुसूचित जाति वर्ग की बस्तियों का विकास करने के लिए क्षेत्र आधारित तरीका अपनाया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, स्वच्छता, आजीविका और कौशल विकास पर ध्यान दिया जाता है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में वित्त की कमी की भरपाई केंद्र द्वारा करवाकर मुख्य रूप से केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं को एक साथ लागू करते हुए अनुसूचित जाति बहुल गांवों के एकीकृत विकास की परिकल्पना है। यह कार्यक्रम उन गांवों में चलाया जा रहा है, जहां 50 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जातियों की है। विकास विभाग के भीतर ही मौजूद संसाधनों को बढ़ाने तथा उन्हें अन्य विभागों एवं मंत्रालयों के पहले से जारी प्रयासों के साथ मिलाने के लिए काम कर रहा है।

पिछड़े वर्गों का विकास

पिछड़े वर्ग भी महत्वपूर्ण लक्षित समूह हैं, जिनके कल्याण के लिए कुल आवंटन 2018-19 में 41.03 प्रतिशत बढ़ाकर 1747 करोड़ रुपए कर दिया गया। 2017-18 में यह 1237.30 करोड़ रुपए था। छात्रवृत्ति की

योजनाएं पिछड़े वर्ग की आबादी के लिए भी सरकार की प्रमुख योजना रही है, जिनमें प्री एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तथा राष्ट्रीय फेलोशिप मुख्य हैं।

कौशल विकास महत्वपूर्ण योजना है और उसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) के जरिए चलाया जा रहा है। आगे का रास्ता बुनियादी बातों पर चलकर इस समूह की उद्यमिता संबंधी क्षमताओं के विकास की ओर जाता है ताकि रोज़गार का सृजन भी हो सके। मौजूदा सरकार चाहती है कि ओबीसी की जरूरतें पूरी करने के लिए वेंचर कैपिटल फंड भी शुरू हो।

सामाजिक सुरक्षा

महत्वपूर्ण मगर अक्सर अनदेखा किया जाने वाला वर्ग वरिष्ठ नागरिकों का भी है, जिनकी संख्या और बढ़ती उम्र में निर्भरता का अनुपात बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उम्र के संबंध में बदलती स्थितियों, वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक जरूरतों, सामाजिक मूल्य व्यवस्था तथा तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए संशोधित नीति तैयार की जा रही है। **वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम** की वर्तमान नीतियों के अंतर्गत खर्च के नियम 1 अप्रैल, 2015 से 110 प्रतिशत तक बढ़ा दिए गए थे, जिन्हें 1 अप्रैल, 2018 से एक बार फिर 104 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। इस तरह 1 अप्रैल, 2015 से पहले के खर्च के नियमों में 288 प्रतिशत तक (वृद्धाश्रम के लिए 5.42 लाख रुपए से बढ़ाकर 21.6 लाख रुपए) का इजाफा कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट, सहायक एवं योग शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। वृद्धाश्रमों के पंजीकरण, मानकीकरण तथा रेटिंग प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

जीवन जीने में सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत कुल 292 जिले चुने गए हैं, 52 जिलों में मूल्यांकन शिविर लगाए गए हैं और 39 जिलों में वितरण शिविर लगे हैं, जिनसे 43865 बजुर्गों को लाभ हुआ है। गरीबी की रेखा से नीचे के बुजुर्गों को कुल 99431 उपकरण प्रदान किए गए हैं।

मद्यपान एवं नशा व्यसन उन्मूलन योजना के अंतर्गत विभाग की सहायता से चलाए जा रहे नशा निवारण केंद्रों के लिए खर्च के प्रावधान में 1 अप्रैल, 2018 से 30 प्रतिशत वृद्धि की गई। इन केंद्रों में रसोइयों, पूर्णकालिक चिकित्सकों तथा अतिरिक्त चौकीदारों की व्यवस्था भी की गई है।

नशे के शिकार हुए व्यक्तियों को पहचानने के लिए पहली बार राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया गया है। इस सर्वेक्षण में 185 जिले, 1.5 लाख घर और 6 लाख लोग शामिल रहे हैं। सर्वेक्षण पहले ही शुरू हो चुका है और जल्द ही खत्म होने की अपेक्षा है।

हाथ से मैला उठाने वालों का पुनर्वास

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष में विभाग हाथ से मैला उठाने वालों के साथ अतीत में हुए अन्याय तथा अपमान को मिटाने एवं गरिमापूर्ण जीवन की दिशा में उनका पुनर्वास करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए 18 राज्यों के 170 चिह्नित जिलों में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) द्वारा राज्य सरकार तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर हाथ से

दिव्यांग सारथी
Divyang Sarathi

दिव्यांग भाइयों और बहनों को मिले अधिक अवसर

- सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया। इसका सकारात्मक प्रभाव होगा
- दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए शिविरों के आयोजन में अप्रत्याशित वृद्धि। मई 2014 से पूरे देश में आयोजित 5,790 शिविरों से 6 लाख से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं

शिक्षित भारत, सक्षम भारत

- दिव्यांग विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से 11 नवंबर, 2014 को छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई
- 30 हजार रुपये की छात्रवृत्ति राशि ट्यूशन फीस भुगतान के लिए और 20 हजार रुपये की राशि आकस्मिक भत्ते के रूप में दी गई, योजना के तहत प्रतिवर्ष 1,000 छात्रवृत्तियां दी जाएंगी
- इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर (आई.एस.एल.आर.टी.सी) स्थापित

कूड़ा उठाने वालों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया है, उसका संयोजन किया गया है और निगरानी भी की गई है। अब तक 125 जिलों में सर्वेक्षण शिविर पूरे हो चुके हैं और 5365 लोगों की पहचान हाथ से कूड़ा उठाने वालों के रूप में की जा चुकी है। हाथ से मैला उठाने वाले जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय सर्वेक्षण में चिह्नित किया जाएगा, उसे 40,000 रुपए की एकबारगी नकद सहायता दी जाएगी और बाद में उसके पुनर्वास के उपाय किए जाएंगे।

इसके अलावा एनएसकेएफडीसी प्रशिक्षण, पुनर्वास तथा जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। 10,000 सफाई कर्मचारियों तथा मैला उठाने वालों को सुरक्षित, स्वास्थ्यपूर्ण एवं मशीन द्वारा सफाई का प्रशिक्षण देने के लिए रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) कार्यक्रम का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी नगरपालिकाओं में म्युनिसिपल इंजीनियरों, सफाई निरीक्षकों, ठेकेदारों आदि के साथ कार्यशालाएं आयोजित कर 'हाथ से मैला उठाने पर निषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

नगर निगमों और नगर पालिकाओं के साथ मिलकर काम करना इस योजना के लिए अनिवार्य है। सफाई से संबंधित वाहनों एवं उपकरणों की खरीद के लिए पंचायतों एवं नगर निगमों के साथ समझौते किए जा रहे हैं। साथ ही ऐसे वाहनों एवं उपकरणों की खरीद के लिए सफाई कर्मचारियों के स्वयं सहायता समूहों को कर्ज की सुविधा भी दी जाएगी। इससे सफाई कर्मचारी हाथ से सफाई के खतरों से भी बच जाएंगे क्योंकि वह असुरक्षित एवं स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होती है।

वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां

क्र.	योजना/परियोजना का नाम	2014-2018	
		वित्तीय (करोड़ रु.)	भौतिक लाभार्थी
1	**राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम**		
	(अ) ऋण आधारित योजनाएं	1729.07	333245
	(आ) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	52.12	62159
	कुल	**1781.19**	**395404**
2	**राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम**		
	(अ) सामान्य ऋण योजना	440.88	41645
	(आ) लघु ऋण योजना	176.91	42890
	(इ) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	50.36	35017
	कुल	**668.15**	**119552**
3	**राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम**		
	(अ) सामान्य ऋण योजना	732.58	132124
	(आ) लघु ऋण योजना	734.50	531870
	(इ) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	59.78	57274
	कुल	**1526.86**	**721268**

निगम

इस विभाग के पास तीन वित्त विकास निगम - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास

निगम (एनबीसीएफडीसी), एनएसकेएफडीसी और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) हैं।

ये निगम अलाभकारी कंपनियां हैं, जिनका उद्देश्य लक्षित समूहों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा आजीविका, कौशल विकास एवं स्वरोज़गार के उपक्रमों में उनकी सहायता करना है। इस मामले में निगम सरकार की ही विस्तारित शाखा की तरह काम करते हैं।

डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसी) और डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक (डीएएनएम)

डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए विभाग ने डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसी) की स्थापना की है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 7 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली में किया। केंद्र डॉ. अंबेडकर की शिक्षाओं एवं दृष्टिकोण के प्रसार में प्रमुख भूमिका अदा करेगा और सामाजिक एवं आर्थिक विषयों पर अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनेगा। यह समावेशी वृद्धि एवं उससे संबंधित सामाजिक-आर्थिक विषयों के लिए विचार समूह (थिंक टैंक) की तरह काम करेगा।

डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक (डीएएनएम) का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के अलीपुर रोड पर 13 अप्रैल, 2018 को किया। यह डॉ. अंबेडकर के जीवन एवं काल के बारे में संग्रहालय है। संग्रहालय में रोज अच्छी संख्या में दर्शक आते हैं।

निष्कर्ष

विभाग जन कल्याण को बढ़ावा देने में सामाजिक क्रम सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 38 में किए गए वायदे को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो इस सरकार के 'सबका साथ, सबका विकास' के दिशानिर्देशक सिद्धांत के अनुरूप भी है। यह लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब इस विभाग की लक्षित जनसंख्या, वंचित एवं कमजोर वर्ग अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने में सक्षम हो पाएंगे। ❑

मन की बात

25 मार्च, 2018 (A broadcast by the Prime Minister)

- डॉ० बाबा साहब अम्बेडकर पिछड़े वर्ग से जुड़े मुझ जैसे करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा हैं.
- उन्होंने हमें दिखाया है कि आगे बढ़ने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि बड़े या किसी अमीर परिवार में ही जन्म हो बल्कि भारत में ग़रीब परिवारों में जन्म लेने वाले लोग भी अपने सपने देख सकते हैं, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं.

सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण के लिए सरकार की पहल

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने हाल में प्रेस कांफ्रेंस में केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

- वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बजट में 12.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 में 6908.00 करोड़ रुपए का बजट था, जो बढ़कर वर्ष 2018-19 में 7750.00 करोड़ रुपए हो गया।
- धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए 18 राज्यों के 170 चिन्हित जिलों में सिर पर मैला ढोने पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया है। एनएसकेएफडीसी द्वारा राज्य सरकार और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के सहयोग से सर्वे का समन्वय और निगरानी किया जा रहा है। 125 जिलों में सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं और अब तक 5365 लोगों को सिर पर मैला ढोने वाले के रूप में पहचान की गई है।
- मंत्रालय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण रूप में 25 योजनाएं लागू कर रहा है। 2016-17 और 2017-18 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रमश: 1.45 और 1.66 करोड़ रूपए लाभार्थियों को सहायता/लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण रूप में जारी किए गए थे। लाभार्थी डेटाबेस में आधार जुड़ाव 66 प्रतिशत तक पहुंच गया है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आवंटन में 2015-16 के 30850.88 करोड़ रुपए से वृद्धि करके 56618.50 करोड़ रूपए किया गया। यह 83.52 प्रतिशत की वृद्धि है।
- अनुसूचित जाति के छात्रों (पीएमएस-एससी) को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में प्रति वर्ष लगभग 60 लाख छात्रों को शामिल किया जाता है। 2014 से 2018 के बीच, 2,29,30,654 छात्रों ने पीएमएस-एससी छात्रवृत्ति का लाभ उठाया है और 10,388 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के लिए पीएमएस-एससी में 8737 करोड़ रुपए की एकत्रित बकाया राशि को मंजूरी दे दी है। वर्ष 2018-2019 में इस उद्देश्य के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की दर तथा स्वच्छता के कार्य में शामिल लोगों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति 2017-18 से 50 प्रतिशत बढ़ा दी गई है।
- अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के तहत अप्रैल, 2014 से मार्च 2018 के बीच 8000 मेधावी छात्रों को 770.80 करोड़ रुपए की फेलोशिप दी गई। 2018-19 में 2000 छात्रों को एमफिल व पीएचडी के लिए फेलोशिप मिलेगी। सभी मेरिट आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लेने के लिए माता-पिता की आय सीमा को वर्ष 2017-18 से बढ़ाकर वार्षिक 6 लाख रुपए कर दिया गया है।

- अंतरजाति विवाह जिसमें युगल में से एक अनुसूचित जाति का हो, के लिए वर्ष 2017-18 से ढाई लाख रुपए की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मदद दी जा रही है। इस योजना के तहत जो राशि प्रदान की जाती है, वह संयुक्त खाते में किसी सरकारी/राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन वर्ष के लिए सवाधि जमा खाते में रखी जाती है, जो तीन वर्ष से पहले नहीं निकाली जा सकती।
- केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' को अनुसूचित जाति के एकीकृत विकास के लिए लागू किया जा रहा है। ऐसे 2500 गांवों को कवर किया गया है, जहां अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या अधिक है। वर्ष 2017-18 से लेकर 2019-20 के लिए 300 करोड़ रुपए का अनुदान 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' के लिए आवंटित किया गया है।
- वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जातियों के लिए 'वेंचर कैपिटल फंड' की शुरूआत की गई थी, जिसके तहत अब तक अनुसूचित जाति के 71 उद्यमियों को 255 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।

- अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए वर्ष 2018-19 में आवंटित राशि में 41.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 में जहां इस वर्ग को 1237.30 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, वहीं वर्ष 2018-19 में 1747 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
- अनुसूचित जाति की तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 'वेंचर कैपिटल फंड' शुरुआती 200 करोड़ रुपए के कोष के साथ शुरू किया जा रहा है। गैर-क्रीमीलेयर की आय सीमा को 1 सितम्बर 2017 से बढ़ाकर आठ लाख रुपए कर दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग की उपश्रेणियों की जांच के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी की अध्यक्षता में 2 अक्टूबर, 2017 को आयोग का गठन किया गया, जिसने 11 नवंबर 2017 से काम करना शुरू कर दिया।
- मद्यपान और मादक पदार्थ से बचाव के लिए योजना के तहत नशा मुक्त केंद्रों के लिए मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2018 से लागत राशि में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। नशा मुक्त केंद्रों में रसोइया और पूर्णकालिक चिकित्सक के अलावा एक चौकीदार की भी व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम योजना के तहत लागत मानकों को 1 अप्रैल, 2015 को 110 फीसदी बढ़ाया गया था, जो आगे 1 अप्रैल, 2018 को फिर से 104 फीसदी बढ़ाया गया। योजना के तहत फिजियोथेरेपिस्ट परिचारक/परिचारिका और योग प्रशिक्षक की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। साथ ही घरों के पंजीयन, मानकीकरण और रेटिंग के लिए प्रावधान तैयार किए गए हैं। श्री गहलोत ने बताया कि लागत मानदंडों में अंतिम बार संशोधन 1 अप्रैल, 2015 को किया गया था।
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत, कुल 292 जिलों का चयन किया गया है, 52 जिलों में मूल्यांकन शिविर और 39 जिलों में वितरण शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 43865 वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए हैं। बीपीएल श्रेणियों के वरिष्ठ नागरिकों को कुल 99431 उपकरण प्रदान किए गए। पहली बार नशीली दवाओं के दुरूपयोग से होने वाले पीड़ितों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में 185 जिलों के 1.5 लाख परिवार और 6 लाख लोगों को शामिल किया गया। सर्वेक्षण अभी चालू है और जल्द ही इसके पूरा होने की उम्मीद है।
- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) का उद्देश्य दिव्यांगों को सशक्त बनाना है। इसमें विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजनों को सहायता और उपकरण प्रदान करना; भवन, परिवहन और वेबसाइटों के मामले में बाधा मुक्त माहौल तैयार करना; शुरुआती उपाय, स्कूली शिक्षा, एनजीओ के माध्यम से बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण; स्कूलों, कॉलेजों में छात्रवृत्ति, पेशेवर शिक्षा और कौशल विकास के प्रति सहायता प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है।
- 1995 के पुराने कानून को निरस्त कर 2016 में नया कानून लाया गया जिसका नाम 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' है। यह कानून समानता के अधिकार, भेदभाव रहित, सामुदायिक जीवन का अधिकार, न्याय तक पहुंच, शिक्षा, रोज़गार इत्यादि की गारंटी देता है। अभी तक 21 प्रकार की दिव्यांगता की पहचान की गई है, जो पहले केवल 7 प्रकार की थीं।

- एडीआईपी शिविरों का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि 2014 से अभी तक एडीआईपी योजना के तहत 622.45 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जिससे देश भर में 6459 शिविरों के माध्यम से 9.97 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचा। 172 अस्पतालों को कर्णावर्त तंत्रिका प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए सूचीबद्ध किया गया है और अभी तक 1142 कर्णावर्त तंत्रिका प्रत्यारोपण सर्जरी की जा चुकी हैं। दिव्यांगों के लिए मोटर चालित तिपहिया साइकिल की पात्रता उम्र 18 साल से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है। पिछले 4 वर्षों में, 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजनों को 5693 मोटर चालित तिपहिया साइकिल दी गई। वर्ष 2013-14 में 95.36 करोड़ रुपए के बजट को बढ़ाकर 2018-19 के लिए दोगुने से ज्यादा 220 करोड़ कर दिया गया है।
- सुगम्य भारत अभियान एक लक्षित कार्यक्रम है और यह सार्वजनिक भवनों, परिवहन, सड़क और वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए राज्य सरकारों को पैसा प्रदान करता है। 1662 इमारतों का ऑडिट किया गया है, 613 भवनों के लिए 160.3 लाख रुपए जारी किए गए हैं। सभी 34 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को सुगम्य कर दिया गया है, 48 घरेलू हवाई अड्डों को सुगम्य बनाया गया है। ❑

You Deserve the Best...
Niraj Singh (M.D.)
Divyasen Singh (Co-ordinator)
IAS
GS WORLD
IAS PCS
Committed To Excellence
PCS
ISO 9001 Certified
सिविल सेवा परीक्षा–2017 में सफल अभ्यर्थी
AKSHAT KAUSHAL
ANIRUDDH KUMAR
RATAN DEEP GUPTA
LAKHAN SINGH YADAV
SHAKTI MOHAN AVASTHY
GAURAV
CHETAN KUMAR MEENA
PANKAJ YADAV
BIKRAM GANGWAR
ADITYA KUMAR JHA
22 वर्षीय युवा
DEVENDRA DUTT YADAV
SAKSHI GARG
IAS MAINS TEST SERIES
Medium
Eng. / हिन्दी
START
8TH JULY, 2018
Offline & Online
Fee 11,500/-
Total Test- 15
(8 Topic wise + 7 Full Syllabus Test)
हमारा उद्देश्य UPSC के बदलते पैटर्न के अनुसार आपकी अवधाराणात्मक समझ को समसामयिक मुद्दों से जोड़कर प्रश्न पूछने की रणनीति का सारगर्भित समाधान कराना है, जिसका प्रमाण सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2017 के सामान्य अध्ययन के पेपर के कुछ प्रश्नों में मिलता है। पिछले वर्ष GS World द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरिज के मॉडल प्रश्नों और सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के पेपर में सामानता पायी गई जो GS Worldकी गुणवत्ता एवं छात्रों के प्रति समर्पण भाव को दर्शाती है।
GS WORLD Mains Test Series Geography (Test-2) Q.No.-9 (Is little bit same)
UPSC Paper - 1 (2017)
GS WORLD Mains Test Series Q.No.-11 (Is little bit same)
UPSC Paper - 1 (2017)
UPSC Paper - 1 (2017)
GS WORLD Mains Test Series Geography (Test-2) Q.No.-8 (Is little bit same)
Focused on 2019
OLD NCERT + CURRENT AFFAIRS
OBJECTIVE TEST
TEST-SERIES
Total Test-55
Medium
Eng. / हिन्दी
START
21ST JULY, 2018
Offline & Online
Fee— GSW St. : 5500/-, Other St. : 6100/-
दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
(Distance Learning Program- DLP)
for more details- 9654349902
Visit us our You Tube Channel
GS World & Subscribe...
सामान्य अध्ययन
Foundation Batch Starts...
दिल्ली केन्द्र
16 Aug.
3:15 pm
इलाहाबाद केन्द्र
16 Aug.
8:00 am
हिन्दी & English Medium
लखनऊ केन्द्र
10 Aug.
8:30 am/5:30 pm
हिन्दी & English Medium
DELHI CENTRE
629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph.: 7042772062/63, 9868365322
ALLAHABAD CENTRE
GS World House, Stainly Road, Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0532-2266079, 8726027579
LUCKNOW CENTRE
A-7, Sector-J, Puraniya Chauraha Aliganj, Lucknow
Ph.: 0522-4003197, 8756450894
http://www.gsworldias.com
http://facebook.com/gsworld1
9654349902

YH-792/6/2017

वित्तीय समावेश से वंचित वर्गों का सशक्तीकरण

मुनिराजू एस बी

समतावादी समाज सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय समावेश को मुख्य प्राथमिकता बनाई है, क्योंकि भारत की अधिसंख्य जनसंख्या आर्थिक स्तर पर असुरक्षित है। इसलिए सार्वभौमिक वित्तीय समावेश भारत की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता होने के साथ-साथ सार्वजनिक नीतिगत प्राथमिकता भी है

भारतीय संविधान निर्माताओं ने देश के कमजोर वर्गों के लिए न्याय, समानता, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक/वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविधान में पर्याप्त और अनिवार्य प्रावधान किए थे। बाद की सरकारों ने भी व्यापक वित्तीय समावेश हेतु सामाजिक और आर्थिक अनिवार्यताओं को समझा और गरीब तबकों को बराबरी पर लाने के लिए समय-समय पर महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन किए। इसके लिए संविधान में आवश्यक संशोधन भी किए गए और आम जन को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान के लिए विधायी ढांचा तैयार किया गया।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण शुरुआती कदम था, इसके बाद बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया गया कि उन्हें प्राथमिक क्षेत्र के लिए ऋण देना होगा। इसके अतिरिक्त अग्रणी बैंक योजना को शुरू किया गया जिससे सरकारी नीतियों को आकार दिया जा सके। ग्रामीण निवासियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) की स्थापना की गई ताकि उन्हें आसानी से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो - इस प्रकार सेवा क्षेत्र की अवधारणा सामने आई। जरूरतमंद लोग आजीविका और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए कारोबार कर सकें, इसके लिए स्वयं सहायता समूह - (एसएचजी) बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया गया। इस प्रकार पिछले कई वर्षों में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने समाज के गरीब वर्गों के लिए अनेक कदम उठाए।

वित्तीय समावेश वह प्रक्रिया है जिसके तहत कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों को सस्ती दरों पर समयोचित और पर्याप्त ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। समावेशी वृद्धि और विकास के संदर्भ में वित्तीय समावेश सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। सरकार, आरबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अब माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेश की मांग और आपूर्ति की बाधाओं और चुनौतियों को संबोधित करने की दिशा में जो कार्य किया है, उसकी सराहना की जानी चाहिए।

विश्व स्तर पर अधिकांश देश अब वित्तीय समावेश को अधिक व्यापक विकास के साधन के रूप में देखते हैं, जिसमें देश का प्रत्येक नागरिक अपनी आय को वित्तीय संसाधन के रूप में उपयोग करता है। इसे

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना
330 रु. की वार्षिक प्रीमियम के साथ
2 लाख रूपए का जीवन बीमा

प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा
12 रु. की वार्षिक प्रीमियम के साथ
2 लाख/1 लाख रु. का दुर्घटना बीमा

अटल पेंशन योजना
60 साल की उम्र में 1000 रु. से 5000 रु. तक
निश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन मिलेगी

लेखक भारत सरकार के नीति आयोग के सामाजिक न्याय और अधिकारिता प्रभाग में उपसलाहकार हैं। ईमेलः mrajusb@gmail.com

भविष्य में वित्तीय स्थिति में सुधार करने और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विकास करने में प्रयोग किया जा सकता है। समतावादी समाज सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय समावेश को मुख्य प्राथमिकता बनाई है, क्योंकि भारत की अधिसंख्य जनसंख्या आर्थिक स्तर पर असुरक्षित है। इसलिए सार्वभौमिक वित्तीय समावेश भारत की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता होने के साथ-साथ सार्वजनिक नीतिगत प्राथमिकता भी है। सभी 6,49,481 गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हों, इसके लिए जरूरी है कि वित्तीय समावेश को आम जन और वित्तीय संस्थानों के लिए व्यावहारिक व्यापारिक प्रस्ताव बनाया जाए। यह वित्तीय संस्थानों की स्थिरता के लिए भी जरूरी है।

वित्तीय समावेश की दिशा में चुनौतियां

कुछ शोध अध्ययनों से पता चला है कि पर्याप्त संख्या में कानून, नीति निर्माताओं के ईमानदार प्रयासों, आरबीआई के दिशानिर्देशों, अग्रणी बैंक योजना और लोकपाल की नियुक्ति के बावजूद देश में पूर्ण वित्तीय समावेश की दिशा में अभी भी कुछ बाधाएं हैं:

डी.बी. भारती (2016) के अनुसार, निम्न आय, गरीबी, निरक्षरता और जागरूकता की कमी के कारण लोगों का वित्तीय समावेश नहीं हो पाया है। यह तो वित्तीय समावेश का मांग पक्ष है। आपूर्ति पक्ष में वित्तीय समावेश की बाधाओं में बैंक शाखा की निकटता, समय, बोझिल दस्तावेज और प्रक्रियाएं, बैंक कर्मचारियों का व्यवहार और भाषा मुख्य कारण हैं।

रंजीनी और बापट (2015) ने पाया कि वित्तीय समावेश की बाधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं - दस्तावेजों में कठिनाइयों के कारण बैंकों से संपर्क न कर पाना, ऋण को मंजूर करने की दुष्कर प्रक्रिया, पुनर्भुगतान की कठोर शर्तें, अपनी आवश्यकता के विषय में न बता पाना, छोटे कर्ज के लिए बैंक आने में हिचकिचाहट।

चरण सिंह (2014) का मानना है कि भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के विभिन्न उपायों के बावजूद संतोषजनक परिणाम अभी देखने बाकी हैं। उन्होंने चुनौतियों को ग्राहक संबंधित और तकनीकी मुद्दों के रूप में वर्गीकृत किया है। वित्तीय समझ न रखने वाले ग्राहकों के लिए मोबाइल नंबर पंजीकरण और पिन नंबर जनरेट करना बहुत बड़ी समस्याएं हैं। बैंकों के लिए एक्सेस चैनल, मोबाइल सेवा ऑपरेटरों के साथ समन्वय स्थापित करना भी दूसरी चुनौतियां हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय सेवाओं की कम पहुंच, व्यापार संवाददाताओं की कम दक्षता वित्तीय समावेश की सफलता को सीमित करते हैं।

राजीव गुप्ता (2014), जी. आर. सच्चिंद्र (2013) ने पाया कि सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, मौखिक पट्टाधारी, स्वरोज़गार प्राप्त और असंगठित क्षेत्र के उद्यमी, शहरी झोपड़पट्टियों के बाशिंदे, प्रवासी या जातीय अल्पसंख्यक और सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूह, वरिष्ठ नागरिक एवं महिलाएं वित्तीय समावेश के दायरे से बाहर हैं। अन्य चुनौतियों में निम्नलिखित शामिल हैं : (1) एजेंट और विक्रेता जोखिम, (2) उपभोग केंद्रित व्यय की प्रवृत्ति, (3) निष्क्रिय खाते, (4) अपर्याप्त जागरूकता, (5) बुनियादी ढांचे की कमी, (6) साक्षरता की निम्न दर, (7) बचत की आदत न होना, (8) रिकवरी संबंधित मुद्दे, (9) छोटे लेनदेन और लेनदेन की अधिक लागत और (10) स्थिरता का अभाव।

आशु (2014) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की स्थापना आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इनमें लेनदेन की लागत अधिक है। व्यापार संवाददाता (बीसी) मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित माना जाता है। वित्तीय साक्षरता और वित्तीय उत्पादों के विपणन की कमी के कारण शहरी गरीब तबका अनौपचारिक क्रेडिट स्रोतों पर निर्भर होता है जो उनकी सुविधा के अनुसार काम करते हैं। इस कारण से भी यह तबका वित्तीय समावेश के दायरे से स्वेच्छा से बाहर हो जाता है। हालांकि वित्तीय सेवा बाजार उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करता है लेकिन जागरूकता की कमी के कारण इन उत्पादों का उपयोग नहीं हो पाता।

एस. के. राव (2010) का अध्ययन बताता है कि 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से समावेशी विकास हासिल हुआ। अध्ययन के लिए उन्होंने आरबीआई द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का विश्लेषण किया ताकि यह साबित हो सके कि राष्ट्रीयकरण के बाद असंबद्ध और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के पहुंचने से बैंकिंग का विकास हुआ। उनका मानना है कि बैंकों के विस्तार के बावजूद अभी

समस्याएं दूर नहीं हुई और देश में पूर्ण समावेशी विकास के लिए नए तंत्रों को चिन्हित करने की आवश्यकता है।

एस. एन. बदाजेना और प्रो. एच. गुंडिमेडा (2010) ने 2008 में सोलह राज्यों में वित्तीय समावेश में स्वयं सहायता समूहों के प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि औपचारिक बैंकिंग नेटवर्क के विशाल कवरेज के बावजूद बुनियादी वित्तीय सेवाएं अब भी समाज के बड़े तबके तक नहीं पहुंच पाई हैं।

वर्तमान परिदृश्य

भारत सरकार ने वित्तीय समावेश के लिए कई पहलुओं की जांच की। पिछले पांच वर्षों के दौरान हम सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में अविश्वसनीय परिवर्तन के साक्षी रहे हैं। अब विकास में भागीदारी और नागरिकों की संलग्नता पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अनेक अवसरों पर जनता के समक्ष अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और इससे आर्थिक व्यवस्था में तेजी से बदलाव आया।

वित्तीय समावेश और सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएससीएफडीसी): एनएसएफडीसी की स्थापना फरवरी, 1989 में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अलाभ कंपनी) के तहत एक सरकारी कंपनी के रूप में की गई थी। एनएससीएफडीसी का व्यापक उद्देश्य दोहरी गरीबी रेखा (डीपीएल) से नीचे रहने वाली अनुसूचित जातियों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए वित्त पोषण और सहज वित्त उपलब्ध कराना है।

एनएसएफडीसी राज्य चैनलिंग एजेंसियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के माध्यम से पुनर्वित्त के रूप में डीपीएल से नीचे जीवनयापन करने वाली अनुसूचित जातियों को रियायती दरों पर ऋण (टर्म ऋण, लघु वित्त और शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण) उपलब्ध कराता है। प्रचार गतिविधियों के तहत एनएसएफडीसी कौशल विकास और विपणन के लिए लक्षित समूहों को सीधे सहायता प्रदान करता है।

31 मार्च, 2015 में स्थापना के बाद से एनएसएफडीसी ने 3019.87 करोड़ रुपए का कुल ऋण संवितरित किया है। इससे डीपीएल वाली अनुसूचित जातियों के कुल 9,41,034 व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी): एनएसटीएफडीसी की स्थापना 2001 में की गई और इसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत लाइसेंस प्राप्त सरकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया, यानी एक अलाभकारी कंपनी जो अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

एनएसटीएफडीसी स्वयं सहायता समूहों की सहायता करता है और प्रत्येक एसएचजी को 25 लाख रुपए तक की यूनिट लागत वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगर प्रति सदस्य 50,000 रुपए से अधिक का ऋण नहीं है तो यह परियोजना की लागत का 90 प्रतिशत तक प्रदान करता है। यह ट्राइफेड के साथ सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों के कारीगरों को प्रोजेक्ट से संबंधित संपत्तियों और कार्यशील पूंजी की खरीद के लिए रियायती वित्त प्रदान करता है।

एनएसटीएफडीसी प्रति यूनिट 25 लाख रुपए तक की व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण प्रदान करता है। इस योजना के तहत परियोजना की 90 प्रतिशत लागत तक के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है और शेष राशि सब्सिडी/प्रमोटर योगदान/मार्जिन मनी के माध्यम से मिलती है। ब्याज दर 5 लाख रुपए तक 6 प्रतिशत, 10 लाख रुपए तक 8 प्रतिशत और 10 लाख रुपए से अधिक पर 10 प्रतिशत सालाना है। निगम अनुसूचित जनजाति की महिला सशक्तीकरण योजना (एएमएसवाई) भी संचालित करता है जो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास की एक विशेष योजना है। इसमें 4 प्रतिशत सालाना की ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए 90

प्रतिशत ऋण प्रदान किया जाता है।

31 मार्च, 2017 तक एनएसटीएफडीसी ने 1,654.92 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं। इसके अतिरिक्त हाल ही में निगम ने अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक कौशल विकास के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं जैसे एएसआरवाई, जागरूकता बढ़ाना इत्यादि।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी): एनएसकेएफडीसी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत 24 जनवरी 1997 को 'अलाभकारी कंपनी' के रूप में स्थापित किया गया था। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व वाला निगम है और इसकी अधिकृत शेयर पूंजी 600 करोड़ रुपए है।

एनएसकेएफडीसी संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनलिंग एजेंसियों (एससीए) और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक (आरआरबी)/राष्ट्रीकृत बैंक को लाभार्थियों में संवितरण के लिए धनराशि देता है। एससीए जिला समाज कल्याण विभाग के सहयोग से अंतिम लाभार्थियों को वित्त प्रदान करता है। सामान्य योजना के लिए अधिकतम 15 लाख रुपए और स्वच्छता उद्यमी योजना के तहत 25 लाख रुपए तक प्रदान किए जाते हैं।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी): एनबीसीएफडीसी सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय के तहत एक सरकारी उपक्रम है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत 13 जनवरी, 1992 को 1500 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई थी। 2017 के अंत तक इसे केंद्र सरकार द्वारा 1124 करोड़ रुपए की भुगतान पूंजी प्रदान की गई थी। इस अलाभकारी संस्था का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के लाभ के लिए आर्थिक और विकासपरक गतिविधियों को बढ़ावा देना और इस वर्ग के गरीब तबके में दक्षता विकास और स्वरोज़गार को प्रोत्साहित करना है। निगम विभिन्न राज्यों में 46 राज्य चैनलिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से अपनी गतिविधियां संचालित करता है। 31 मार्च, 2017 तक एनबीसीएफडीसी ने अन्य पिछड़ा वर्ग के 23,00363 व्यक्तियों को 3575.52 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम (एनएमडीएफसी): एनएमडीएफसी की स्थापना 30 सितंबर, 1994 को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत अलाभकारी कंपनी के रूप में की गई थी। एनएमडीएफसी का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को रोज़गार/आय उत्पादन गतिविधियों के लिए रियायती दर पर वित्त प्रदान करना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुसार अधिसूचित अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी शामिल हैं। इसके बाद जनवरी 2014 में जैन समुदाय को भी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की सूची में शामिल किया गया। एनएमडीएफसी कार्यक्रम के तहत कारीगरों और महिलाओं को वरीयता दी जाती है।

अपनी स्थापना के बाद 30 जून, 2018 तक एनएमडीएफसी ने 14,26,308 लाभार्थियों को 4280.16 करोड़ रुपए के ऋण दिए हैं। 2017-18 के दौरान 1,70,489 लाभार्थियों को 570.83 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई थी। चालू वित्त वर्ष 2018-19 (30 जून, 2018 तक) में एनएमडीएफसी 10,800 लाभार्थियों को 1,12.00 करोड़ रुपए ऋण दे चुका है।

राष्ट्रीय दिव्यांग जन वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी): एनएचएफडीसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिव्यांग जनों (पीडब्ल्यूडी) के आर्थिक सशक्तीकरण में उत्प्रेरक भूमिका निभाने के लिए की गई थी। इसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत 24 जनवरी, 1997 को 400 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ स्थापित किया गया था। यह देश में दिव्यांग जनों (पीडब्ल्यूडी) के लाभ के लिए सर्वोच्च निगम के रूप में काम कर रहा है।

JAN DHAN YOJANA

प्रधानमंत्री जन धन योजना

मेरा खाता भाग्य विधाता

8 अप्रैल, 2015 से 29 जून, 2018 के दौरान पीएमएमवाई के तहत सामाजिक समूहों की उपलब्धियां

करोड़ रुपए में

क्र.	श्रेणी	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	श्रेणी वार उधारकर्ता (प्रतिशत में)
1	सामान्य	59233552	395056.94	45.20 प्रतिशत
2	अजा	23357466	62982.95	17.82 प्रतिशत
3	अजजा	6620737	20035.25	5.05 प्रतिशत
4	पिछड़ा वर्ग	41834204	137084.29	31.92 प्रतिशत
5	कुल	131045959	615159.43	
स्रोत: मुद्रा मिशन				

निगम पीडब्ल्यूडी के लाभ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि उनका आर्थिक सशक्तीकरण हो और उन्हें आर्थिक/सामाजिक पायदान पर आगे बढ़ाने में मदद मिले। निगम पीडब्ल्यूडी की आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों की स्थापना/विस्तार के लिए रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ब्याज की रियायती दर पर पीडब्ल्यूडी की उच्च शिक्षा के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है। एनएचएफडीसी ने 31 मार्च, 2017 तक देश में 1,42,349 पीडब्ल्यूडी के लाभ के लिए 801.66 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके): राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक लघु वित्त संगठन है। इसका उद्देश्य गरीब महिलाओं को आजीविका और आय सृजन की गतिविधियों के लिए रियायती दरों पर लघु वित्त प्रदान करना है जिससे उनका सामाजिक आर्थिक विकास संभव हो। आरएमके अपने मध्यस्थ संगठनों के जरिए गरीब और संपत्ति हीन महिला उद्यमियों को 6 प्रतिशत के सामान्य ब्याज पर लघु वित्त प्रदान करता है। ये संगठन स्वयं सहायता समूहों को 14 प्रतिशत के सामान्य ब्याज पर ऋण देते हैं।

मुद्रा योजना: वित्त वर्ष 2015-16 के लिए वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने मुद्रा बैंक के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने 8 अप्रैल 2015 को गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि छोटे/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक ऋण प्रदान करने के जरिए इस योजना का शुभारंभ किया। इसके लिए वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा ऋण दिए जाते हैं।

इसके लिए व्यक्ति ऋण देने वाले किसी भी संस्थान से संपर्क कर सकता है या मुद्रा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ने तीन प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं - शिशु, किशोर और तरुण। इसमें लाभार्थी लघु इकाई/उद्यमी की वृद्धि/विकास के चरणों और वित्त पोषण की आवश्यकताओं को प्रकट किया गया है, साथ ही यह विकास के अगले चरण के लिए एक संदर्भ बिंदु भी प्रदान करता है।

वेंचर कैपिटल फंड योजना (27 जून, 2018 की स्थिति)

विवरण	वर्तमान स्थिति
कंपनियों की संख्या, जिन्हें सहायता मंजूर की गई है	71 कंपनियां
स्वीकृत राशि	255.37 करोड़ रुपए
कंपनियों की संख्या, जिन्होंने भुगतान प्राप्त किया	56 कंपनियां
कुल भुगतान	176.76 करोड़ रुपए

स्टैंड-अप इंडिया योजना: इस योजना के तहत कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और कम से कम एक महिला को ग्रीनफील्ड उपक्रम लगाने के लिए प्रत्येक बैंक द्वारा 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण दिया जाता है। ये उपक्रम मैन्यूफैक्चरिंग, सेवा या व्यापार क्षेत्र के हो सकते हैं। ब्याज दर संबंधित निर्धारित श्रेणी (रेटिंग श्रेणी) के लिए बैंक द्वारा प्रयोज्य न्यूनतम ब्याज दर होगी, जो (आधार दर (एमसीएलआर) 3 प्रतिशत आशय प्रीमियम) से अधिक नहीं होगा। इस योजना में 25 प्रतिशत मार्जिन राशि का प्रावधान है, जोकि पात्र केंद्रीय/राज्य योजनाओं के रूपान्तरण से उपलब्ध कराया जा सकता है।

योजना के शुरू होने के बाद से 7 मार्च, 2018 तक स्टैंड-अप इंडिया स्कीम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र, निजी और क्षेत्रीय बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की संख्या क्रमश: 51,888, 2,445 और 1,009 है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने योजना के आरंभ से इस तिथि तक अनुसूचित जातियों के उधारकर्ताओं को 180 ऋण मंजूर किए हैं।

वेंचर कैपिटल फंड योजना: भारत सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए अनूठे वेंचर कैपिटल फंड के तहत उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जातियों को रियायती वित्त प्रदान किया जाता है।

क्रेडिट वृद्धि गारंटी योजना: जुलाई, 2014 को केंद्रीय बजट भाषण (2014-15) के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि अनुसूचित जाति के युवाओं को क्रेडिट वृद्धि सुविधा देने और स्टार्ट-अप उद्यमिता को बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, चूंकि वे भी नव मध्यम वर्ग की श्रेणी में शामिल होने के इच्छुक हैं। इससे समाज के निचले स्तर में उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा, अनुसूचित जातियों में भरोसा पैदा होगा और रोज़गार सृजन भी होगा। सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय के तहत सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण विभाग, भारत सरकार ने अपने सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के तहत "अनुसूचित जातियों के लिए क्रेडिट वृद्धि गारंटी योजना" प्रायोजित की।

पात्र उधारकर्ता और जोखिम कवर: 31 दिसंबर, 2017 तक कुछ सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा 21.27 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी गई है जिसके लिए आईएफसीआई

द्वारा 14.40 करोड़ रुपए का कुल गारंटी कवर प्रदान किया गया है। डीआईसीसीआई के विभिन्न चैप्टर्स के सहयोग से सेमिनार, सम्मेलन और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की बैठकों में भाग लेने के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया है ताकि इस योजना को प्रोत्साहन मिले। देश भर में पीएसयू बैंकों को संवेदनशील बनाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) : प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की घोषणा की। इसका उद्देश्य बैंकिंग, पेंशन और बीमा सेवा के जरिए समाज के कमजोर वर्गों का वित्तीय समावेश करना है। इससे पूर्व योजनाओं के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकेगा और कमजोर वर्गों को वित्तीय स्वतंत्रता और स्थिरता मिलेगी। इस योजना के तहत देश भर में 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए।

इन योजनाओं से स्पष्ट रूप से उजागर होता है कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों के समावेशी सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। जैसा कि कहा गया है, गरीबी को खत्म करने और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा ऐतिहासिक पहल की गई है। ❑

संदर्भ

1. आशु (2014)। मेजर्स फॉर फाइनांशियल इंक्लूजन इन इंडिया, इंटरनेशनल जरनल इन कॉमर्स, आईटी एंड सोशल साइंसेज़, 1(1), 13 -24।
2. बदाजेना एस. एन. और प्रो गुंडिमेडा एच. (2010)। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज मॉडल एंड फाइनांशियल इंक्लूजन इन इंडिया at%http%//skoch.in/fir/role izfr'kr20 izfr'krfinancial izfr'kr20 izfr'krincl usion izfr'kr20 ij miyCèk
3. चक्रवर्ती, के.सी., (2011)। फाइनांशियल इंक्लूजन एंड बैंक्सः इश्यूज़ एंड परस्पेक्टिव्सः फाइनांशियल इंक्लूजनः पार्टनरशिप बिटवीन बैंक्स, एमएफआईज़ एंड कम्यूनिटीज़ विषय पर आयोजित फिक्की-यूएनडीपी सेमिनार में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2011
4. चरण सिंह, (2014)। फाइनांशियल इंक्लूजन इन इंडियाः सेलेक्ट इश्यूज, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूर, वर्किंग पेपर संख्याः 474
5. गुप्ता राजीव, हांडा डिंपी और गरिमा (2014)। एन इंपेरिकल एनालिसिस ऑफ फाइनांशियल इंक्लूजन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल जरनल ऑफ इंटरडिस्प्लिनरी एंड मल्टीडिस्प्लिनरी स्टडीज़, 1(5), 41-48
6. जोसफ, जे और वर्गीज़ टी. (2014)। रोल ऑफ फाइनांशियल इंक्लूजन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जरनल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 5(11), 6-15
7. रंगराजन सी. (2008)। वित्तीय समावेश पर समिति रिपोर्ट, भारत सरकार, जनवरी
8. रंजीनी और वरदराज बापट (2015)। डीपनिंग फाइनांशियल इंक्लूजन बियांड एकाउंट ओपनिंगः रोड एहेड फॉर बैंक्स। व्यापार परस्पेक्टिव्स एंड रिसर्च, 3(1), 52-65
9. राव एस.के. (2010)। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्सः एन एंकर फॉर फाइनांशियल इंक्लूजन, बैंक क्वेस्ट, अंक -8, संख्या-3, पेज-17-24।
10. शाह, पी., और दुभाषी, एम. (2015)। रिव्यू पेपर ऑन फाइनांशियल इंक्लूजन - द मीन्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। चाणक्य इंटरनेशनल जरनल ऑफ व्यापार रिसर्च, 1(1), 37-48
11. शेख, एच. (2015)। अ स्टडी ऑन रीसेंट मेजर्स फॉर आरबीआई ऑन फाइनांशियल इंक्लूजन प्लान ऑफ बैंक्स। इंटरनेशनल जनरल, 3(10), 82-88

नामांकन प्रारंभ

राजनीति विज्ञान
(वैकल्पिक विषय)
– डॉ. मंजेश कुमार
(दिल्ली विश्वविधालय)

Delivering Unmatched Quality...
M. KUMAR'S ACADEMY
(An Institute for IAS)
Add: 102 Top Floor, Mukherjee Tower Near Batra Cinema Police Booth Mukherjee Nagar, Delhi- 9
9958341713, 8800708540

YH-914/2018

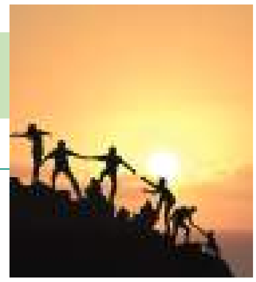

उच्च शिक्षा से सामाजिक बदलाव

एस श्रीनिवास राव
सुंदरेशा डी एस

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए बदलाव की जमीन पहले से तैयार है और वे शिक्षा की अहमियत को लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, जिससे उन्हें समतावादी उच्च शिक्षा प्रणाली और समाज हासिल करने में मदद मिलती है। इस बात में कोई शक नहीं कि बेहतर गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा की उपलब्धता और उसके बाद सुरक्षित रोज़गार के मौके ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे इन समूहों के लिए सामाजिक सशक्तीकरण का स्पष्ट जरिया हैं

इस 'सामाजिक तथ्य' के बारे में ज्यादातर लोगों को पता है कि कुछ जातियां और जनजाति अन्य जातियों और जनजातियों की तुलना में ज्यादा सुविधासंपन्न हैं। इसी तर्क के लिहाज से कहा जाए तो कुछ अन्य जातियां और जनजातियां अन्य वर्गों के मुकाबले ज्यादा वंचित और गरीब हैं। इस सामाजिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए संविधान ने अपेक्षाकृत कम साधनों वाले और वंचित समूहों (अनुसूचित जाति के लिए उनके पारंपरिक दर्जे पर आधारित उनकी संरचनात्मक कमियों के कारण और भौगोलिक अलगाव की वजह से अनुसूचित जनजाति के लिए) के लिए विशेष सुरक्षा और सकारात्मक उपायों का प्रावधान किया है। मसलन इन समुदायों से भेदभाव और अत्याचार के खिलाफ कानून बनाए गए हैं और इसके तहत छूआछूत (अनुसूचित जाति के मामले में) के चलन पर पाबंदी और जमीन और रिहायश के अधिकारों की सुरक्षा (अनुसूचित जनजाति के लिए), शिक्षा और रोज़गार में छात्रवृत्ति और आरक्षण का प्रावधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए) जैसे कदम उठाए गए हैं। और हाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों समुदाय के लोगों की बेहतरी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बजट के तहत सरकार के विभिन्न विभागों में उप-योजना बनाई गई है। दरअसल, उप-योजना के प्रावधानों के कारण पिछले दशक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच उद्यमी और व्यापारिक वर्ग तैयार होने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

'नव' व्यापारिक वर्ग के एक छोटे से हिस्से के तौर पर उभरने की बढ़ती महत्वाकांक्षा से पहले देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच 'नई' पढ़ी लिखी मध्य वर्ग की पीढ़ी का उभार देखने को मिला। इस बाबत अध्ययनों में कठोर सामाजिक ढांचे के भीतर बदलाव लाने में शिक्षा और रोज़गार को लेकर सकारात्मक नीतियों की भूमिका को लेकर काफी कुछ कहा गया है। बेशक, यह दावा किया जा सकता है कि उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान भारत में आजादी के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच 'नया' मध्य वर्ग तैयार करने का मुख्य साधन है। उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सख्ती से आरक्षण लागू किए जाने से पहली पीढ़ी के ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को सामाजिक बदलाव संबंधी बाधा पार करने के लिए प्रेरणा मिली और इस तरह से उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक – तमाम मोर्चों पर सशक्तीकरण हुआ।

नतीजतन, इस तरह के सशक्तीकरण का असर शैक्षणिक और सामाजिक लिहाज से नजर आता है। एक तरह से ये असर चक्रीय हैं। सरकारी नीतियों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शिक्षा हासिल करने के लिए सशक्त बनाया और इससे उन्हें अपनी सामाजिक और राजनीतिक हैसियत को

एस श्रीनिवास राव जाकिर हुसैन सेंटर फॉर एजुकेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ईमेल: srinivas.zhces@gmail.com
सुंदरेशा डी एस, जाकिर हुसैन सेंटर फॉर एजुकेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में शोधार्थी हैं। ईमेल: dssundresh@gmail.com

सुधारने में मदद मिली। इसके परिणास्वरूप उनके लिए शिक्षा के बेहतर और व्यापक अवसर के नए ठिकाने खुले।

पहली बात यह कि वंचितों के लिए सामाजिक सशक्तीकरण का बड़ा असर यह है कि इसने रोज़गार के लिए अच्छी और प्रासंगिक शिक्षा हासिल करने की उनकी आकांक्षाओं को बढ़ाया। हर इलाके और राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच साक्षरता के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। प्राथमिक शिक्षा में भी दाखिले के मामले में तेजी आई है। स्कूल छोड़ने की दर में महत्वपूर्ण गिरावट हुई है और विभिन्न स्तर पर स्कूलों में टिकने का प्रतिशत सुधरा है। हालांकि, अब भी यह चिंता का विषय बना हुआ है। प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक से उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ने के मामले में भी सुधार हुआ है।

उच्च शिक्षा में भागीदारी और सशक्तीकरण

साामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया ने उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भागीदारी बढ़ाई, जो बेहतर जीवन, सामाजिक हैसियत और आर्थिक अवसरों का आधार है। पिछले 15 सालों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सकल नामाकंन अनुपात में जबरदस्त सुधार हुआ है। मिसाल के तौर पर अनुसूचित जनजाति समुदाय ने 2014-15 में सकल नामांकन अनुपात में अपनी भागीदारी बेहतर करते हुए 19.1 फीसदी का आंकड़ा हासिल किया, जबकि 2005-06 में यह आंकड़ा महज 8.4 फीसदी था। इसी तरह, अनुसूचित जनजाति समुदाय ने उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात का रिकॉर्ड बेहतर किया। इसके तहत 2005-06 में इस बाबत आंकड़ा 6.6 फीसदी था, जो 2014-15 में बढ़कर 13.17 फीसदी से ज्यादा हो गया।

दरअसल, सरकारी नीतियों के जरिये इस संबंध में जोर दिए जाने कारण इन दरों में साल 1999-2000 से लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। इस दौरान यानि नई सहस्राब्दि के पहले दशक में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान निर्माण की नई लहर देखने को मिली। अगर हम 1999-2000 में अनुसूचित जाति का सकल नामांकन अनुपात (5.09 फीसदी) पर विचार करें, तो 2014-15 तक इस संबंध में वृद्धि तकरीबन चार गुना हो जाती है। हालांकि, अनुसूचित जनजाति के मामले में वृद्धि सिर्फ दोगुनी (1999-2000 में 6.43 से 2014-15 में 13.7 फीसदी) हुई (राव, 2017: 159; भारत सरकार, 2016: पृ. 29 और 31)।

निचले दर्जे, पारंपरिक कामकाज से ऊंचे दर्जे और आधुनिक कामकाज की तरफ बढ़ने के बदलाव से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के बीच काफी सामाजिक बदलाव आया है और उन्हें सम्मान भी मिला है। उदारीकरण के बाद के दौर में एक और घटनाक्रम यह देखने को मिला है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदाय के ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल उच्च शिक्षा और रोज़गार के लिए विदेश जा रहे हैं और अपने मेजबान देशों में प्रवासी समूह भी बना रहे हैं।

इसके उलट, बिना आरक्षण वाली कैटेगरी समेत सभी समूहों में सकल नामांकन अनुपात 2005-06 में 11.6 था, जो 2014-15 में 24.3 फीसदी हो गया।

इन आंकड़ों से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। साल 2000 से 2015 के दौरान उच्च शिक्षा में सभी समूहों की भागीदारी में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। अनुसूचित जाति के मामले में यह बढ़ोतरी और तेज रही। इस जबरदस्त बढ़ोतरी से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी जबरदस्त फायदा हुआ। मिसाल के तौर पर 2005-06 (अनुसूचित जाति की महिलाओं का 6.4 फीसदी और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का 4.7 फीसदी) से 2014-15 (अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 18.2 फीसदी और अनुसूचित जनजाति महिलाओं का 12.3 फीसदी) के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी तकरीबन तीन गुना बढ़ गई।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा में भागीदारी में यह जबरदस्त उछाल इन समूहों के बीच सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए शिक्षा की जरूरत को लेकर नई जागरूकता का संकेत है। इसका यह भी मतलब है कि उच्च शिक्षा के फायदे के दायरे में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पहली पीढ़ी के लोग शामिल हुए हैं। जाहिर तौर पर वे सामाजिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया से जुड़े हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राएं सिविल सेवाओं में सर्वोच्च स्तर पर नौकरियों को भरने में सक्षम हैं और इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और विश्वविद्यालयों में शिक्षण जैसे उच्चस्तरीय प्रोफेशनल कोर्स में भी भागीदारी का स्तर बदल रहे हैं। इसके फलस्वरूप हाल में इन जातियों और जनजातियों के पेशेवर कामकाजी प्रोफाइल और मध्य वर्गीय ढांचे में अहम बदलाव हुआ है। हालांकि, यहां पर इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि चतुर्थ श्रेणी की ज्यादातर नौकरियां (प्राइवेट और सरकारी क्षेत्रों में निचले स्तर की नौकरी) में बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं।

इसकी वजह जल्द स्कूल छोड़कर संगठित रोज़गार के क्षेत्र में निचले स्तर की सेवाएं हासिल करने वालों की बढ़ती संख्या भी हो सकती है। बहरहाल, निचले दर्जे, पारंपरिक कामकाज से ऊंचे दर्जे और आधुनिक कामकाज की तरफ बढ़ने के बदलाव से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के बीच काफी सामाजिक बदलाव आया है और उन्हें सम्मान भी मिला है। उदारीकरण के बाद के दौर में एक और घटनाक्रम यह देखने को मिला है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल उच्च शिक्षा और रोज़गार के लिए विदेश जा रहे हैं और अपने मेजबान देशों में प्रवासी समूह भी बना रहे हैं। यह वंचितों और शोषितों द्वारा हासिल जबरदस्त सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण की अहमियत को बयां करता है। इसके उलट, यह भी कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में भी इन समुदायों के खिलाफ अत्याचार और भेदभाव के मामले प्रकाश में आते रहते हैं, जो उपलब्धियों को थोड़ा हल्का कर देते हैं।

कुछ चिंताएं

बहरहाल, इस सिलसिले में कुछ चिंताएं स्पष्ट हैं। सामाजिक रूप से वंचित समूहों पर उच्च शिक्षा पर निजीकरण के हावी होने का प्रतिकूल असर काफी अहम है। दरअसल, निजीकरण की यह प्रक्रिया उच्च शिक्षा की हसरत रखने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सामाजिक बदलाव की संभावनाओं को सीमित करती जान पड़ती है। इसके दो मायने निकाले जा सकते हैं। पहला यह कि चूंकि साल 2000 के बाद उच्च शिक्षा में अधिकांश बढ़ोतरी निजी पेशेवर शिक्षा के क्षेत्र में हुई है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बड़े हिस्से तक इसकी उपलब्धता नहीं है, क्योंकि इन संस्थानों में आरक्षण की सुविधा नहीं है। नतीजतन, उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की अधिकांश भागीदारी सामान्य उच्च शिक्षा से जुड़ी है। इसका मतलब यह है कि रोज़गार पाने की उनकी संभावनाएं अच्छी नहीं हैं।

दूसरी बात यह कि निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण नहीं है, जहां फिलहाल बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पाए जाते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राएं या तो बचे रह जाते हैं या शिक्षित बेरोज़गार बन जाते हैं। ये दो मुद्दे आजादी के बाद तेज हुई सामाजिक बदलाव की रफ्तार को सुस्त (वंचितों के लिए) कर देते हैं।

इसके अलावा, तमाम समूहों (खास तौर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों में) लैंगिक समानता गंभीर मुद्दा बना हुआ है। उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन अब भी वे पुरुषों के मुकाबले काफी पीछे हैं। अहम बात यह है कि शहरी इलाकों की अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की स्थिति उनके ग्रामीण समकक्षों के मुकाबले काफी अच्छी है। इसका आशय यह है कि महिलाओं का बड़ा तबका उस सामाजिक बदलाव से फायदा नहीं उठा पा रहा है, जो उच्च शिक्षा की व्यापक उपलब्धता के जरिए हो रहा है। यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाले शहरी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाएं मुख्य तौर पर सकारात्मक नीतियों की दूसरी पीढ़ी की लाभार्थी हैं। इससे यह भी जाहिर होता है कि आम तौर पर सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की पहली पीढ़ी का बड़ा हिस्सा (खास तौर पर महिलाएं) सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए नीतिगत ढांचे और अवसरों के दायरे से बाहर है। इस बिंदु पर और जोर देने की खातिर हमें रोज़गार के संगठित क्षेत्रों के भीतर ग्रामीण इलाके के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की हालत की पड़ताल करनी चाहिए।

संगठित रोज़गार क्षेत्र से जुड़ी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की ग्रामीण आबादी की निराशाजनक तस्वीर पेश करता है, जिसमें (संगठित रोज़गार) प्रवेश के लिए कुछ हद तक शिक्षा जरूरी शर्त है। साथ ही, यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच सबसे ज्यादा वंचित लोगों के पक्ष में सकारात्मक नीति नहीं बनाए जाने के बारे में भी दर्शाता है।

शिक्षित लोगों से जुड़े रोज़गार परिदृश्य की निराशाजनक तस्वीर के बीच चिंता की एक और वजह सरकारी क्षेत्र में नौकरियों का लगातार कम होना है। उदारीकरण के बाद के दौर में निजीकरण के बढ़ते प्रचलन के परिणामस्वरूप सरकारी नौकरियों का विस्तार नहीं हो रहा है। और निजी क्षेत्र में किसी तरह का आरक्षण नहीं है, जो पढ़े-लिखे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के सशक्तीकरण की प्रक्रिया को सुस्त कर देता है और पूरी तरह रोक देता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच रोज़गार की कमी के कारण इन सामाजिक समूहों की शिक्षा में दिलचस्पी और कम होगी।

लिहाजा, पिछले कुछ दशकों में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की स्थिति में अहम सुधार हुआ है, लेकिन इसमें काफी सुधार होना अभी बाकी है। हालांकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए बदलाव की जमीन पहले से तैयार है और वे शिक्षा की अहमियत को लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, जिससे उन्हें समतावादी उच्च शिक्षा प्रणाली और समाज हासिल करने में मदद मिलती है। इस बात में कोई शक नहीं कि बेहतर गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा की उपलब्धता और उसके बाद सुरक्षित रोज़गार के मौके ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे इन समूहों के लिए सामाजिक सशक्तीकरण का स्पष्ट जरिया हैं। ❑

संदर्भ

- भारत सरकार (जीओआई), 2016। शैक्षणिक आंकड़े - एक नजर, मानव संसाधन विकास मंत्रालयः नई दिल्ली, पेज 25, 29, और 31। http%//mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics/ESG2016_0.pdf.
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक-आर्थिक और जाति संबंधी सर्वे 2011, http%//secc.gov.in

300 से अधिक परिणाम देने वाला संस्थान

IAS मंत्रा

UPSC PT-2019
को कैसे करे
Secure?

- परंपरागत/करेंट का समग्र अध्ययन
- नियमित छात्र-शिक्षक संवाद
- 5000 से अधिक परंपरागत एवं समसामयिक विषयों पर आधारित प्रश्नो की प्रैक्टिस
- विश्लेषण क्षमता विकसित करने के लिए प्रतिदिन मैन्स पर आधारित प्रश्नों की Answer Formatting

मंत्रा टीम

- आशीर्वाद सर — Eco, Sci-Tech, Env.,Current Affairs (12 years)
- नवीन कुमार सर — Geo, Motivational Speaker (4 years)
- प्रतीक सर — History, Art & Culture (6 years)
- के.आर. सुमन सर — Polity & Governance (5 years)

Our Programme

करेंट अफेयर्स
हिन्दी/English

MORNING BATCH
9:30AM प्रत्येक रविवार

EVENING BATCH
5:30PM प्रत्येक शनिवार और रविवार

G.S.
Pre- 2019 & Mains

Online Classes Available

Pendrive Course Available

Answer writing Practice
- प्रति सप्ताह करेंट आधारित प्रश्न
- One to one feedback
- Answer discussion

TEST SERIES
P.T & Mains

A-40/41, 302, TOP FLOOR, ANSAL BUILDING, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09
011-47060374, 9871270825
www. iasmantra.in
youtube/iasmantra

YH-897/2018

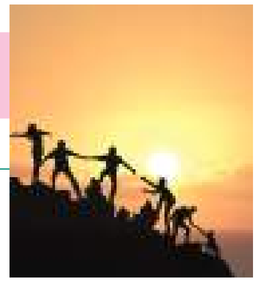

उद्यमिता विकास से कमजोर और वंचितों का सशक्तीकरण

सुनील शुक्ला

> देश में सामाजिक रूप से पिछड़े और हाशिए पर मौजूद लोगों के बीच (खास तौर पर वैसे लोग जो भेदभाव के शिकार हैं, उद्यमिता संबंधी क्षमताओं को बढ़ावा देकर सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर बहुआयामी प्रगति हासिल की जा सकती है। इसे भेदभाव की सामाजिक बीमारी से निपटने के लिए सकारात्मक कारगर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है

एक विकासशील अर्थव्यवस्था को अपने कार्यक्रमों और अभियानों में समावेशी होने की जरूरत होती है, ताकि समाज के सभी तबके को सशक्त बनाया जा सके। पिछले 7 दशकों में भारत ने हर वर्ग के लिए आर्थिक सशक्तीकरण के मौके मुहैया कराने के लिए रणनीतिक तौर पर दखल दिया है। इसके बावजूद समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की खातिर कदम उठाने के लिए काफी गुंजाइश बची हुई है। इस वर्ग के पास सामाजिक और आर्थिक सीढ़ी पर आगे की तरफ बढ़ने के लिए सामाजिक पूंजी की कमी है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, दिव्यांग और महिलाओं को सामाजिक दाग के कारण कई मौकों पर अलगाव का सामना करना पड़ता है। हमारी आबादी के दिव्यांग तबके को भी कभी-कभी रहन-सहन में खराब स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच विषमता जैसी स्थितियां लगातार बढ़ रही हैं।

अगर इस आबादी का कमजोर तबका लिंग और दिव्यांगता के लिहाज से टुकड़ों में बांटा जाता है, तो इस तरह के आंकड़े परेशान करने वाले हैं। उदारीकरण और आर्थिक प्रगति के कई साल बीत जाने के बाद भी संसाधनों और अवसरों की एक समान उपलब्धता और समावेशी विकास का लक्ष्य अब तक पूरा नहीं किया जा सका है।

अनुकूल सामाजिक माहौल

नीति आयोग के लिए 'प्रथम' की तरफ से किए गए अध्ययन में शामिल होने वाले अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों के तकरीबन 70 फीसदी प्रतिनिधियों ने अपने शहरी समकक्षों के उलट 'स्व-रोज़गार' और उद्यमी बनने की बात कही (द इंडियन एक्सप्रेस 2016)। अध्ययन के नतीजे इस तथ्य की तसदीक करते हैं कि देश के युवा (खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में) गरीबी और बेरोज़गारी की चुनौती से निपटने की खातिर उद्यमिता के लिए तैयार हो रहे हैं। भारत उत्साह और साहस से लैस युवाओं का देश है। अगर हम युवाओं के जनसांख्यिकी स्वरूप को देखें, तो इनमें से ज्यादातर ग्रामीण इलाकों के वंचित समुदायों से आते हैं, जो संसाधनों का अभाव वाले माहौल में रहते हैं। हालांकि, इन लोगों के अंदर उद्यमिता के लक्षण हैं, जिन्हें सफल उद्यमी बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है। नए उत्पाद का आविष्कार, नए समाधान और महत्वपूर्ण खोज के जरिए जटिल सामाजिक समस्याओं को सुलझाने जैसी बातें इन युवाओं को आकर्षित करती हैं। वे समाज में बदलाव का प्रतिनिधि बनने की हसरत रखते हैं। इसके तहत उन्हें नए व्यापार के तौर पर अपने सोच को आगे बढ़ाने के लिए भरोसेमंद समर्थक प्रक्रिया के साथ सही सलाह की जरूरत होती है, ताकि वे अपनी सोच को सफल व्यापार में तब्दील कर सकें।

दुनिया में उद्यमिता की गतिशीलता को लेकर सबसे बड़े सालाना अध्ययन 'द ग्लोबल आंत्रप्रेन्योरिशिप मॉनिटर (जीईएम)' की 2016-17 की रिपोर्ट में 'उद्यमिता संबंधी नीयत' की दर बढ़कर 14.9 फीसदी होने की बात कही गई है, जबकि 2015-16 में यह आंकड़ा 9 फीसदी था। इसी तरह अध्ययन के मुताबिक 'असफल होने का डर' संबंधी मामले 2016-17 में घटकर 37.5 फीसदी हो

डॉ. सुनील शुक्ला भारत उद्यमिता विकास संस्थान के निदेशक और वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर, भारत के राष्ट्रीय टीम लीडर हैं। ईमेल: sunilshukla@ediindia.org

गए, जबकि 2015-16 में यह आंकड़ा 37.5 फीसदी था।

'द ग्लोबल आंत्रप्रेन्योरिशिप मॉनिटर' रिपोर्ट 2016-17 में बताया गया है कि भारत में तकरीबन 44 फीसदी वयस्क को लगता है कि व्यापार शुरू करने के लिए उनके पास अच्छे मौके हैं, जबकि 44 फीसदी का मानना है कि उनके पास व्यापार शुरू करने की क्षमता है। इसी तरह, एम्वे उद्यमिता इंडिया रिपोर्ट 2015 में बताया गया कि सर्वे में शामिल 30 फीसदी प्रतिनिधियों ने 'अपना व्यापार शुरू करने' की योजना का जिक्र किया। इस अध्ययन में 21 राज्यों के अलग-अलग आय समूहों, अलग-अलग शैक्षणिक पृष्ठभूमि के पुरुष-महिला दोनों को शामिल किया गया। यहां जिन दो अध्ययनों का जिक्र किया गया है, उनके नतीजों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उद्यमिता का भविष्य बेहतर है, क्योंकि समाज में इसको लेकर धारणा तेजी से बदली है। यह देश में उद्यमिता के विकास का शुभ संकेत है।

चुनौतियां और अवसर

हाशिए पर मौजूद लोगों में शिक्षा और कौशल की कमी उनकी राह में बड़ी बाधा है। इसके परिणामस्वरूप उनके पास काम और जिम्मेदारियों को अंजाम देने को लेकर आत्मविश्वास की कमी होती है। खास तौर पर महिलाओं में इस तरह के आत्मविश्वास की कमी को देखा जा सकता है। उद्यमिता को लेकर प्रेरणा और प्रशिक्षण के साथ कौशल विकास के जरिए इन कमियों को दूर किया जा सकता है। युवाओं के बीच आत्मविश्वास पैदा करने और उनका उत्साह बढ़ाने में कार्यशाला और सेमिनार सेशन जांचा-परखा उपाय साबित हुए हैं।

इस दिशा में रणनीतिक नियोजन के जरिए समाज के वंचित तबकों को स्वरोज़गार से जुड़े अवसरों के लिए तैयार किया जा सकता है। रणनीतिक नियोजन के तहत उद्यमिता से जुड़े प्रशिक्षण, सलाह-निर्देशन पर फोकस किया जाना चाहिए।

वित्तीय साधनों की कमी, जोखिम का डर और संबंधित काम के बारे में जानकारी का अभाव जैसी वजहें लोगों को अपना उद्यम खड़ा करने से रोकती हैं। जमीनी स्तर पर हुए अध्ययनों की मानें तो कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा, पर्याप्त पूंजी और बाजार ढांचा की कमी आदि ग्रामीण उद्यमी के लिए प्रमुख बाधा की तरह हैं। साथ ही, शिक्षा की कमी के कारण भी ग्रामीण उद्यमियों को विभिन्न सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है और उनके पास काबिलियत का अभाव होता है (सक्सेना, 2012, पेज 24)। लिहाजा, वे अक्सर खुद को स्वरोज़गार के काम में प्रवेश करने से दूर रखते हैं और दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते रहते हैं।

ग्रामीण उद्यमिता से जुड़ी इन संभावनाओं और चुनौतियों के मद्देनजर उद्यमिता का ग्रामीण ढांचे के संदर्भ में आकलन जरूरी है। संबंधित इलाके की प्रकृति और जरूरतों के मुताबिक उद्यमिता के लिए उचित विकास कार्यक्रम तैयार करने की खातिर बाजार की आंतरिक परिस्थितियों और व्यापक नीतिगत तंत्र पर उसकी निर्भरता के बीच अंतर-सबंधों को समझना जरूरी है।

उद्यमिता विकास से संबंधित पहल के जरिये समाज के वंचित तबकों को सशक्त बनाने की बहुस्तरीय रणनीति

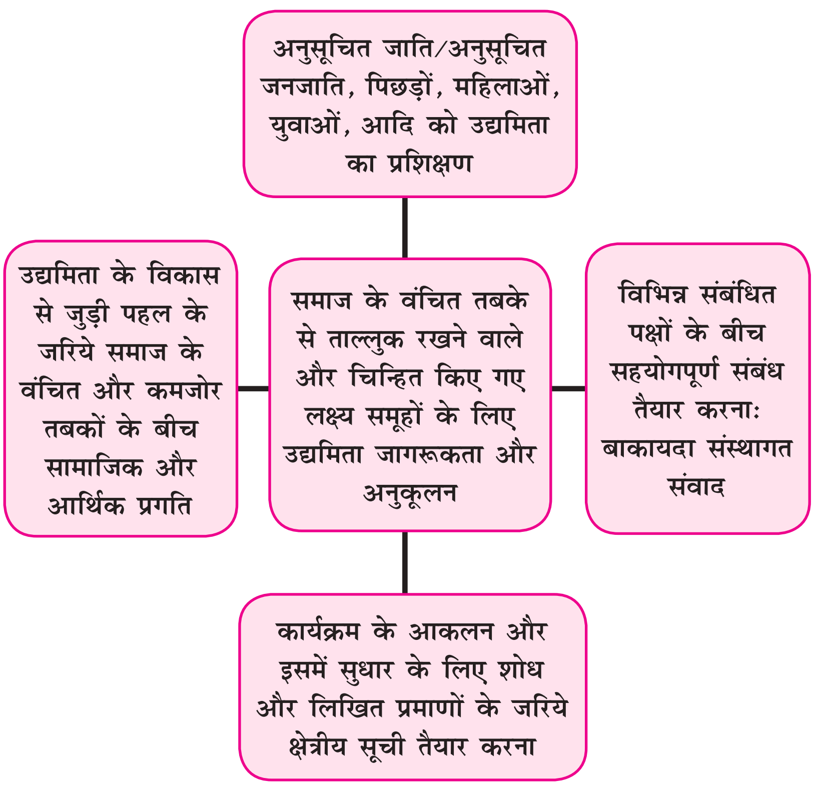

1990 के बाद भारत में हुए आर्थिक सुधारों के बाद देश में अनुसूचित जाति वर्ग की उद्यमिता में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन निजी उद्यमियों के मालिकाना हक में उनका प्रतिनिधित्व और उनके द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए रोज़गार पैदा करने के आंकड़े (अय्यर, खुराना और वार्ष्णेय, 2011) काफी कम हैं। अनुसूचित जाति के मालिकाना हक वाले उद्यमों में कर्मियों की अपेक्षाकृत कम भागीदारी के बारे में अय्यर का कहना है कि अनुसूचित जाति के मालिक अब तक उद्यमिता की उन बाधाओं को पार नहीं कर पाए हैं, जिससे ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मालिक निपटने में सक्षम हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति के कारोबारी को व्यवसाय के क्षेत्र में भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उनमें प्रतिस्पर्धा में टिकने की क्षमता की भी कमी होती है। इस वजह से अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए अपने कारोबार का विस्तार करना मुश्किल होता है। डीआईसीसीआई ने वंचित समुदायों के युवाओं के सशक्तीकरण के लिए कई प्रशंसनीय कदम उठाए हैं। उपरोक्त चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा नीतिगत स्तर पर इस तरह के फैसले लिए गए हैं:

पीएमएमवाई योजना के तहत 12 करोड़ लाभार्थियों को 6 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं और कुल 12 करोड़ लाभार्थियों में से 28 फीसदी (यानी 3.25 करोड़) पहली बार उद्यमी बने हैं। साथ ही, इस बात का उल्लेख करना भी जरूरी है कि तकरीबन कर्ज लेने के मामले में 74 फीसदी (तकरीबन 9 करोड़) महिलाएं हैं और 55 फीसदी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं। तीन साल में इस योजना के तहत समाज के सबसे निचले पायदान पर मौजूद लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि, इस मामले में अभी काफी कुछ हासिल किया जाना बाकी है।

स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम

स्टार्ट-अप इंडिया एक्शन प्लान के तहत भारत सरकार ने फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्ट-अप (एफएफएस) के तहत स्टार्ट-अप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया था। इस फंड का मकसद अगले 4 साल में इन कंपनियों को मदद मुहैया करना था। नए उद्यम के लिए फंड जीवन-रेखा की तरह होते हैं। इस रकम का भुगतान भारत लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के जरिए होता है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक एफएफएस के लिए सिडबी को 600 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सिडबी द्वारा जहां 605.7 करोड़ रुपए का वादा किया गया है, वहीं 17 वैकल्पिक निवेश फंडों (एआईएफ) को 90.62 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस तरह का निवेश कुल 337.02 करोड़ रहा है और इसे तकरीबन 75 स्टार्ट-अप तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में किए गए दावों के मुताबिक, आयकर अधिनियम की धारा 80 आईएसी के तहत कुल 74 स्टार्ट-अप को टैक्स में छूट दी गई है। बेशक, इन उपायों से स्टार्ट-अप की संभावनाओं में बढ़ोतरी और देशभर में उद्यमियों में जान फूंके जाने की उम्मीद है, लेकिन स्टार्ट-अप इंडिया अभियान युवाओं और उद्यमिता की हसरत रखने वालों के लिहाज से अपनी छाप छोड़ने के मामले में अब तक रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। पिछले दो साल में इसके तहत वास्तविक एफएफएस की काफी कम रकम का ही इस्तेमाल हो पाया है। उद्यमी बनने की आकांक्षा रखने वालों को सूचना और सीखने से जुड़े संसाधन मुहैया कराने के लिए वर्चुअल स्टार्ट-अप इंडिया हब तैयार किया गया था। इस पोर्टल के जरिए अब तक 75,453 सवालों का निपटारा किए जाने का दावा किया गया है और स्टार्ट-अप इंडिया हब पर 15,000 रजिस्टर्ड यूजर हैं। स्टार्ट-अप इंडिया अभियान के तहत नए उद्यमियों के लिए बनाए गए लर्निंग और डिवेलपमेंट मॉड्यूल का अब तक 1,89,000 लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। बेशक यह पहल तारीफ के योग्य है, लेकिन भारत जैसे देश में इसका असर काफी कम है। यहां यह भी बताना प्रासंगिक हो सकता है कि संबंधित सरकारी विभाग ने विभिन्न उपायों के जरिए उद्यमिता के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में उपयुक्त कदम उठाए हैं।

स्टैंड-अप इंडिया संबंधी पहल

स्टैंड-अप इंडिया पहल के तहत तकरीबन 1.25 लाख बैंक शाखाओं को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को फंड मुहैया कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसके तहत देशभर में 2.5 लाख नए उद्यमी बनाने की बात है। इस पहल के जरिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक शख्स और एक महिला को स्टार्ट-अप इंडिया स्कीम के तहत हर बैंक शाखा द्वारा 10 लाख से 100 लाख तक का ऋण देने का मकसद है, ताकि उनके बीच उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। इस योजना से मौजूदा वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रेडिट गारंटी स्कीम के निचले पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक, तकरीबन 2.5 लाभार्थियों को इससे फायदा

होगा। दरअसल, समाज में जमीनी स्तर पर आर्थिक सशक्तीकरण और रोज़गार सृजन के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने के मकसद से यह स्कीम तैयार की गई थी। इस स्कीम के तहत अब तक 60,795 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और 13,217 करोड़ रुपए को मंजूरी दी जा सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर 103 बैंकों की 1,33,236 शाखाएं स्टैंड-अप इंडिया वेब पोर्टल पर सक्रिय हैं और कर्ज के लिए 10084 आवेदन सौंपे गए हैं, जिनमें कुल 2,908 ऋण की मंजूरी दी गई है।

मुद्रा योजना (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमएमवाई)

माइक्रो यूनिट्स डिवेलपमेंट एंड री-फाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) स्टैंड-अप इंडिया पहल के तहत कार्यक्रम से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने की खातिर वित्तीय इकाई है। मुद्रा वित्तीय संस्थानों को फंड मुहैया कराता है, जो देश में छोटी इकाइयों को छोटे स्तर पर कर्ज देते हैं। बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), एमएफआई आदि द्वारा दिए गए छोटे ऋण में गड़बड़ी की स्थिति में भुगतान के मकसद से माइक्रो इकाइयों लिए क्रेडिट गारंटी फंड भी तैयार किया गया। इन छोटे ऋण की भी श्रेणियां तैयार की गई हैं, जिन्हें 'शिशु', 'किशोर' और 'तरुण' नाम दिया गया है। यह श्रेणी फर्म के विकास की स्थिति और उसकी फंडिंग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। पीएमएमवाई योजना के तहत 12 करोड़ लाभार्थियों को 6 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं और कुल 12 करोड़ लाभार्थियों में से 28 फीसदी (यानी 3.25 करोड़) पहली बार उद्यमी बने हैं। साथ ही, इस बात का उल्लेख करना भी जरूरी है कि तकरीबन कर्ज लेने के मामले में 74 फीसदी (तकरीबन 9 करोड़) महिलाएं हैं और 55 फीसदी अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं। तीन साल में इस योजना के तहत समाज के सबसे निचले पायदान पर मौजूद लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि, इस मामले में अभी काफी कुछ हासिल किया जाना बाकी है। लगातार निगरानी बनाए रखने का तंत्र और उद्यमिता के लिए सलाह और निर्देशन से मुद्रा के सहयोग वाले उद्यमों के लिए गुंजाइश बढ़ेगी और अगर ये उद्यम वृद्धि के रास्ते पर टिके रहे, तो सरकार ज्यादा से ज्यादा रोज़गार पैदा कर सकती है।

स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) का भी एलान 2014-15 के बजट सत्र के दौरान किया गया था, जिसका मकसद सरकार प्रायोजित वित्तीय सहयोग की मदद से स्व-रोज़गार मौकों को हासिल करने के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित करना था। एसवीईपी को मुख्य तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मदद देने और माइक्रो-क्रेडिट ऋण और अन्य सहयोग के जरिए वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल करने के मकसद से तैयार किया गया है।

उद्यमिता से जुड़े मामलों की नियमित तौर पर देखरेख, समय-समय पर परामर्श व निर्देश और माइक्रो फाइनेंस और स्वयं सहायता समूहों की संभावनाओं का इस्तेमाल कर छोटे उद्यमों के विकास के लिए एकीकृत नीति संबंधी रणनीति के जरिए सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को प्रतिस्पर्धी उद्यमी में बदला जा सकता है, जो हमारे देश की आर्थिक आकांक्षाओं को रफ्तार दे सकते हैं। इसके अलावा, उद्यमिता संबंधी प्रेरणा के साथ आजीविका से जुड़े कौशल और रोज़गार प्रशिक्षण पर काम करने के दो मकसद हैं। एक तरफ रोज़गार पैदा करने का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ बिना इस्तेमाल के मौजूद संसाधनों और अवसरों का दोहन करने की भी बात है।

इसके लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उप-योजना के तहत काम करने का प्रस्ताव पेश किया गय था। इस आइडिया पर अमल के मौजूदा चरण (2015-2019) में एसवीईपी ने 24 राज्यों के 125 ब्लॉकों से जुड़े तकरीबन 1.82 लाख ग्रामीण उद्यमों के सृजन और उसे मजबूत करने की दिशा में अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। इससे तकरीबन 3.78 लाख लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है। इस पहल के शुरू होने से ग्रामीण उद्यमिता के परिदृश्य को लेकर जागरूकता और सक्रियता बढ़ गई है। ग्रामीण उद्यमों को टिकाऊ बनाने के मकसद से हर क्षेत्र को उद्यमिता से जोड़ने के लिए इस योजना के अमल की प्रक्रिया और बेहतर बनाई जा सकती है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह मानना उचित होगा कि देश में सामाजिक रूप से पिछड़े और हाशिए पर मौजूद लोगों के बीच (खास तौर पर वैसे लोग जो भेदभाव के शिकार हैं, उद्यमिता संबंधी क्षमताओं को बढ़ावा देकर सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर बहुआयामी प्रगति हासिल की जा सकती है। इसे भेदभाव की सामाजिक बीमारी से निपटने के लिए सकारात्मक कारगर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उद्यमिता से जुड़े मामलों की नियमित तौर पर देखरेख, समय-समय पर परामर्श व निर्देश और माइक्रो फाइनेंस और स्वयं सहायता समूहों की संभावनाओं का इस्तेमाल कर छोटे उद्यमों के विकास के लिए एकीकृत नीति संबंधी रणनीति के जरिए सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को प्रतिस्पर्धी उद्यमी में बदला जा सकता है, जो हमारे देश की आर्थिक आकांक्षाओं को रफ्तार दे सकते हैं। इसके अलावा, उद्यमिता संबंधी प्रेरणा के साथ आजीविका से जुड़े कौशल और रोज़गार प्रशिक्षण पर काम करने के दो मकसद हैं। एक तरफ रोज़गार पैदा करने का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ बिना इस्तेमाल के मौजूद संसाधनों और अवसरों का दोहन करने की भी बात है। ❑

संदर्भ

1. एम्वे उद्यमिता रिपोर्ट भारत: 2015
2. द इंडियन एक्सप्रेस (3 फरवरी, 2016,)। डीयर मोदी सरकार, स्टार्ट अप इंडिया इज फाइन, बट व्हाट एबाउट रूरल आंत्रप्रेन्योरशिप? http%//indianexpress.com/article/blogs/start&up&india&is&fine&but&what&about&rural&entrepreneurship/
3. अय्यर, आई., खन्ना, टी, एंड वार्ष्णेय, एण (2011)। कास्ट एंड आंत्रप्रेन्योरशिप इन इंडिया, हार्वर्ड व्यापार स्कूल, 4
4. सक्सेना, एस. (2012, अगस्त)। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रूरल आंत्रप्रेन्योर्स एंड रेमेडीज टू सॉल्व इट, आईओएसआर जर्नल ऑफ व्यापार एंड मैनेजमें, 3(1), 23-29।
5. शुक्ला एस., (2018)। जीईएम इंडिया रिपोर्ट-2016-17। इमरल्ड पब्लिशिंग इंडिया, नई दिल्ली।

Give the best ★ Take the best

निर्माण IAS

सफलता का पर्याय कमल देव (K.D.)

सा. अध्ययन

फाउण्डेशन बैच - 2019

(निःशुल्क कार्यशाला के साथ)

AUGUST 2nd week

वैकल्पिक विषय

इतिहास | भूगोल

AUGUST 2nd week

DELHI

ENQUIRY OFFICE: 631 Ground Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

HEAD OFFICE: 996 1st Floor, Mukherjee Nagar (Near Gandhi Vihar Bandh) Delhi-110009

PH.: 011-47058219, 9911581653, 9717767797

ALLAHABAD	GWALIOR	JAIPUR
10/14, Elgin Road, Civil Line, Allahabad (U.P.):- 211001, Ph:- 09984474888	2/3 Aziz Complex, New Khera Pati Colony Phool Bagh Gwalior (MP), Ph. : 09753002277	M-85, JP Phatak Under Pass Jaipur Ph. : 7580856503

You can also visit our digital platform YouTube NIRMAN IAS APP

Website : www.nirmanias.com

E-mail : nirmanias07@gmail.com

YH-873/2/2018

पूर्वांचल IAS

An initiative for sustainable Education

PURVANCHAL IAS IN GORAKHPUR(UP)
TARGET-2019 (UPSC & UPPCS)

हिन्दी & ENGLISH माध्यम

Free Seminar on 9 August

IN GORAKHPUR(UP) with

VAIBHAV SRIVASTAV
RANK-98-2017

SHIVANI GUPTA
RANK 121, -2017

YOGNIK BAGHEL
RANK, 340, 2017

FOUNDATION BATCH START 10 AUG.

Vision

इस संस्था का मूल उद्देश्य उन विद्यार्थियों के सपनों को साकार करना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तथा उन महिला अभ्यार्थियों के लिए जिनका दिल्ली जाना सम्भव नहीं हो पाता है।

Note

- पूर्वांचल के विद्यार्थियों को अब दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं।
- 50% से भी कम फीस की दर पर हैदराबाद तथा दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अब गोरखपुर में कक्षाएँ एवं मार्गदर्शन।
- आर्थिक रूप से कमजोर (BPL) तथा महिला विद्यार्थियों के लिए फीस में विशेष छूट (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अर्न्तगत)
- कुल 5% Seats शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए Reserve है जहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इनका Admission मेरिट / परीक्षा के आधार पर होगा।

Under the guidance of Dr. Ravi Agrahari & Team

(PhD from IIT Delhi, working Scientist in IIT Delhi, Author of Mc Graw Hill, Faculty of UPSC exam from Last 17 years with 500+ selection)

विशेषताएं (Specifications):

• Highly experience faculties from Delhi & Hyderabad • Regular test & answer writing session • Newspaper Analysis • Seminars & motivational speech by selected students • Provide basic to advance level classes (from NCERT) • Weekly Current updates • Test series facilities & Regular Current updates with Youtube channels.

ACHIEVERS

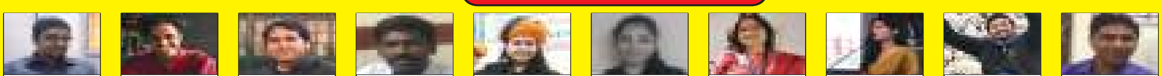

Siddharth Jain Rank-13, 2015
Pulkit Garg Rank-27, 2015
Charchit Gaur Rank-96, 2015
Joseph Mathew Rank-574, 2016
Swati Nokhwal Rank-765, 2016
Gurleen Kaur Rank-146, 2015
Bhumika Saini Rank-664, 2016
Shweta Chauhan Rank-8, 2016
Rahul Namdeo Dhote Rank-209, 2016 (Hindi)
Swapnil Wankhade Rank-132, 2015
and many more...

PURVANCHAL IAS

House No.2, पैडलेगंज पुलिस चौकी के पास, मुहल्ला : इन्द्रानगर, गोरखपुर

0551-2255462,6393641090, 9911809808

Website: www.purvanchalias.com | e-mail: purvanchalias@gmail.com

YH-896/2018

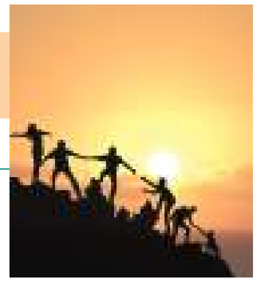

दिव्यांगजनों के सामाजिक सशक्तीकरण का सूत्र

संध्या लिमये

हालांकि, सामाजिक सशक्तीकरण का लक्ष्य समावेशी शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक एकीकरण जैसे अलग तौर-तरीकों के जरिए भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन यह भी कार्य प्रणाली का खास तरीका है, जहां सामाजिक समावेशन की राह आसान करने के लिए साधन, पद्धति और दृष्टिकोण मौजूद हैं। लिहाजा, दिव्यांग लोगों को सामाजिक सशक्तीकरण हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करने की खातिर सामाजिक नीतियां और सुविधाएं कारगर औजार हो सकती हैं

दिव्यांग भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूहों में से एक हैं। उन्हें लंबे समय से उपेक्षा, अभाव, अलगाव और बहिष्कार झेलना पड़ा है। भारत में दिव्यांग लोग अब भी उत्पीड़ित और हाशिए पर हैं और उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन और पूर्ण नागरिकता से जुड़े अवसर भी नहीं मुहैया कराए गए। दरअसल, उनको लेकर समाज का दकियानूसी और पूर्वग्रह भरा रवैया रहा है, जिसके तहत दिव्यांगों को हीन, अक्षम, अपर्याप्त और परिवारिक संसाधनों और समाज पर बोझ माना जाता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक, भारत में दिव्यांगों की कुल संख्या 2 करोड़ 68 लाख 14 हजार हैं, जो कुल आबादी का 2.21 फीसदी हैं। दिव्यांगों में सबसे ज्यादा संख्या चलने-फिरने में लाचार लोगों (54.37 लाख) की है। इसके बाद सुनने में अक्षम (50.73 लाख) और नेत्रहीन लोगों (50.33 लाख) की संख्या है।

दिव्याग जनों के पुनर्वास के क्षेत्र में अब पेशेवरों का फोकस दिव्यांगों के अधिकारों, अवसरों की समानता और मुख्यधारा के समाज में उनके एकीकरण पर है। अब आधिकारिक तौर पर इस बात को स्थापित किया जा चुका है कि बाकी लोगों की तरह दिव्यांग लोगों की भी आर्थिक, भावनात्मक, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जरूरतें हैं। इस मामले में हमने लंबा सफर तय कर लिया है, लेकिन अभी भी हमें दिव्यांगों को सशक्त बनाने के तहत उनके लिए समावेशी, बाधा-रहित और अधिकार संपन्न समाज बनाने की खातिर काफी कुछ करना है।

सशक्तीकरण शब्द का मतलब अलग-अलग सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ में अलग-अलग होता है, मसलन खुद की ताकत, नियंत्रण, अपने अधिकारों, स्वतंत्रता और खुद से फैसले लेने के हक के लिए लड़ने की क्षमता। सशक्तीकरण व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर प्रासंगिक है और यह संसाधनों पर किसी के अधिकार को बढ़ाने और जिंदगी को प्रभावित करने वाले फैसलों के मामलों में आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक जरिया हो सकता है। सामाजिक सशक्तीकरण सामाजिक कार्यों और सामुदायिक विकास के सिद्धातों और चलन का व्यापक दायरा है। सामाजिक कार्यों में सशक्तीकरण दरअसल संसाधन से जुड़े हस्तक्षेप में व्यावहारिक रुख अपनाने का मामला है।

दिव्यांगों के सामाजिक सशक्तीकरण के लिए सरकारी पहल

दिव्यांगों के कल्याण और सशक्तीकरण के मकसद के तहत नीतिगत मुद्दों पर फोकस और गतिविधियों पर जोर देने की खातिर 12 मई 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से हटाकर अलग दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग बनाया गया। इस विभाग का मुख्य मकसद सामाजिक सशक्तिरण समेत विभिन्न पहलुओं पर फिर से काम करना है।

दिव्यांगों को उपकरण खरीद/फिटिंग के लिए सहायता

इस योजना के तहत पिछले तीन साल में (2014-2017) के दौरान मदद के तौर पर 430.98 करोड़ रुपए के ग्रांट का इस्तेमाल

लेखिका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में दिव्यांग अध्ययन और कार्य केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनको व्यक्तिगत और पारिवारिक, दोनों स्तरों पर सामुदायिक, शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करने और दिव्यांगों के लिए काम करने का 32 वर्ष से भी अधिक का अनुभव है। उनके दिव्यांगता के विभिन्न पहलुओं पर आधारित कई आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। ईमेल: limaye.sandhya@gmail.com, slimaye@tiss.edu

किया गया। इससे देशभर के 5,625 कैंपों के जरिये दिव्यांग श्रेणी के 7.03 लाख लोगों को फायदा हुआ। पहली बार अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, 2014 के मौके पर एडीआईपी योजना के तहत कर्णावर्त तंत्रिका प्रत्यारोपण (कॉक्लीयर इंप्लांट) को शुरू किया गया और इसे देशभर के 172 अस्पतालों से जोड़ा गया। इस दौरान इस तरह की सर्जरी के तकरीबन 794 मामलों को अंजाम दिया गया (एडीआईपी के 667 और सीएसआर के तहत 127 मामलों को) और तमाम मामलों को ऑपरेशन के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया में बढ़ाया जा रहा है। एडीआईपी योजना के तहत विभाग गंभीर अक्षमता के शिकार दिव्यांगों को 37,000 रुपए की कीमत वाला मोटर से लैस ट्राईसाइकिल सब्सिडी के जरिये 25,000 रुपए में देता है। बाकी 12,000 रुपए का इंतजाम एमपी लैड/एमएलए फंड/राज्य सरकार के सहयोग/खुद लाभार्थी) द्वारा किया जाता है। ऐसे में 3,639 लाभार्थियों को पिछले 3 साल में मोटरसाइकिल मिली। लिहाजा, ऐसी सहायता/उपकरणों से दिव्यांगों को ज्यादा स्वायत्तता और गतिशीलता हासिल करने में मदद मिलती है और इससे सामाजिक भागीदारी और समग्रता की राह बनती है।

मिशनरी अंदाज में तकनीक विकास परियोजनाएं

दिव्यांगों के लिए तकनीक के इस्तेमाल के जरिये उपयुक्त और किफायती मदद और उपकरण मुहैया कराने, रोज़गार के मौके बढ़ाने और समाज में उन्हें एकीकृत करने के मकसद से 1990-91 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत शोध और विकास से संबंधित उपयुक्त परियोजनाओं की पहचान की जाती है और मदद व उपकरण विकसित करने के लिए फंड मुहैया कराए जाते हैं। इस योजना को आईआईटी, अन्य शैक्षणिक संस्थानों, शोध एजेंसियों और स्वैच्छिक संगठनों के जरिये लागू किया जाता है। इसके लिए 100 फीसदी वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। चार तकनीक सलाहकार समूह परियोजनाओं के चयन की निगरानी करते हैं और अलग-अलग चरणों में इसकी प्रगति का भी जायजा लिया जाता है। संबंधित तकनीकी सलाहकार समूह द्वारा सिफारिश की गई। सभी परियोजनाओं को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव की अगुवाई वाली उच्चस्तरीय कमेटी के सामने पेश किया जाता है।

दिव्यांगों के लिए माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस)

इस योजना के तहत 14 साल या उससे ऊपर के दिव्यांग बच्चों को सरकारी, स्थानीय संस्था से जुड़े या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नौवीं से बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई के लिए मदद मुहैया कराई जाती है। इस योजना के जरिये प्राथमिक स्कूलों से माध्यमिक स्कूलों में जाने वाले दिव्यांग बच्चों की पहचान की जाती है और उन्हें उनकी अक्षमता की खातिर मदद व उपकरण, पठन सामग्री, आने-जाने की सुविधा, छात्रावास की सुविधाएं, छात्रवृत्ति, किताबें, मददगार तकनीक आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा पूरा करने के लिए भी कई तरह की छात्रवृत्ति मिलती है। इस तरह की समावेशी शिक्षा दिव्यांगों को बाकी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाई का इंतजाम सुनिश्चित करती है और इस तरह से समावेशन का मार्ग प्रशस्त होता है।

सुगम्य भारत अभियान

प्रधानमंत्री ने 3 दिसंबर 2015 को इस अभियान की शुरुआत की थी। इसका मकसद मौजूदा इमारतों, परिवहन के साधनों, सूचना और संचार तकनीक के परितंत्र में दिव्यागों के लिए पूर्ण सुगम्यता उपलब्ध कराना था। यह अभियान दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल के सिद्धातों पर आधारित है, जिसके तहत दिव्यांगता की वजह सामाजिक ढांचा है, न कि किसी शख्स की सीमाएं और दुर्बलताएं। इस सिलसिले में जागरूकता फैलाने और बिल्डर व कार्यकर्ता समेत तमाम मुख्य संबंधित पक्षों को इसके प्रति संवेदशील बनाने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम सघन तरीके से काम कर रही है। इसको लेकर एक वेब पोर्टल भी बनाया गया है, जहां लोग किसी बिल्डिंग की प्रवेश संबंधी सुगमता के बारे में तस्वीरें अपलोड करने के साथ-साथ टिप्पणी भी कर सकते हैं।

दिव्यांग कानून के अमल के लिए योजना (एसआईपीडीए)

यह व्यापक रेंज वाली योजना है, जिसके तहत कौशल विकास, बाधा रहित माहौल तैयार करने, कुछ संस्थानों को फील्ड में चलाने और इस कानून के अमल से संबंधित बाकी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। मिसाल के तौर पर यह योजना दिव्यांग कानून की धारा 46 के तहत दिव्यांगों के लिए अहम सरकारी बिल्डिंग में बाधा-रहित माहौल मुहैया कराती है। इसके तहत रैंप के लिए प्रावधान, रेल में सुविधा, लिफ्ट, व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वालों के लिए शौचालय, स्पर्श योग्य फर्श की सुविधा आदि शामिल हैं।

दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)

इस योजना के तहत दिव्यांगों के पुनर्वास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराई जाती है। इसका मकसद 18 उप-घटकों के जरिये उन्हें शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक

कामकाज के अधिकतम स्तर तक पहुंचाने और उसे बनाए रखने में मदद करना है।

सूचना, संचार और तकनीक (आईसीटी)

किसी शहर में दिव्यांगों के अनुकूल सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में सूचना मुहैया कराने के लिए मोबाइल एप लॉन्च किया जाएगा। मोबाइल संचार के जरिये भी दिव्यांगों को कई नई सुविधाएं मिलती हैं। इस क्षेत्र में लगातार नए उपकरणों को विकसित किया जा रहा है - मसलन कंप्यूटर के लिए आवाज पहचाने वाल प्रोग्राम। यह एटीएम, बैंक, मॉल, शौचालय आदि जगहों पर मौजूद होगा और इसमें इस्तेमाल करने वाले इस बात के लिए भी रेटिंग दे सकेंगे कि ये ठिकाने किस हद तक दिव्यागों के लिहाज से अनुकूल हैं।

सरकार नेत्रहीनों के लिए के लिए टीवी कार्यक्रमों को ज्यादा उपयोगी बनाने की खातिर सेट टॉप बॉक्स भी पेश करने की तैयारी में है। फिलहाल उनके लिए संकेत भाषा के साथ एकमात्र समाचार बुलेटिन है। सरकार अगले पांच साल में 200 लोगों को संकेत भाषा (साइन लैंग्वेज) में प्रशिक्षित करेगी। इस तरह का भाषा का इस्तेमाल 25 फीसदी से भी ज्यादा कार्यक्रमों में किया जाएगा और इसकी शुरुआत दूरदर्शन से की जाएगी। इन कवायदों का मकसद टेलीविजन को दिव्यांगों के और अनुकूल बनाना है। सरकारी वेबसाइट पर मौजूद लिखित सामग्री को भी नेत्रहीनों के लिए स्क्रीन रीडर प्रोग्राम के जरिये स्पीच मोड में बदला जाएगा।

जागरूकता और प्रचार-प्रसार

इस योजना को 2014 को शुरू किया गया था, जिसका मकसद केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा दिव्यांगों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट फिल्म मीडिया के साथ-साथ मल्टी मीडिया के जरिये व्यापक प्रचार-प्रसार करना है। इस प्रचार-प्रसार के जरिये दिव्यांगों के सामाजिक समावेशन के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना, उनके कानूनी अधिकारों के बारे में सूचना देना और ऐसे लोगों की खास जरूरतों के प्रति नियोक्ताओं और बाकी ऐसे समूहों को संवेदनशील बनाने की बात है। योजना के तहत दिव्यांगों के लिए हेल्पलाइन मुहैया कराना और उनके पुनर्वास के लिए कंटेंट तैयार करने का भी मामला शामिल है।

निष्कर्ष

दिव्यांग जनों के लिए बेहतर जीवन स्तर हासिल करने की खातिर सामाजिक सशक्तीकरण बेहद जरूरी है और यह सतत प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। सामाजिक सशक्तीकरण आम तौर पर चार निम्नलिखित स्तरों पर लागू किया जाता है: (1) व्यक्तिगत स्तर पर-जहां कोई शख्स खुद की अहमियत को समझता है और जीवन में सक्रियता से भागीदारी निभाता है, (2) पारिवारिक स्तर पर, जहां परिवार को अपने दिव्यांग सदस्यों के सामाजिक पुनर्वास के लिए सलाह, निर्देश और सहयोग मिलता है, (3) समुदाय के स्तर पर, जहां जागरूकता अभियान को अंजाम दिया जा सकता है; सरकारी नीतियों के साथ-साथ समुदाय से सामाजिक सहयोग के कारण सामाजिक समावेशन का मार्ग प्रशस्त होता है, जहां कोई आदमी-औरत अपने निजी हालात और समावेशी माहौल में फलता-फूलता/फलती-फूलती है। और (4) सभी दिव्यांगों के लिए सामाजिक समानता और समावेशन को बढ़ावा देने की खातिर सामाजिक नीतियों का स्तर इस तरह की स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों को प्रभावित करता है। हालांकि, सामाजिक सशक्तीकरण का लक्ष्य समावेशी शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक एकीकरण जैसे अलग तौर-तरीकों के जरिये भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन यह भी कार्य प्रणाली का खास तरीका है, जहां सामाजिक समावेशन की राह आसान करने के लिए साधन, पद्धति और दृष्टिकोण मौजूद हैं। लिहाजा, दिव्यांग लोगों को सामाजिक सशक्तीकरण हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करने की खातिर सामाजिक नीतियां और सुविधाएं कारगर औजार हो सकती हैं। ❑

SIHANTA IAS

कोर्स निर्धारण एवं संचालनः– रजनीश राज एवं डॉ. अभिषेक (Evolution IAS)

फाउंडेशन बैच

सामान्य अध्ययन

निःशुल्क परिचर्चा के साथ बैच प्रारंभ

26 JULY 12:00PM

इतिहास

वैकल्पिक विषय

द्वाराः रजनीश राज

SHISHIR GEMAWAT
AIR-35
(CSE-2017)

निःशुल्क परिचर्चा के साथ बैच प्रारंभ

9 August 8:30AM

सायंकालीन बैच

6:30PM

विशेषताएं

सर्वांगीण अध्ययन

बहुस्तरीय उत्तर लेखन

समयबद्ध कोर्स समापन

सर्वोत्तम परिणाम

For Free Registration, SMS/whatsapp<Your Name> to 8743045487

अधिक जानकारी के लिए 8743045487 पर व्हाट्सएप करें या हमारी वेबसाइट www.sihantaias.com देखें

Plot No. 8-9, Flat No. 301-302, Ansal Building, Comm. Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi -9

Ph:011-42875012 8743045487 web: www.sihantaias.com

YH-910/2018

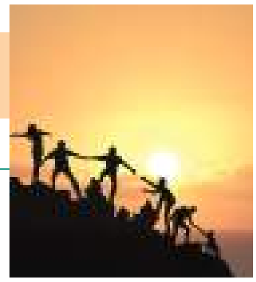

आत्मसम्मान और गरिमामय जीवन की अपेक्षा

शीलू श्रीनिवासन

बुजुर्ग नागरिकों में सक्रियता की गौरवपूर्ण अभिव्यक्ति आत्मसम्मान का मामला होता है। भारत में बुजुर्ग नागरिक प्रसिद्धि, नाम, पैसा, संपत्ति नहीं बल्कि सम्मान चाहते हैं। सक्रिय और उपयोगी के तौर पर खुद को देखा जाना भी उनके लिए आत्मसम्मान में इजाफे की तरह है। बुजुर्ग नागरिक अपनी बाकी जिंदगी आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जीना चाहते हैं

'सक्रिय बुढ़ापे' की धारणा ठोस वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित है। इसके मुताबिक प्रौढ़ता या बुढ़ापा का मामला शारीरिक ताकत के स्तर व शारीरिक और मानसिक गतिविधियों के बीच लगातार होने वाली अंत:क्रिया से जुड़ा है। साथ ही, ज्यादातर मानसिक क्रियाओं के मामले में उम्र संबंधी ह्रास को वास्तव में उल्टा किया जा सकता है।

'सेनजेनिक्स' हाल में इस बारे में आगामी व्यावहारिक इलाज के तौर पर उभरा है और अमेरिका के लास वेगस जैसे शहरों में यह उभरती सनक की तरह है, जो अपने यहां आने वाले को 'अमरता' (AMORTALITY) सुनिश्चित करता है (टाइम, 25 अप्रैल 2011)।

जराविज्ञान और न्यूरोमनोविज्ञान के क्षेत्र में हुए शोध दिखाते हैं कि मानसिक गतिविधियों के कारण स्नायु तंत्र में नए द्रुमाश्म (डेंडराइट) पैदा होते हैं, जो बाकी स्नायु से संपर्क स्थापित करते हैं। जब दिमाग खाली होता है, तो द्रुमाश्म सिकुड़ने लगते हैं। आसान शब्दों में कहें, तो अगर कोई शख्स समस्याओं को हल करना बंद देता है, तो वह धीरे-धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, जहां वह समस्याओं को नहीं सुलझा जा सकता। सबक यह है कि सक्रिय रहें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो बुढ़ापा और इससे जुड़े भयंकर ह्रास को आप दूर भगा सकेंगे। विकल्प आपके हाथ में है!

वैसे अकादमिक सिद्धांतों की तारीफ करना बुरी बात नहीं है, जो वास्तव में लंबे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। मसलन 'ह्रास' का सिद्धांत, न्यूरोएंडॉक्राइन का सिद्धांत, विकासवाद बनाम जैविक इतिहास का सिद्धात, कैलोरी नियंत्रण का सिद्धांत, सार्थक प्रौढ़ता का सिद्धांत आदि। दरअसल, इस तरह के ज्ञान रोजमर्रा की जिंदगी को भर सकते हैं और बुजुर्गों को इस तरह का 'उपयोगी' रुख अपनाने के लिए खुद से संकेत मिल सकते हैं। जब मैं प्रौढ़ता-बुढ़ापा पर शोध की पड़ताल करती हूं, तो खुद भी काफी उत्साहित हो जाती हूं।

ग्वारेंते, एल एंड केन्यॉन, सी, नेचर 408 (मैगजीन) के मुताबिक, 'पिछले एक दशक में बुढ़ापा (एजिंग) के क्षेत्र में शोध का मामला पूरी तरह से बदल गया है। एक जीन बदलने के बाद वैसे जानवर युवा हो जाते हैं, जिन्हें बूढ़ा होना चाहिए। जहां तक इंसानों का सवाल है, तो यह असर कुछ-कुछ वैसा होगा, मानो 90 साल का एक शख्स 45 साल के शख्स की तरह दिखता और महसूस करता हो। इस आधार पर हम सोचना शुरू कर सकते हैं कि बीमारी के तौर पर बुढ़ापे को ठीक किया जा सकता है या कम से कम इसे टाला जा सकता है। एजिंग के क्षेत्र में धमाके की शुरुआत हो रही है, क्योंकि कई लोग बुढ़ापा के कारणों और शायद युवाओं की उत्पत्ति की खोज की संभावनाओं को लेकर काफी उत्साहित हैं।' ज्ञान सबसे बुनियादी हस्तक्षेप है, जो 'बुढ़ापा के सिद्धांत' को दूर भगाने में मददगार है। बुढ़ापा के सिद्धांत से मतलब बुजुर्ग लोगों के बारे में झूठी परंपरागत धारणाओं से है।

बहरहाल, ये तमाम चीजें पश्चिमी दुनिया की व्यस्त दुनिया में हावी हैं। भारत में हम अब भी 60 साल से ज्यादा के 9.1 करोड़ लोगों के लिए भोजन, आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं, बीमा, आय सुरक्षा आदि मुद्दों की खातिर जूझने के दौर में हैं।

लेखिका डिग्निटी फाउंडेशन और डिग्निटी लाइफस्टाइल रिटायरमेंट टाउनशिप की संस्थापक अध्यक्ष और डिग्नी डायलॉग पत्रिका की संपादक हैं। वे वृद्धजन से जुड़ी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय समितियों की सदस्या रह चुकी हैं। ईमेल: sheilu.sreenivasan@dignityfoundation.com

जनसांख्यिकी संबंधी आंकड़ों के मद्देनजर इस तरह के मौके मुहैया कराने में अलग-अलग गैर सरकारी संस्थाओं की पहल बेहद अहम है। ऐसा लगता है कि सरकार से ज्यादा एनजीओ सेक्टर इस सिलसिले में

इन मामलों में इस देश की सरकारों से बड़े पैमाने पर दखल की जरूरत के बावजूद कुछ ऐसे खास क्षेत्र हैं, जहां गैर सरकारी संस्थाएं और खास समूह जुड़ सकते हैं। इस लेख में वैसे क्षेत्रों पर ही फोकस होगा।

दरअसल, एक ऐसे समाज में कोई क्या करे, जब बुजुर्ग लोगों को लेकर नकारात्मक छवि और इसके कारण उनसे भेदभाव का मामला काफी व्यापक है। यह बुनियादी समस्या है। मिसाल के तौर पर मुंबई के ई ए अब्राहम (81 साल) संस्कृत सीखने के लिए स्थानीय कॉलेज में एक कोर्स में दाखिला लेना चाहते थे। उनकी उम्र के कारण उनके दाखिले की मांग सभी जगहों पर खारिज कर दी गई। ऐसे में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री के लिए काम करना शुरू किया, क्योंकि इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं थी। 75 साल की उम्र में उन्होंने सफलतापूर्वक संस्कृत में डिग्री हासिल की।

सक्रिय बुजुर्गों को अवसर नहीं देने की कई मिसालें बुजुर्गों के लिए निकलने वाली मासिक पत्रिका 'डिग्निटी डायलॉग' में प्रकाशित होती हैं, जहां ग्राहक (बुजुर्ग)अपने दुख, निराशा, मोहभंग और यहां तक कि विश्वासघात के बारे में बयां करते हैं।

साथ ही, भारत में फिलहाल बुजुर्गों को संरचनात्मक अवसर मुहैया कराने के लिए प्रावधान नहीं हैं। भारत ऐसे वक्त में बुजुर्ग लोगों से इस चुनौती का सामना कर रहा है, जब देश में बढ़ती उम्र के लोगों का आंकड़ा यूरोप और जापान की तरह बढ़ रहा है। समाजशास्त्री और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ पार्थनाथ मुखर्जी ने जुलाई 1996 में बुजुर्गों के 'दीक्षांत समारोह' को संबोधित करते हुए कहा था, 'देश के जनसांख्यिकी संबंधी आंकड़ों के मद्देनजर इस तरह के मौके मुहैया कराने में अलग-अलग गैर सरकारी संस्थाओं की पहल बेहद अहम है। ऐसा लगता है कि सरकार से ज्यादा एनजीओ सेक्टर इस सिलसिले में नए-नए आइडिया के साथ काम कर रहे हैं।' दरअसल, यह वैसे बुजुर्गों का 'दीक्षांत समारोह' था, जिन्होंने अपनी क्लास में सफलतापूर्वक कंप्यूटर सीखा था और यह क्लास सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही होती थी।

सामाजिक कार्यकर्ता और समाजशास्त्र की छात्रा होने और बुजुर्गों की बेहतरी के लिए सेवाएं देने के तौर पर मेरा यह अनुभव रहा है कि पढ़े-लिखे मध्यम वर्ग के बुजुर्ग ज्ञान की जरूरत और उपयोगी बुजर्ग गतिविधियों को अपनाने में काफी तेज हैं। पश्चिमी देशों में सेवानिवृति के बाद बुजुर्ग जहां छुट्टियां, मौज-मस्ती, अच्छा भोजन को प्राथमिकता देते हैं, वहीं इसके उलट भारतीय बुजुर्ग सामाजिक कार्य से जुड़े अवसरों को गले लगाने के लिए काफी उत्सुक होते हैं। भारत में सेवानिवृत शख्स अपने जीवन को मौज-मस्ती और आराम में बिताने के बजाय किसी खास मकसद के लिए काम करने पर तवज्जो देते हैं।

ऊपर कही गई बात का सबूत मुंबई में देखा जा सकता है, जहां डिग्निटी फाउंडेशन से जुड़े 663 बुजुर्गों ने मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के साथ मिलकर मुंबई को साफ करने से जुड़ी परियोजना में हिस्सेदारी निभाई। उनका सुबह का टहलना गलियों में झाड़ू लगाने वाले बीएमसी के कर्मचारियों के साथ बातचीत में बदल गया और साप्ताहिक सामाजिक बैठक नगर निकाय समस्याओं को साझा करने और नगर वॉर्ड के अधिकारियों के जरिए समस्याओं का उपाय ढूंढने के लिए होने वाली बैठक में तब्दील हो गई। स्वतंत्रता दिवस का जश्न उनके मुताबिक 'कचरा से मुक्ति' आंदोलन के साथ जुड़ गया। वरिष्ठ नागरिकों ने सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिले मौके को हाथोंहाथ लिया है और इसके तहत वे लोगों को गलियों और सड़कों पर कचरा नहीं फेंकने के अभियान में शामिल करते हैं। उनका 'गली मॉडल' का उदाहरण दिया जाता है, ताकि दूसरे नागरिक भी इसे अपनाएं।

बुजुर्गों ने इस बात का नमूना पेश किया है कि अहाते के भीतर कचरा बीनना और इससे खाद बनाना प्रेरणादायी समाज सेवा है। पर्यावरण के लिए जबरदस्त जोश उनकी (बुजुर्गों) जरूरतों को सक्रिय बनाए रखने और सामाजिक तौर पर एकजुटता में मदद करता है। वे इस बात का प्रमाण हैं कि सामाजिक कार्यों में बुजुर्गों की भागीदारी उनके बुढ़ापे को रोकने का सबसे बेहतर तरीका है।

अगर उनकी हेल्पलाइन की बात करें, तो मिसाल के तौर पर तकरीबन 200 बुजुर्ग स्वयंसेवक सिर्फ मुंबई में अकेले बुजुर्गों को साहचर्य संबंधी सेवाएं मुहैया कराने के काम कर रहे हैं। हेल्पलाइन में काम करने वाली 75 साल की नर्गिस औलिया ने बताया, 'कभी-कभी कॉल करने वाले बुजुर्ग 40 मिनट से भी ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि वे बातचीत में खुद की जिंदगी की कहानी से जुड़ाव महसूस करते हैं।' ये सभी स्वयंसेवक बुरे बर्ताव का शिकार वैसे बुजुर्गों को संतुष्ट करने में सफल रहे हैं, जिन्हें उनके बच्चों या रिश्तेदारों ने संपत्तियों से जुड़े मामलों में परेशान किया। एक और बुजुर्ग का कहना था, 'सामाजिक सहयोग की जरूरत वाले बुजुर्गों से बात कर हम खुद को भी ऊब और अवसाद से मुक्त करते हैं।'

सार्थक बुढ़ापे को उपयोगी काम की सीमाओं में नहीं बांधा जाना चाहिए। करियर की दूसरी पारी या सेवानिवृति के बाद के लक्ष्यों को आदर्श तौर पर काम और आराम के बेहतर मिश्रण की तरह पारिभाषित करना चाहिए। जब उत्पादकता और सार्थकता के दायरे को बढ़ाकर इसमें शारीरिक श्रम से इतर अपनी पसंद और उत्साह से जुड़े कार्यों को शामिल किया जाता है, तो इसका समाजशास्त्रीय महत्व भी होता है।

पहली बात यह कि पीढ़ी के अंतर की राजनीति संबंधी दलीलों में भी यह उपयोगी है। इस बात को दिखाना कि बुजुर्गों की सार्थकता अब भी बनी हुई है, इस धारणा को खारिज करने में भी मददगार होता है कि बुजुर्ग सिर्फ

परिवार/समाज के संसाधनों पर सिर्फ भार की तरह हैं। दूसरा, बुढ़ापे में उत्पादकता और सार्थकता के निश्चित मनोवैज्ञानिक फायदे हैं – मसलन बेहतर स्वास्थ्य, जीवन की संतुष्टि आदि। तीसरा, इसकी सामाजिक प्रासंगिकता है। मसलन, समाज में अलग-थलग रहने के बजाय सामाजिक जुड़ाव और इसमें भागीदारी लेना है।

बुजुर्ग नागरिकों में सक्रियता की गौरवपूर्ण अभिव्यक्ति आत्मसम्मान का मामला होता है। भारत में बुजुर्ग नागरिक प्रसिद्धि, नाम, पैसा, संपत्ति नहीं बल्कि सम्मान चाहते हैं। सक्रिय और उपयोगी के तौर पर खुद को देखा जाना भी उनके लिए आत्मसम्मान में इजाफे की तरह है। जब बच्चा अपनी दादी-नानी को किसी मकसद से जीवन जीते हुए देखता है, तो बच्चे को न सिर्फ अपनी दादी-नानी को लेकर थोड़ा सा गर्व होता है, बल्कि वह उनकी (दादी-नानी) की व्यस्तताओं को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करता है। युवा पीढ़ी अपने सक्रिय माता-पिता और दादा-दादी, नाना-नानी लेकर खुश और गर्व महसूस करती है। हमारी निजी मुलाकातों, पत्राचार और डिग्निटी फाउंडेशन के लेखों और इंटरव्यू से इस तरह के नतीजे सामने आए हैं। बुजुर्ग नागरिक अपनी बाकी जिंदगी आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जीना चाहते हैं।

'बुजुर्गों का त्याग आधारित जीवन' वाला प्राचीन और मध्ययुगीन नजरिया तेजी से बदल रहा है और आधुनिकता के वैज्ञानिक, सांसारिक और व्यक्तिपरक नजरिए का रास्ता तैयार हो रहा है। आजादी के बाद की वैसी भारतीय पीढ़ी के लिए कम से कम यह बात सच है, जिसे उदारवादी शिक्षा का लाभ मिला है।

बुजुर्ग लोग अहम बाजार का हिस्सा हैं, इसे समझना उतना ही जरूरी है, जितना समाज की उत्पादक क्षमता में बुजुर्ग लोगों के योगदान की संभावना को पहचानना। अमेरिकी अखबार 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने छापा था कि 'बुजुर्ग लोगों के इलाज संबंधी व्यवस्था में काफी पैसा है।' भारत में उद्यमियों ने इस क्षेत्र की संभावनाओं पर ध्यान नहीं दिया है। बीमा, आवास, स्वास्थ्य, छुट्टियां बिताने की सुविधाएं आदि को खास तौर पर बुजुर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाने की जरूरत है। फिलहाल गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) को बुजुर्गों के लिए बहुमूल्य सेवाएं मुहैया कराने का काम करना होगा, ताकि बुढ़ापे में भी लोग सार्थक और सक्रिय जीवन जी सकें। मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और पुणे में सितंबर 2011 में डिग्निटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित रिटायरमेंट एक्सपो बुजुर्गों की जरूरत पूरी करने वाले उत्पाद और सेवाओं वाले बाजार की संभावना के बारे में बताता है।

अब वक्त आ गया है कि सरकार देश के बुजुर्गों से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी संख्या में बढ़ रहे इन बुजुर्गों के मायनों पर गंभीरता से विचार करे। यह विषय जटिल और काफी व्यापक है और इसके विविध आयामों से निपटने के लिए विशिष्ट ज्ञान की जरूरत होती है। बुजुर्ग आबादी के व्यापक असर को समझने के लिए हम सरकार से थिंक टैंक बनाने का अनुरोध करते हैं। बुजुर्ग लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 1999 एक शानदार दस्तावेज है, जो अपने नजरिए में बेहद प्रगतिशील है। हालांकि, बुजुर्ग के मामलों में नए-नए पहलू भी जुड़े हैं। मसलन 80 साल से ऊपर के लोगों की ऊंची वृद्धि दर। यह आंकड़ा 700 फीसदी तक पहुंच रहा है। बुजुर्गों की आबादी की वृद्धि दर भी सामान्य आबादी की वृद्धि के मुकाबले 350 फीसदी है। लिहाजा, ऐसी कई योजनाओं पर काम करने की जरूरत है, जो देश के बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा कर सकें। कई एनजीओ सरकार के साथ मिलकर संसाधन जुटाने को तैयार हैं और उनको सरकार की पहल का इंतजार है।

राज्य स्तर पर केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने बुजुर्गों की दिक्कतों को दूर करने के लिए कई प्रशंसनीय योजनाएं पेश की हैं। इसमें एक-दूसरे से सीखने के लिए काफी गुंजाइश है।

इस सिलसिले में राजनीति वर्ग और नौकरशाही को शिक्षित करना संभवत: एनजीओ का आगामी दशक का एजेंडा हो सकता है। बुजुर्ग नागरिकों के कई समूह और कुछ गैर सरकारी संस्थाएं भारत में बुजुर्गों के लिए नीतियों का मसौदा तैयार करने में सरकार के साथ काम करने को लेकर काफी सक्रिय हैं। हालांक, नई दिल्ली में कई मंत्रियों को सक्रिय करने के लिए और लगातार प्रयास करने की जरूरत है। संगठित स्वयंसेवी संस्थाओं और बुजुर्गों के समूहों और संगठनों द्वारा एक सुर में आवाज बुलंद करने और सरकारी विभागों से संवाद के जरिये इसकी शुरुआत हो सकती है। ❑

सामाजिक न्याय के लिए संवैधानिक प्रावधान

हमारा संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय और अवसरों की समानता की गारंटी देता है। यह इस बात को भी मानता है कि समान अवसर का मतलब समान के बीच प्रतिस्पर्धा है, न कि 'असमान' के मामले में ऐसा है।

हमारी सामाजिक संरचना में असमानता को ध्यान में रखने में संविधान के निर्माताओं की दलील थी कि कमजोर तबकों को राज्य द्वारा प्राथमिकताओं के आधार पर सुविधाएं देनी होंगी। लिहाजा, समाज के कमजोर तबकों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए राज्य पर विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी हिसाब से भारत के संविधान ने समतावादी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए विभिन्न अनुच्छेदों के तहत सुरक्षात्मक उपाय किए।

भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहले, तीसरे और चौथे लक्ष्यों में क्रमशः अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा का जिक्र किया गया है:

न्याय- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक

समानता- अवसर और हैसियत की समानता और इसे सबके बीच बढ़ावा देना

बंधुता- व्यक्ति का सम्मान और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना

मौलिक अधिकार

समानता का अधिकार

अनुच्छेद 14- कानून के सामने समानता।

अनुच्छेद 15- धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही

इस अनुच्छेद के तहत राज्य को कोई भी चीज सार्वजनिक मकसद के लिए जरूरी सेवा लागू करने से नहीं रोक सकती और इस तरह की सेवा लागू करने राज्य धर्म, नस्ल, जाति या वर्ग या इनमें किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद 16- सार्वजनिक रोज़गार के मामले में अवसरों की समानता।

अनुच्छेद 17- छूआछूत का खात्मा।

अनुच्छेद 24- फैक्ट्रियों में बच्चों के काम करने पर पाबंदी, आदि। 14 साल से कम के किसी भी बच्चे को किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोज़गार से जुड़ने की इजाजत नहीं होगी।

अनुच्छेद 38- लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

1. राज्य सामाजिक व्यवस्था हासिल कर और इसके संरक्षण के जरिए लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसके तहत राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थानों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात होगी।
2. राज्य खास तौर पर आमदनी के मामले में असमानता को कम करने की हरसंभव कोशिश करेगा और दर्जा, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को खत्म करने का प्रयास करेगा। इस संबंध में सिर्फ लोगों के बीच बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समूहों और अलग-अलग कामकाज से जुड़े समूहों को लेकर भी प्रयास किया जाएगा।

अनुच्छेद 39- राज्य द्वारा नीति के निश्चित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

राज्य इन मकसदों को हासिल करने के मद्देनजर खास तौर पर अपनी नीतियां तैयार करेगा,

(क) नागरिकों-पुरुष और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधन का एक समान अधिकार हो,

(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का मालिकाना हक और नियंत्रण का वितरण इस तरह से किया जाए कि यह ज्यादा से ज्यादा आम

हित में उपयोगी हो सके,

(ग) आर्थिक प्रणाली की गतिविधियों के परिणामस्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण इस तरह से नहीं हो कि यह आम आदमी के लिए नुकसानदेह हो जाए,

(घ) महिला और पुरुष के मामले में एक समान काम के लिए एक समान वेतन मिले,

(ड़) कर्मियों, पुरुषों और महिलाओं और बच्चों की सेहत और ताकत का दुरूपयोग नहीं हो और नागरिक आर्थिक जरूरतों की वजह से वैसा काम-धंधा नहीं करें, जो उनकी उम्र या ताकत के हिसाब से उपयुक्त नहीं हो,

(च) बच्चों को सेहतमंद माहौल और आजादी और गरिमा वाले माहौल में विकसित होने का अवसर और सुविधाएं मिले और बचपन और युवा अवस्था की शोषण और नैतिक व भौतिक परित्याग से सुरक्षा हो सके।

अनुच्छेद 39ए- समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता।

राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी तंत्र का कामकाज समान अवसर के सिद्धांत पर न्याय का मार्ग प्रशस्त करे और उपयुक्त प्रावधानों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया कराया जाएगा कि आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण कोई नागरिक न्याय पाने के अवसर से वंचित नहीं हो सके।

बुजुर्ग और दिव्यांगों से जुड़े प्रावधान

अनुच्छेद 41- काम, शिक्षा और कुछ निश्चित मामलों में सार्वजनिक मदद का अधिकार।

राज्य नीति के सिद्धांत राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं में काम, शिक्षा और बेरोज़गारी, बुढ़ापा, बीमारी और शारीरिक अक्षमता की हालत में सार्वजनिक सहायता का अधिकार मुहैया कराने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।

अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर तबकों से जुड़े प्रावधान

अनुच्छेद 46- अनुसूचित जाति, जनजाति और बाकी कमजोर समुदाय के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना

राज्य विशेष ध्यान के साथ कमजोर समुदायों के लोगों, खास तौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और तमाम तरह के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। इन चीजों को अनुच्छेद 366 (24) और 341 के तहत इस तरह से पारिभाषित किया गया है।

अनुच्छेद 366(24)

(24) अनुसूचित जाति का मतलब ऐसी जातियों, नस्लों या वर्णों या इस तरह की जातियों, नस्लों या वर्णों के भीतर ऐसे समूह से है, जिन्हें इस संविधान के मकसद के लिए अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति माना जाता है;

अनुच्छेद 341

अनुसूचित जातियां

(1) राष्ट्रपति किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में राज्यपाल से सलाह के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए जातियों, नस्लों या समुदायों या जातियों, नस्लों, समुदायों के भीतर समूहों के बारे में स्पष्ट कर सकते हैं, जिन्हें संविधान के उद्देश्य के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मामले में परिस्थितियों के मुताबिक अनुसूचित जाति माना जाएगा।

(2) संसद कानून के जरिए क्लॉज (1) के तहत जारी अधिसूचना में वर्णित अनुसूचित जातियों की सूची से किसी जाति, नस्ल या समुदाय या किसी जाति, नस्ल, समुदाय के भीतर मौजूद समूह को शामिल या बाहर कर सकती है, लेकिन संबंधित क्लॉज के तहत जारी यह अधिसूचना किसी आगामी अधिसूचना के जरिए नहीं बदलेगी।

अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सुरक्षा कवच

सामाजिक सुरक्षा कवच

अनुच्छेद 17- यह समाज में प्रचलित छूआछूत को खत्म करने से जुड़ा है। संसद ने अनुसूचित जाति से छूआछूत के व्यवहार की समस्या से निपटने के लिए नागरिक अधिकार कानून, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार की रोकथाम) कानून, 1989 बनाया।

अनुच्छेद 23- यह मानव तस्करी और भीख मांगने व जबरन श्रम कराए जाने के बाकी तरीकों पर रोक लगाता है और यह भी प्रावधान करता है कि इस दिशा में किसी भी तरह का उल्लंघन सजा के योग्य अपराध होगा। हालांकि, यह अनुच्छेद खास तौर पर अनुसूचित

जाति और अनुसूचित जनजाति से नहीं जुड़ा है, लेकिन बहुसंख्यक बंधुआ मजदूर अनुसूचित जाति समुदाय से है, लिहाजा उनके लिए यह अहम है।

अनुच्छेद 25(2)(बी)- यह कहता है कि सार्वजनिक प्रकृति वाले धार्मिक संस्थान सभी वर्गों और समुदायों के हिंदुओं के लिए खुले होंगे।

आर्थिक सुरक्षा कवच

अनुच्छेद 46- जैसा कि ऊपर बताया गया है।

शैक्षणिक और सांस्कृतिक सुरक्षा कवच

अनुच्छेद 15 (4)- जैसा कि 'मौलिक अधिकार' शीर्षक और 'समानता के लिए न्याय' उपशीर्षक के तौर पर ऊपर जिक्र किया गया है, यह अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों और अनुसूचित जाति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य को विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद ने राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित करने का अधिकार दिया।

अनुच्छेद 335- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए जरूरी अंकों और पदोन्नति में ढील दिए जाने की इजाजत देता है।

राजनीतिक सुरक्षा कवच

अनुच्छेद 243डी- हर पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण।

अनुच्छेद 243टी- हर नगर निकाय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण।

अनुच्छेद 330- लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण।

अनुच्छेद 332- राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण।

अनुच्छेद 334- 60 साल के बाद सीटों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का मामला खत्म हो जाएगा।

नौकरी संबंधी सुरक्षा कवच

अनुच्छेद 16(4)- यह क्लॉज राज्य को लोक सेवा में वैसे किसी भी पिछड़े वर्गों के लिए खाली पद आरक्षित करने की इजाजत देता है, जिनकी लोक सेवा में पर्याप्त नुमाइंदगी नहीं है।

अनुच्छेद 16 (4ए)- यह राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति के मामले में आरक्षण लागू करने की इजाजत देता है।

अनुच्छेद 16 (4बी)- यह राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित नहीं भरे गए पदों को अलग वर्ग की रिक्तियां मानने की इजाजत देता है।

अन्य सुरक्षा कवच

अनुच्छेद 164- मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा में आदिवासियों के कल्याण के लिए मंत्री की नियुक्ति हो।

अनुच्छेद 275- आदिवासियों के कल्याण के लिए विशेष अनुदान, सहायता की इजाजत।

अनुच्छेद 338/338ए/339- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 339 केंद्र सरकार को इस बात की इजाजत देता है कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बेहतरी के लिए राज्यों को योजनाएं लागू करने का निर्देश दे।

अनुच्छेद 340- यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की हालत की पड़ताल के लिए आयोग बनाने और रिपोर्ट को संसद में पेश करने की इजाजत देता है। ❑

योजना
आगामी अंक

सितम्बर 2018
(विशेषांक)
रोज़गार और स्वरोज़गार

VAJIRAO INSTITUTE
HONOUR DISCIPLINE TRADITION
SINCE-1989
29 Years of Excellence
VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
Our Result : Total 179 Selections in Civil Services Exam - 2017
Our Super Achievers CSE - 2017
Rank 2 IAS-2017
Anu Kumari
Rank 3 IAS-2017
Sachin Gupta
Rank 13 IAS-2017
Sagar Kumar Jha
Rank 20 IAS-2017
Badole Girish
Our Super Achievers CSE - 2016
Rank 2 IAS-2016
Anmol Sher Singh Bedi
Rank 7 IAS-2016
Anand Vardhan
Rank 8 IAS-2016
Shweta Chauhan
Rank 16 IAS-2016
Anuj Malik
Rank 19 IAS-2016
Sahil Gupta
Rank 38 IAS-2016
Shailendra Singh
Our Result in Civil Services Examination 2016-17 – Eight positions secured by our students among first 20 including Rank 2, 3, 7, 8, 13, 16, 19 & 20 (Total selections 179)
GENERAL STUDIES
ESSAY
HISTORY
GEOGRAPHY
PUB. ADM.
Hostel Facility available
For Registration
Visit us:
www.vajiraoinstitute.com
New Batches : 20 July & 30 July
Delhi :
Vajirao Campus Office : 19/1A Shakti Nagar, Near DU Campus Nagia Park Delhi. Call : 011-42474428, 080-38380036, 9999458938
Enquiry Branch Office : 51 Mall Road, Kingsway Camp, Near GTB Nagar Metro Station Gate No. 2 Call : 011-47051999, 8171181080
YH-895/2018

THE STUDY

(An Institute for IAS)

Divyam Educom Pvt. Ltd.

Our Destiny in Our Hands

HISTORY

By Manikant Singh

THE STUDY under the expert guidance of MANIKANT SINGH has continued its journey on the path of success.........

बदले हुए परिदृश्य में इतिहास एक अति महत्वपूर्ण वैकल्पिक विषय के रूप में उभरा है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। प्रथम, इसका सामान्य अध्ययन में बहुत बड़ा योगदान (मुख्य परीक्षा प्रथम पत्र में 100 से 110 अंक तथा प्रारंभिक परीक्षा में 40 से 42 अंक) है। दूसरे, यह विषय सरल एवं सुग्राह्य है। अन्त में, इसमें "THE STUDY" जैसे विश्वसनीय संस्थान का सहयोग प्राप्त है।

विश्व इतिहास से बैच प्रारंभ

6th AUGUST

8 AM

Now you can attend the most trusted History classes for UPSC at your home

ONLINE CLASSES

by MANIKANT SINGH

- -Online classes
- -Study Material & latest updates
- -Answer writing practice and Tests

Correspondence Course

(Hindi/English Med.)

- -Complete Study Material
- -Personal guidance
- -Answer writing practice and Tests

Introducing...

Audio/Video Classes for HISTORY (Opt.)

by MANIKANT SINGH

20% discount on first 50 students

10th AUGUST

4 PM

210, Virat Bhawan, IInd Floor, Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9

www.thestudyias.net :: Email: thestudyias@gmail.com /thestudyias

Ph.: 011-27653672, 42870015, 27652263, 9999278966

YH-911/2018

नए समाज की बुनियाद पंचायती राज

पार्थिव कुमार

> पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में कमजोर तबकों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आबादी में उनके अनुपात के बराबर आरक्षण दिया गया है। इस आरक्षण के अंदर कम-से-कम एक तिहाई सीटें इन्हीं समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अन्य पिछड़े तबकों के लिए आरक्षण के प्रतिशत का फैसला करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर कम-से-कम एक तिहाई सामान्य सीटें भी महिलाओं के लिए रखी गई हैं

देश में संविधान के 73वें संशोधन के जरिए लागू तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अवसरों की समानता और सत्ता के विकेंद्रीकरण के महात्मा गांधी के सपने को अमली जामा पहनाने का ठोस प्रयास है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समेत हर तरह के भेदभावों को मिटाने तथा विकास कार्यक्रमों को बनाने और उन पर अमल में सभी तबकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। लिहाजा यह व्यवस्था अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और समाज के हाशिए पर खड़े अन्य सभी समुदायों के सशक्तीकरण में काफी मददगार साबित हो रही है।

‘लोकतंत्र में सबसे कमजोर व्यक्ति को भी वही अवसर मिलने चाहिए जो सबलतम को मिले हुए हैं। भारत के सच्चे लोकतंत्र को केंद्र में बैठे बीस लोग नहीं चला सकते। इसमें गांव को इकाई माना जाएगा और इसका संचालन निचले स्तर से हर ग्रामवासी करेगा।’

– मोहनदास करमचंद गांधी

लोकतंत्र को शासन का सबसे अच्छा स्वरूप इसलिए माना जाता है कि इसमें राजनीतिक फैसलों की प्रक्रिया में सभी नागरिक सीधे या परोक्ष तौर पर शामिल रहते हैं। लेकिन आजादी के समय भारतीय समाज जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, परंपरा और रीति-रिवाज के आधार पर बुरी तरह बंटा हुआ था। समूची व्यवस्था को गिनती के रसूखदार लोगों ने अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था। शिक्षा, राजनीतिक चेतना और धन के अभाव में कमजोर तबकों के लोग सियासत से लगभग पूरी तरह अलग थे। इन तबकों में से जो कुछेक लोग अपने हकों के लिए सामने आते उन्हें ऊंची जातियों और संपन्न वर्गों के जुल्मों का सामना करना पड़ता था। हमारे नेताओं को मालूम था कि इस तरह के भेदभाव के माहौल में एक मजबूत देश का निर्माण नहीं किया जा सकता। एक जीवंत लोकतंत्र के लिए समाज में बदलाव जरूरी था और देश के संविधान को इस दिशा में पहला मजबूत कदम माना जा सकता है।

26 जनवरी, 1950 को लागू किए गए भारत के संविधान की प्रस्तावना में देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने का संकल्प जाहिर किया गया है। इसमें हर व्यक्ति के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। साथ ही, सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता मुहैया कराने का ठोस इरादा भी इसमें व्यक्त किया गया है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न सरकारों ने तीन तरह के कदम उठाए हैं। इनमें से पहला कदम महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े तबकों के खिलाफ भेदभाव को खत्म

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और सामाजिक मुद्दों पर निरन्तर लेखन करते रहे हैं। ईमेलः kr.parthiv@gmail.com

करने के लिए कानून बनाना और उन्हें लागू करना है। दूसरे, इन समुदायों की बेहतरी के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए तथा उन्हें शिक्षा और सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया गया। इसके अलावा वंचितों को राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के मकसद से विधायिका में उनके लिए सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया। लेकिन पंचायती राज कानून निस्संदेह सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रयास स्वतंत्रता के बाद का सबसे क्रांतिकारी कदम है।

73वें संशोधन के जरिए संविधान में 'पंचायत' शीर्षक से एक नया खंड नौ जोड़ा गया। इसके साथ ही 11वीं अनुसूची भी बनाई गई जिसमें पंचायतों के कामकाज के दायरे में आने वाले 29 विषयों को शामिल किया गया। इस संशोधन के जरिए राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 को लागू किया गया। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सरकार ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगी और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करने के वास्ते जरूरी शक्तियां और अधिकार मुहैया कराएगी।

पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में कमजोर तबकों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आबादी में उनके अनुपात के बराबर आरक्षण दिया गया है। इस आरक्षण के अंदर कम-से-कम एक तिहाई सीटें इन्हीं समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अन्य पिछड़े तबकों के लिए आरक्षण के प्रतिशत का फैसला करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर कम-से-कम एक तिहाई सामान्य सीटें भी महिलाओं के लिए रखी गई हैं। लेकिन देश के कुल 29 में से 17 राज्य इससे आगे बढ़ कर पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर चुके हैं। उनके इस फैसले से महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण को काफी बल मिला है।

संविधान के खंड नौ को अनुसूचित जनजाति इलाकों में लागू करने के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) कानून को 1996 में लागू किया गया। इस कानून के मुताबिक पांचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गईं। इसमें व्यवस्था की गई कि तीनों स्तरों पर पंचायती राज संस्था का प्रमुख अनुसूचित जनजाति का होगा। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के बारे में हर कानून स्थानीय समुदाय की परंपराओं, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं तथा पारंपरिक प्रबंधन प्रणालियों के अनुरूप बनाया जाएगा।

भारत अब भी गांवों का देश है जहां हर 10 में से सात नागरिक ग्रामीण इलाकों में ही रहते हैं। संविधान के 73वें संशोधन का ग्रामीण भारत में सकारात्मक असर साफ देखा जा सकता है। ज्यादातर राज्यों में पंचायत के चुनाव नियमित तौर पर हो रहे हैं जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों के शक्ति संतुलन में बदलाव आया है। ढाई लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों, 6000 पंचायत समितियों और 500 जिला परिषदों के गठन से देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विस्तार हुआ है।

73वें संशोधन के जरिए संविधान में 'पंचायत' शीर्षक से एक नया खंड नौ जोड़ा गया। इसके साथ ही 11वीं अनुसूची भी बनाई गई जिसमें पंचायतों के कामकाज के दायरे में आने वाले 29 विषयों को शामिल किया गया। इस संशोधन के जरिए राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 को लागू किया गया। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सरकार ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगी और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करने के वास्ते जरूरी शक्तियां और अधिकार मुहैया कराएगी।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार हर पांच साल पर 31.5 लाख से ज्यादा जनप्रतिनिधि पंचायतों के स्तर पर चुने जा रहे हैं। इनमें से 13.5 लाख से अधिक महिलाएं तथा लगभग नौ लाख अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं। पंचायतों में 43 प्रतिशत महिलाओं तथा 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और 19-28 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन को एक तरह से लोकतांत्रिक क्रांति ही माना जा सकता है।

देश में पंचायतों में महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी हिमाचल प्रदेश (52.6 प्रतिशत) और मणिपुर (51 प्रतिशत) में है। पश्चिम बंगाल में 41.67 प्रतिशत, त्रिपुरा में 27.11 प्रतिशत और पंजाब में 25.79 प्रतिशत पंचायत सीटों पर अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि हैं। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण ने महिलाओं और अनुसूचित जातियों को राजनीतिक भागीदारी और फैसले करने की प्रक्रिया में हिस्सेदारी का अवसर दिलाया है। इन संस्थाओं से कमजोर तबकों की जिंदगियों में आए उत्साहवर्द्धक बदलावों में से कुछ इस प्रकार हैं-

1. सामाजिक सम्मानः देश के ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत तौर पर अनुसूचित जातियों की बस्तियां गांव के बाहर हुआ करती थीं। छुआछूत की कुप्रथा के पीड़ित इन अनुसूचित जातियों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। ऊंची जातियों के प्रभावशाली लोग इनका तरह-तरह से शोषण और दमन किया करते थे। समाज में अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं की हालत भी इनसे ज्यादा बेहतर नहीं थी। पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण ने इन तबकों को राजनीतिक अधिकार संपन्न बनाया है। अब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,

महिलाएं और अन्य पिछड़े समुदायों के लोग समाज के प्रभावशाली तबकों के साथ बैठ कर गांव, तहसील और जिले के विकास के लिए योजनाएं और कार्यक्रम बना रहे हैं। इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफा हुआ है। आपसी संपर्क की बदौलत उनके बारे में प्रभावशाली तबकों के नजरिए में भी बदलाव आ रहा है। जनप्रतिनिधि चुनी गईं महिलाओं को समाज के अलावा अपने परिवार में भी पहले से अधिक सम्मान और अधिकार मिल रहे हैं।

2. आर्थिक बेहतरी: देखा गया है कि कमजोर तबकों के जनप्रतिनिधि उस तरह की योजनाओं और कार्यक्रमों को तरजीह देते हैं जिनसे इन समुदायों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इनमें कृषि, भूमि सुधार, पशु और मछली पालन, सामाजिक वानिकी, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, खादी और ग्रामोद्योग तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के कल्याण से संबंधित कार्यक्रम प्रमुख हैं। इन कार्यक्रमों पर बेहतर ढंग से अमल से कमजोर तबकों की वित्तीय हालत में सुधार आ रहा है।

3. राजनीतिक सशक्तीकरण: कुछ दशक पहले तक समाज के कमजोर तबकों का राजनीति में दखल बेहद कम था। चुनाव लड़ना तो दूर की बात, अक्सर उन्हें वोट डालने से भी रोका जाता था। समाज पर वर्चस्व रखने वाली ताकतें उनका सियासी इस्तेमाल करती थीं। पंचायती राज व्यवस्था ने उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को जुबान देकर उन्हें सियासी तौर पर मजबूत बनाया है। अब वे उन ताकतों को चुनौती देने की स्थिति में आ गए हैं जो समाज में अपने दबदबे का इस्तेमाल कर उन्हें राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाने से रोक रही थीं।

4. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी: योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार और लागू करने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों और महिलाओं में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है। सदियों की उपेक्षा और प्रताड़ना ने उनके अंदर यह धारणा भर दी थी कि वे अपने फैसले खुद करने की काबिलियत नहीं रखते। लिहाजा वे अपनी छोटी-छोटी समस्याओं तक के हल के लिए प्रभावशाली तबकों पर निर्भर थे। गांव के दबंग लोग उनकी इस कमजोरी का फायदा उठा कर उन्हें उनके अधिकारों से महरूम रखते थे। लेकिन ग्रामीण प्रशासन में भागीदारी ने इन तबकों के हौसलों को मजबूती दी है। नतीजतन वे खुद को विकास के लाभों से दूर रखे जाने की साजिशों को समझ कर उनका विरोध भी करने लगे हैं।

लेकिन यह कहना पूरी तरह वाजिब नहीं होगा कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत सत्ता के विकेंद्रीकरण से गांवों की तस्वीर एकदम बदल गई है। वास्तव में अनुसूचित जातियों और जनजातियों और महिलाओं को अपने एक नए और सुनहरे भविष्य की मंजिल को हासिल करने की राह में तरह-तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। समाज के सामंती और पितृसत्तात्मक सोच के प्रभावशाली लोग जबरन और धोखे से हासिल अपने वर्चस्व को आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। चुनाव लड़ रहे कमजोर तबकों के लोगों को कई दफा इन विकृत सोच वाली शक्तियों के टकराव, हेराफेरी, शारीरिक हिंसा और उपहास का सामना करना पड़ता है। नीचे कुछ ऐसी समस्याओं का जिक्र किया गया है जो पंचायती राज संस्थाओं को सही मायनों में ग्रामीणों का प्रतिनिधि बनने से रोकती हैं।

> **देश में पंचायती राज संस्थाओं को सांवैधानिक दर्जा दिया जाना मौजूदा समय का सबसे बड़ा सामाजिक प्रयोग है। ऐसी संस्थाएं अपनी तमाम ताकतों और कमजोरियों के साथ बराबरी पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। इन्होंने बुनियादी स्तर तक योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण और उन पर अमल के लिए मंच मुहैया कराया है।**

1. खास तबकों का वर्चस्व: ग्रामीण समाज में जिन ऊंची जातियों का सदियों से प्रभाव रहा है वे अपने विशेषाधिकारों को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहतीं। इन जातियों के सदस्य लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अपने कब्जे को अपनी प्रतिष्ठा का आधार मानते हैं। सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत इन जातियों के लोगों को भय रहता है कि शोषित तबकों के प्रतिनिधि पंचायत का इस्तेमाल उनसे अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए करेंगे। प्रभावशाली तबकों के प्रतिनिधि अक्सर पंचायत के कामकाज में अनुसूचित जातियों के पदाधिकारियों के साथ सहयोग नहीं करते। उन्हें पंचायत के दस्तावेजों और बही-खातों को देखने से रोका जाता है। कई मामलों में तो अनुसूचित जातियों के सदस्यों को पंचायत के भवन में घुसने, उसकी कार्यवाही में हिस्सा लेने और कुर्सी पर बैठने तक से रोका गया है।

2. शिक्षा की कमी: ऊंची जातियों के पुरुषों की तुलना में महिलाओं, अनुसूचित जातियों व जनजातियों में शिक्षा का प्रसार कम रहा है। बेशक कमजोर तबकों के प्रतिनिधि अपने अनुभव की बदौलत गांवों की समस्याओं और जरूरतों को अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन शिक्षित नहीं होने के कारण उन्हें कार्यक्रम बनाने और लागू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अक्सर वे दस्तावेजों को पढ़े बिना ही उन पर दस्तखत कर देते हैं। कई दफा तो कोष के उपयोग की विस्तृत जानकारी दिए बिना ही उनसे कोरे चेक पर हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं।

3. प्रशासनिक दक्षता का अभाव: पारंपरिक तौर पर समाज में महिलाओं और अनुसूचित जातियों व जनजातियों का दर्जा शासित का रहा है। अंग्रेजों के जमाने से ही ताकतवर ऊंची जातियों के लोग उन पर राज करते रहे हैं। ऐसे में कमजोर तबकों में प्रशासनिक दक्षता का अभाव होना स्वाभाविक है। अनेक अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों को मालूम नहीं होता कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करें। लिहाजा इन तबकों के प्रतिनिधि पंचायत में अपने फैसले स्वतंत्र ढंग से नहीं कर पाते। वे निर्णयों के लिए प्रभावशाली लोगों पर निर्भर होते हैं। ऊंची जातियों के प्रभावशाली सदस्य इस स्थिति का फायदा उठा कर उनकी शक्तियों को हड़प लेते हैं।

4. सरकारी कर्मचारियों का असहयोग: चुनाव जीत जाने के बावजूद कमजोर तबकों के प्रतिनिधियों को अपने कामकाज के संचालन में अक्सर सरकारी कर्मचारियों के असहयोग का सामना करना पड़ता है। आम तौर पर अफसरशाही इन तबकों के प्रति पूर्वग्रह से ग्रस्त होती है। सरकारी अधिकारियों

को लगता है कि महिलाएं और अनुसूचित जातियों व जनजातियों पंचायत का कामकाज सुचारु ढंग से चलाने में असमर्थ हैं और इसलिए अफसरशाही इन तबकों के सदस्यों की उपेक्षा करती है।

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने और उनके कामकाज में कमजोर तबकों की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए जरूरी है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तरों पर कामकाज का स्पष्ट विभाजन किया जाए। पंचायतों को अपना काम बेहतर ढंग से करने के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। उन्हें विकास कार्यक्रम बनाने और लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन मुहैया कराए जाने चाहिये। केंद्र और राज्य सरकारों को पंचायती राज्य संस्थाओं में चुने गए कमजोर तबकों के अशिक्षित प्रतिनिधियों को शिक्षित करने और उनकी प्रशासनिक योग्यता बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाना चाहिए। इस काम में स्वयंसेवी संगठन भी सरकारी प्रयासों में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं।

ग्राम सभाएं पंचायती राज व्यवस्था में विचार-विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। लेकिन देखा गया है कि इनकी बैठकों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी बहुत कम रहती है। इसलिए ग्राम सभा की बैठकें वैसे समय की जानी चाहिए जब महिलाएं और कमजोर तबकों के सदस्य घर या रोज़गार के कामकाज में व्यस्त नहीं रहते हों। ग्राम सभा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए समय निकालने से उन्हें अगर कोई आर्थिक नुकसान होता है तो इसकी भरपाई की व्यवस्था करना एक अच्छा कदम होगा। पंचायत कार्यालयों में साम्प्रदायिक, जातीय और आर्थिक आधार पर कमजोर तबकों के साथ किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इसके साथ ही ऊंची जातियों के प्रतिनिधियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे ग्राम सभा की बैठकों में वंचित समुदायों के लोगों को अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका दें।

पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए कार्यक्रमों और विषयों से संबंधित सरकारी अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ सहयोग की जरूरत के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। उन्हें बताया जाना चाहिए कि पंचायती राज संस्थाओं में उनकी भूमिका निर्वाचित प्रतिनिधियों के सहायक की है। इस मकसद से उनके लिए देश, राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने की जरूरत है।

देश में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना मौजूदा समय का सबसे बड़ा सामाजिक प्रयोग है। ये संस्थाएं अपनी तमाम ताकतों और कमजोरियों के साथ बराबरी पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। इन्होंने बुनियादी स्तर तक योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण और उन पर अमल के लिए मंच मुहैया कराया है। इन संस्थाओं ने समाज के सबसे नीचे के पायदान पर खड़े समुदायों में शिक्षा और प्रशासनिक दक्षता का प्रसार कर उन्हें सामूहिक कोशिशों के जरिए अपने सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए काम करने का आत्मविश्वास दिया है। इन संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं की भागीदारी को और सार्थक बनाने की जरूरत है ताकि भारत को सही मायनों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित एक ऐसे आदर्श देश में तब्दील किया जा सके जिसमें सभी नागरिकों को बराबरी के अधिकार हासिल हों। ❑

YH-893/2018

क्या आप जानते हैं?

दिव्यांगों के लिए दिशा

दिशा 0-10 साल के आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों के लिए शुरुआती हस्तक्षेप और स्कूल की तैयारी से संबंधित योजना है। इसके तहत राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम के दायरे में चार तरह की शारीरिक अक्षमताओं को शामिल किया गया है। इस कानून के तहत स्वलीनता, प्रमस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक रूप से अल्प-विकसित और कई तरह की विकलांगता के शिकार लोगों के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट बनाया गया है।

राष्ट्रीय ट्रस्ट का मकसद इलाज, प्रशिक्षण और संबंधित परिवार के सदस्यों को सहयोग मुहैया कराने के जरिए दिव्यांगों को शुरुआती दौर में ही मदद के लिए दिशा केंद्र स्थापित करना है। इस योजना के तहत दिव्यांगों से जुड़ा कोई भी संस्थान, दिव्यांगों के पिता का कोई भी संस्थान या स्वैच्छिक संस्थान राष्ट्रीय ट्रस्ट के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इन्हें रजिस्टर्ड संस्थान (आरओ) के नाम से जाना जाता है।

राष्ट्रीय ट्रस्ट दिशा केंद्रों को निम्नलिखित तरीके से फंड मुहैया कराता है-

1. केंद्र स्थापित करने की लागत के रूप में

यह एक बार लागत मुहैया कराने का मामला है, जिसके तहत रजिस्टर्ड संस्थान को दिशा केंद्र स्थापित करने के लिए फंड दिया जाएगा। राष्ट्रीय ट्रस्ट से अनुदान के अलावा, रजिस्टर्ड संस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए अन्य साधनों से ग्रांट की व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र हैं। केंद्र के लिए अपनी पसंद की जगह से जरूरी उत्पाद और आइटम खरीदना रजिस्टर्ड संस्थानों का विशेषाधिकार होगा।

2. संचालित करने की लागत के तौर पर

स्थापना अवधि के बाद अधिकतम तीन महीने तक राष्ट्रीय ट्रस्ट द्वारा दिशा केंद्रों को इसे संचालित करने के लिए खर्च का भुगतान किया जाएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस खर्च का प्रावधान किया गया है कि रजिस्टर्ड संस्थानों के लिए पहले महीने में 20 दिव्यांगों का दाखिला मुश्किल होगा। इस तरह की लागत मुहैया कराने का फायदा यह है कि रजिस्टर्ड संस्थान बिना किसी दिक्कत के इसे चलाने में सक्षम होंगे और यह भी माना जाता है कि यह 3 महीने के भीतर स्थिर होने में सक्षम होगा।

3. मासिक आवर्ती लागत

राष्ट्रीय ट्रस्ट वैसे दिशा केंद्रों से जुड़े सभी दिव्यांगों के लिए मासिक लागत का भुगतान करता है, जो अपना कामकाज शुरू होने के पहले महीने से राष्ट्रीय ट्रस्ट की फंडिंग के लायक हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय ट्रस्ट के साथ रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्टर्ड संस्थानों को अपने दिशा केंद्रो में निम्नलिखित न्यूनतम सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए:

दिन में देखभाल (डे केयर)

रजिस्टर्ड संस्थानों को दिव्यांगों के लिए उम्र से जुड़ी गतिविधियों के साथ दिनभर में कम से कम चार घंटे की देखरख (सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के दौरान) मुहैया करानी चाहिए। डे केयर एक महीना में कम से कम 21 दिन खुला रहना चाहिए। राष्ट्रीय ट्रस्ट से दिव्यांगों को फंड मुहैया कराने के लिए दिशा केंद्र में दिव्यांगों की कम से कम 15 दिनों की उपस्थिति जरूरी है।

दिशा केंद्र के बैच की संख्या 20 दिव्यांग होती है और अधिकतम बैच की संख्या के 30 फीसदी अतिरिक्त दिव्यांगों यानी कुल 26 ऐसे लोगों को केंद्र में रखने की इजाजत होती है। 26 दिव्यांगों की अधिकतम सीमा पूरी होने के बाद दिशा केंद्र को किसी अन्य दिव्यांग का दाखिला देने की इजाजत नहीं होगी।

अगर रजिस्टर्ड संस्थानों के पास पर्याप्त संख्या में दिव्यांग हैं, तो वे नए दिशा केंद्र के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। रजिस्टर्ड संस्थानों को एलआईजी (बीपीएल समेत) और एलआईजी से ऊपर के दिव्यांगों के लिए 1:1 का अनुपात बरकरार रखना चाहिए। एलआईजी से ऊपर की सीटों के लिए रजिस्टर्ड संस्थानों द्वारा भुगतान माता-पिता, अभिभावक, परिवार के सदस्य, रजिस्टर्ड संस्थान या अन्य संस्थान आदि के द्वारा हासिल किया जा सकता है।

दिशा केंद्र में ज्यादा दिव्यांगों को हासिल करने में मदद के लिए रजिस्टर्ड संस्थानों को शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों और इस तरह के क्षेत्र के विशेषज्ञों के संपर्क में भी रहना चाहिए।

स्टाफ

दिशा केंद्र में विशेष प्रशिक्षक या थेरेपिस्ट के लिए प्रावधान होना चाहिए। सेंटर में दिव्यांगों के लिए देखभाल करने वाले और आया के साथ फिजियोथेरेपिस्ट या पेशेवर थेरेपिस्ट और काउंसेलर होना चाहिए। इन केंद्रों में फिजिकल ट्रेनर और स्पीच थेरेपिस्ट की भी मांग रहती है।

ढांचागत सुविधाएं

दिशा केंद्र में एक मेडिकल/एसेसमेंट रूम (इलाज संबंधी बुनियादी उपकरण के साथ), एक एक्टिविटी रूम और दिव्यांगों के आराम करने के लिए एक रूम का होना जरूरी है। इसमें ऑफिस संबंधी मकसदों, राष्ट्रीय ट्रस्ट को फंड के लिए अनुरोध भेजने, रिपोर्ट सौंपने आदि के लिए भी प्रावधान होना चाहिए।

परामर्श

दिव्यांग बच्चों के लिए माता-पिता या अभिभावक को खास तौर पर रोजाना की गतिविधियों के लिए काउंसेलिंग और मार्गदर्शन मुहैया कराना चाहिए और रजिस्टर्ड संस्थान को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि माता-पिता या अभिभावक काउंसेलिंग सेशन में हिस्सा लें। रजिस्टर्ड संस्था को मुख्य धारा के स्कूलों में आगे प्रवेश के लिए दिव्यांग बच्चों को सहायता मुहैया करानी चाहिए।

परिवहन सुविधाएं

रजिस्टर्ड दिव्यांगों को परिवहन की सुविधा भी दे सकते हैं, अगर यह दोनों के लिए पारस्परिक तौर पर उपयुक्त हो। राष्ट्रीय ट्रस्ट रजिस्टर्ड संस्थान को परिवहन के संबंध में अतिरिक्त लेकिन सीमित भत्ता मुहैया कराता है। यह भत्ता सिर्फ वैसे दिव्यांगों के लिए दिया जाता है, जो रजिस्टर्ड संस्थान द्वारा दी गई परिवहन सुविधाएं ले रहे हैं। ❑

अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सरकार के अहम कार्यक्रम

अनुसूचित जनजाति और अन्य वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) कानून, 2006

अनुसूचित जनजाति और अन्य वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) कानून, 2006 बनाने का मकसद जंगल में रह रहे अनुसूचित जनजातियों और बाकी पारंपरिक वनवासियों के जंगल से जुड़े अधिकारों और जंगली जमीन पर मौजूद उनकी रिहाइश को मान्यता देना था। ये लोग पीढ़ियों से इस जंगल में रहे थे, लेकिन उनके अधिकारों को मान्यता नहीं दी जा सकी थी। यह कानून न सिर्फ जंगल की जमीन पर नियंत्रण और उस पर रहने बल्कि कुछ अन्य अधिकार भी देता है, ताकि वन संसाधनों पर उनका नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। मसलन स्वामित्व का अधिकार, छोटे-मोटे जंगली उत्पादों के इस्तेमाल और इसे बेचने का अधिकार, सामुदायिक अधिकार, आदिम जनजातीय समूहों के लिए निवास अधिकार, वैसे किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की सुरक्षा, प्रबंधन या उसे फिर से पैदा करने का अधिकार, जिसका वे सतत इस्तेमाल के लिए पारंपरिक तौर पर संरक्षण करते रहे हैं।

जनजातीय समुदाय के विकास से जुड़े फंडों की निगरानी: एससीए टू टीएसएस

जनतीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए टू टीएसएस) भारत सरकार की तरफ से 100 फीसदी अनुदान का मामला है। इसका मकसद शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पानी की आपूर्ति, आजीविका, कौशल विकास, छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के लिए सहयोग मुहैया कराकर अनुसूचित जनजाति आबादी और अन्य के बीच की खाई को पाटना है। कुल 37 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के पास 'जनजातीय उपयोजना (टीएसपी)' फंड है, जो 298 योजनाओं के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में जनजातियों के विकास से जुड़ी जरूरतें पूरी करता है।

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधान के तहत अनुदान के तौर पर सहायता

यह भारत सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाने वाला 100 फीसदी अनुदान है। इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता का मकसद राज्यों को इस तरह की योजनाओं का खर्च वहन करने में सक्षम बनाना है, ताकि राज्य अनुसूचित जाति के कल्याण के मकसद की दिशा में बिना दिक्कत के आगे बढ़ सकें या जनजातीय समूह की आबादी वाले इलाके में प्रशासन का स्तर राज्य के बाकी इलाकों की तरह बेहतर किया जा सके। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराए जाते हैं।

छोटे-मोटे जंगली उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य: छोटे-मोटे जंगली उत्पाद (एमएफपी) अनूसूचित जनजाति समुदाय की आजीविका का प्रमुख जरिया है, जो समाज के सबसे गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। इस तबके लिए इन उत्पादों की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनजातीय समुदाय की बहुसंख्यक आबादी भोजन, चारा, दवा और नकदी आय के लिए इसी उत्पाद पर निर्भर है। इस गतिविधि के महिलाओं के वित्तीय सशक्तीकरण से भी संबंध है, क्योंकि इस तरह के उत्पादों को इकट्ठा करने और बेचने के काम में ज्यादातर महिलाएं ही हैं। एमएफपी क्षेत्र के जरिए देश में सालाना 1 करोड़ मानव दिवस रोज़गार पैदा करने की संभावना है। भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति द्वारा इकट्ठा किए गए एमएफपी का उचित मूल्य देने के लिए न्यूनतम समर्थम मूल्य (एमएसपी) के जरिए महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने का फैसला किया।

एमएसपी योजना में अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा इकट्ठा किए गए उत्पादों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने, खास कीमत पर खरीदारी का वादा, भंडारण, ढुलाई आदि के लिए तंत्र बनाने और संसाधनों की निरंतरता सुनिश्चित करने की बात है। शुरू में इस योजना में 9 राज्यों के 10 छोटे जंगली उत्पादों (एमएफपी) को शामिल किया गया। बाद में सभी राज्यों तक इसका दायरा बढ़ाते हुए

इसमें 24 एमएफपी को शामिल कर लिया गया। इस योजना में एमएफपी इकट्ठा करने वाले आदिवासियों को उत्पादों के विपणन की सुविधा मुहैया कराने समेत इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण देने की भी बात है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का सतत तरीके से अधिकतम इस्तेमाल किया जा सके।

खास तौर पर कमजोर अनसूचित जनजाति समूहों (पीवीटीजी) का विकास

अनुसूचित जनजाति मामलों का मंत्रालय 'पीवीटीजी के विकास' नाम से योजना चला रहा है, जिसके तहत 18 राज्यों/अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौजूद जनजातीय समूहों के बीच पहचान किए गए 75 पीवीटीजी को शामिल किया गया है। यह लचीली योजना है और इसमें आवास, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशुपालन, लिंक सड़कों के निर्माण, बिजली मुहैया कराने के मकसद से ऊर्जा के गैर-परंपरागत साधनों की स्थापना, जयश्री बीमा योजना समेत सामाजिक सुरक्षा और पीवीटीजी के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के मकसद से कई अन्य इनोवेटिव गतिविधि के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

शिक्षा संबंधी कार्यक्रम

अनुसूचित जनजाति मामलों का मंत्रालय इस समुदाय के जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को प्री-मैट्रिक और मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति की सुविधा देता है। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का मकसद नौवीं और दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं के माता-पिता को सहारा देना, ताकि स्कूल छोड़ने के मामलों में कमी आ सके, खास तौर पर प्राथमिक से माध्यमिक स्तर में स्कूल बदलने के वक्त और माध्यमिक शिक्षा के दौर मे मदद मुहैया कराई जा सके। मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति का मकसद मैट्रिक या माध्यमिक शिक्षा के बाद अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मुहैया कराना है।

उच्च्य शिक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मदद

अनुसूचित जनजाति मामलों का मंत्रालय इंजीनियरिंग, सूचना प्रोद्यौगिकी आदि क्षेत्रों में ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देता है। 'अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और स्कॉलरशिप' योजना के तहत तय किए गए बेहतर संस्थानों में पढ़ने के लिए यह छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों और संबंधित संस्थानों को दी जाती है।

एनएसटीएफडीसी/एसटीएफडीसी को समान सहायता

यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसके तहत केंद्र सरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) को अनुसूचित जनजाति मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों के राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों (एसटीएफडीसी) के तहत मदद मुहैया कराती है। एसटीएफडीसी को केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं के तहत उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से मदद दी जाती है। आय पैदा करने से जुड़ी तमाम तरह की व्यावाहिरक गतिविधियों के लिए निगम की तरह से वित्तीय मदद मुहैया कराई जाती है। एनएसटीएफडीसी द्वारा मंजूर कुछ योजनाएं इस तरह हैं: (1) डेयरी, पोल्ट्री, पंपसेट/लघु सिंचाई , बकरी पालन, बागवानी आदि। (2) बांस फर्नीचर निर्माण इकाई , आटा व चावल मिल इकाई, डेटा प्रोसेसिंग, सेवा क्षेत्र के तहत टेंट हाउस आदि, (3) परिवहन क्षेत्र के तहत ऑटो रिक्शा, माल ढोने वाले वाहन आदि। ❑

CHANAKYA
IAS ACADEMY
CHANAKYA
IAS ACADEMY
SINCE-1993
A Unit of CHANAKYA ACADEMY FOR EDUCATION AND TRAINING PVT. LTD.
Under the direction of Success Guru AK MISHRA
25 Years of Excellence, Extraordinary Results every year,
4000+ Selections in IAS, IFS, IPS and other Civil Services so far...
Our Successful Candidates in CSE-2017
5 IN TOP 10
11 IN TOP 20
42 IN TOP 100
Total 355+ Selections
RANK- 4
RANK- 6
RANK- 7
RANK- 8
RANK- 9
IAS 2019
UPGRADED FOUNDATION COURSE
A complete solution for Prelims, Mains & Interview
BATCH DATES: 10th July, 10th August, 10th September
Weekend Batches Also Available
हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध
NORTH DELHI BRANCH: 1596, Ground Floor, Outram Lines, Kingsway Camp, Opp. Sewa Kutir Bus Stand, Near GTB Nagar Metro Station Gate No.2, Delhi-09, Ph: 011-27607721, 9811671844/ 45
SOUTH DELHI BRANCH/HO: 124, 2nd Floor, Satya Niketan, Opp. Venkateswara College, Next to South Campus Metro Station, Gate No. 1, Delhi-21, Ph: 011-26113825, 9971989980/ 81
www.chanakyaiasacademy.com
Our Branches
Allahabad: 9721352333 | Ahmedabad: 7574824916 | Bhubaneswar: 9078878233 | Chandigarh: 8288005466 | Dhanbad: 9113423955
Guwahati: 8811092481 | Hazaribagh: 9771869233 | Indore: 9522269321 | Jammu: 8715823063 | Jaipur: 9680423137
Kochi: 7561829999 | Mangaluru: 7022350035 | Patna: 8252248158 | Pune: 9112264446 | Ranchi: 8294571757

YH-823/4/2018

महिलाओं का सशक्तीकरण

महिला और बाल विकास मंत्रालय महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए देशभर में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। इन कार्यक्रमों का ब्यौरा इस तरह है:

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), घटते लिंगानुपात की समस्या से निपटने और महिलाओं के सशक्तीरण के लिए इसके तहत व्यापक अभियान पर काम किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाी) गर्भवती और शिशुओं की देखभाल में जुटे महिलाओं को नकदी मुहैया कराकर उनके बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए गुंजाइश बनाती है। इसे पहले मातृत्व लाभ कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था।
- किशोरियों के लिए योजना का मकसद 11-18 आयु वर्ग की लड़कियों का सशक्तीकरण और पोषण, घरेलू कौशल और व्यावसायिक शिक्षा के जरिए उनकी सामाजिक हैसियत को बढ़ावा देना है।
- प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना- इसका मकसद ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए छात्रा वॉलिंटयर्स की सहभागिता के जरिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है
- राष्ट्रीय क्रेच योजना का मकसद कामकाजी महिलाओं के 6 महीने से 6 साल आयु समूह के बच्चों को डे केयर (दिन में देखभाल) सुविधाएं मुहैया कराना है।
- राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) का लक्ष्य गरीब महिलाओं को आजीविका संबंधी सहयोग और आय पैदा करने संबंधी गतिविधियों की खातिर आसान शर्तों के साथ छोटे स्तर पर कर्ज मुहैया कराना है, ताकि उनका सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके।
- बेसहारा और परेशानी में फंसी महिलाओं को राहत और पुनर्वास मुहैया कराने के लिए स्वाधार गृह।
- महिलाओं की तस्करी रोकने, पुनर्वास और देह व्यापार के मकसद से तस्करी की शिकार बनीं महिलाओं को फिर से सहारा देने के लिए उज्ज्वला योजना।
- घर से दूर रहकर काम करने वाली महिलाओं की रिहाइश और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कामकाजी महिला छात्रावास।
- इस योजना के तहत पिछले तीन साल में 2 नए प्रस्ताव और हिमाचल प्रदेश में 2 मंजूरियां हासिल हुई हैं।
- हिंसा से प्रभवित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) और महिला हेल्पलाइन योजना को लागू किया जा रहा है। इसके तहत इलाज संबंधी मदद, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता/केस प्रबंधन, मनोवैज्ञानिक काउंसेलिंग और तात्कालिक सहयोग सेवाएं दिए जाने की बात है।
- जेंडर बजटिंग योजना को नियोजन, बजटीय तैयारी, कार्यान्वयन, असर के मूल्यांकन व नीति/कार्यक्रम की समीक्षा और आवंटनों के विभिन्न चरणों में लैंगिक नजरिए को मुख्यधारा में लाने के औजार के तौर पर लागू किया गया है। यह योजना संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और संबंधित अलग-अलग पक्षों के प्रशिक्षण में मदद करती है, ताकि लैंगिक चिंताओं को केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर मुख्यधारा में लाया जा सके। ❑

1,16,00,000
से अधिक गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच

80,00,000
से अधिक गर्भवती महिलाओं को रोगों से बचाव के टीके लगाए गए

50,00,000
से अधिक महिलाओं को प्रति वर्ष नकदी लाभ पहुंचने की आशा

6,00,000
से अधिक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान - मां और शिशु के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना

- 12,900 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 1.16 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई
- 6 लाख से अधिक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान की गई

पिछले 10 वर्षों से IAS टॉपर्स देने की परम्परा को जारी रखते हुए

अमित कुमार सिंह के निर्देशन मे इस वर्ष भी 28 चयन

मूलतः हिन्दी माध्यम में पढ़ाने वाला यह एकमात्र संस्थान है, जिसकी कक्षाओं की गुणवत्ता इतनी बेहतर है कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी भी हमारी कक्षाओं में सम्मिलित होते हैं।

Chief Mentor
Amit Kumar Singh

हमारे टॉपर्स

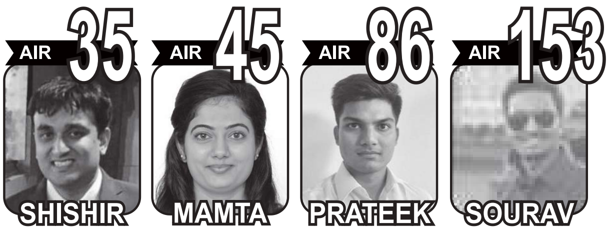

AIR 35 SHISHIR · AIR 45 MAMTA · AIR 86 PRATEEK · AIR 153 SOURAV

क्या कहते हैं टॉपर्स हमारे शिक्षक के बारे में

Ethics and essay classes of Amit Sir has helped me in this preparation so i am very thankful to him for his valuable guidance.
Mamta
CSE, 2017
AIR - 45

MAMTA
AIR & 45

I found Amit Sir's way of teaching very good for Ethics paper. He explains the theoretical concepts in a practical way and discussions in his interactive classes can help develop a good approach for this paper particularly for case studies.
Prateek Jain
CSE 2017
- AIR 86

PRATEEK JAIN
AIR & 86

Free Q.I.P. Class for MAINS STUDENTS

PHILOSOPHY
12th Aug at 1 pm

ETHICS (GS-IV)
12th Aug at 6.30 pm

ONLY DELHI

NEW BATCH START

PHILOSOPHY 16th Aug at 3.30 pm

ONLY DELHI

ESSAY 16th Aug at 6.30 pm

Ethics & Philosophy Test Series Starts

PCS (G.S.) टारगेट बैच (इलाहाबाद केन्द्र)

बैच प्रारंभ 23 अगस्त

मुख्य मार्गदर्शन अमित कुमार सिंह के निर्देशन में प्रारम्भ

• नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरूचि	अमित कुमार सिंह
• भारतीय संविधान, राजव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंध	डॉ. रजवन्त सिंह, रवि प्रकाश डॉ. आदर्श कुमार (ले.वि. T.M.H)
• भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	आदित्य पटेल (Selected UPSC 2016) मनोज कुमार मिश्रा
• इतिहास कला एवं संस्कृति	राजीव सिन्हा (J.N.U.) संदीप कुमार (Selected UPSC 2017) शान्तनु राय, सुखदेव (DU)
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	आदित्य पटेल (Selected UPSC 2016) एम.के. रेजा
• अर्थव्यवस्था	योगेश त्रिपाठी

G.S. माड्यूल (दिल्ली केन्द्र)

भूगोल, आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी
द्वारा आदित्य पटेल

बैच प्रारंभ 8.30 am

भारतीय राजव्यवस्था, आन्तरिक सुरक्षा, गवर्नेंस
द्वारा डॉ. आदर्श कुमार
(लेखक भारतीय राजव्यवस्था, T.M.H.)
एवं रवि प्रकाश

बैच प्रारंभ 10.30 am

IGNITED MINDS
A Premier Institute for IAS/PCS

IM — IGNITING HUMAN MINDS · IGNITED MINDS

DELHI CENTER (HQ)
A-2, 1st Floor, Comm. Comp. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
011-27654704, 9643760414, 8744082373

KANPUR CENTER
COMING SOON
9793022444

ALLAHABAD CENTER
H-1, 1st Floor, Ram Mohan Plaza, Madho Kunj, Katra
9389376518, 9793022444, 0532-2642251

www.ignitedmindscs.com

YH-840/3/2018

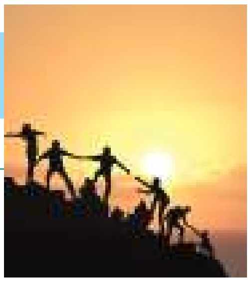

घर से बाहर तक सुरक्षा के कानून

अनुषा पुनिया
रीटा गोयल

हमारे समाज में महिलाएं शिक्षित होने के बावजूद अपने कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, सभी शिक्षित या अशिक्षित महिलाएं नहीं पर हां भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है

नारी समाज की एक अभिन्न अंग है। अतीत से ही नारी का समाज में सर्वोपरि स्थान रहा है। महिलाएं माता, पत्नी एवं बहन के रूप में सृष्टि की रचना करती हैं, उन्हें सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं का विशिष्ट स्थान रहा है।

महिला अधिकारों का हनन और कानून

सामाजिक तौर पर महिलाओं को त्याग, सहनशीलता व शर्मीलेपन का ताज पहनाया गया है, जिसके भार से दबी महिलाएं कई बार जानकारी होते हुए भी इन कानूनों का उपयोग नहीं कर पातीं तो बहुत मामलों में महिलाओं को पता ही नहीं होता कि उनके साथ हो रही घटनाएं हिंसा हैं और इससे बचाव के लिए कोई कानून भी है। आमतौर पर शारीरिक प्रताड़ना यानी मारपीट और जान से मारना आदि को ही हिंसा माना जाता है और इसके लिए रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाती है। इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा की गई क्रूरता, जिसके अंतर्गत मारपीट से लेकर कैद में रखना, खाना न देना व दहेज के लिए प्रताड़ित करना आदि आता है, के तहत अपराधियों को तीन वर्ष तक की सजा दी जा सकती है, पर शारीरिक प्रताड़ना की तुलना में महिलाओं के साथ मानसिक प्रताड़ना के मामले ज्यादा होते हैं।

हमारे समाज में महिलाएं शिक्षित होने के बावजूद अपने कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, सभी शिक्षित या अशिक्षित महिलाएं नहीं पर हां भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। आइए महिलाओं के अधिकारों से जुड़े विभिन्न कानूनी पहलुओं के बारे में जानें–

महिलाओं के कानूनी अधिकार

घरेलू हिंसा (2005) : घरेलू हिंसा अधिनियम का निर्माण 2005 में किया गया और 26 अक्टूबर 2006 से इसे लागू किया गया। यह अधिनियम महिला बाल विकास द्वारा ही संचालित किया जाता है। शहर में महिला बाल विकास द्वारा जोन के अनुसार आठ संरक्षण अधिकारी नियुक्ति किए गए हैं। जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शिकायत सुनते हैं और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद प्रकरण को न्यायालय भेजा जाता है। कानून ऐसी महिलाओं के लिए है जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी किस्म की हिंसा से पीड़ित हैं। इसमें अपशब्द कहे जाने, किसी प्रकार की रोक-टोक करने और मारपीट करना आदि प्रताड़ना के प्रकार शामिल है। इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के हर रूप मां, भाभी, बहन, पत्नी और किशोरियों से संबंधित प्रकरणों को शामिल किया जाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्रताड़ित महिला किसी भी वयस्क पुरुष को अभियोजित कर सकती है अर्थात् उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करा सकती है।

यौन प्रताड़ना से मुक्ति : यौन प्रताड़ना, छेड़छाड़ या फिर बलात्कार जैसे वारदातों के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ इस तरह के घिनौने अपराध करने वालों को सख्त सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत छेड़छाड़ के मामलों को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। इसके तहत आईपीसी की धारा-354 को कई सब सेक्शन में रखा गया है। 354-ए

दोनों लेखिकाएं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के विस्तार शिक्षा एवं संचार प्रबंधन विभाग में शोधार्थी हैं। ईमेल: anushapunia@gmail.com

के तहत प्रावधान है कि सेक्शुअल नेचर का कॉन्टैक्ट करना, सेक्शुअल फेवर मांगना आदि छेड़छाड़ के दायरे में आएगा। इसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम तीन साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। अगर कोई शख्स किसी महिला पर सेक्शुअल कॉमेंट करता है तो एक साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। 354-बी के तहत अगर कोई शख्स महिला की इज्जत के साथ खेलने के लिए जबरदस्ती करता है या फिर उसके कपड़े उतारता है या इसके लिए मजबूर करता है तो तीन साल से लेकर सात साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। 354-सी के तहत प्रावधान है कि अगर कोई शख्स किसी महिला के प्राइवेट ऐक्ट की तस्वीर लेता है और उसे लोगों में फैलाता है तो ऐसे मामले में एक साल से तीन साल की सजा का प्रावधान है।

कार्य क्षेत्र पर भी महिलाओं को तमाम तरह के अधिकार मिले हुए हैं। यौन प्रताड़ना से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा जजमेंट के तहत गाइडलाइंस तय की थीं। इसके तहत महिलाओं को सुरक्षित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की यह गाइडलाइंस तमाम सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में लागू है। इसके तहत एंप्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वह गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने बारह गाइडलाइंस बनाए हैं। एंप्लॉयर या अन्य जिम्मेदार अधिकारी की ड्यूटी है कि वह यौन प्रताड़ना को रोके। यौन प्रताड़ना के दायरे में छेड़छाड़, गलत नीयत से छूना, सेक्शुअल फेवर की डिमांड या आग्रह करना, अन्य तरह से आपत्तिजनक व्यवहार करना या फिर इशारा करना आता है। इन मामलों के अलावा, कोई ऐसा ऐक्ट जो आईपीसी के तहत अपराध है, की शिकायत महिलाकर्मी द्वारा की जाती है, तो एंप्लॉयर की ड्यूटी है कि वह इस मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित अथॉरिटी को शिकायत करे। कानून इस बात को सुनिश्चित करता है कि पीड़िता अपने दफ्तर में किसी भी तरह से पीड़ित-शोषित नहीं होगी। इस तरह की कोई भी हरकत दुर्व्यवहार के दायरे में होगी और इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। प्रत्येक दफ्तर में एक शिकायत कमिटी होगी, जिसकी चीफ महिला होगी। कमिटी में महिलाओं की संख्या आधे से ज्यादा होगी। इतना ही नहीं, हर दफ्तर को साल भर में आई ऐसी शिकायतों और कार्रवाई के बारे में सरकार को रिपोर्ट करना होगा।

मातृत्व अवकाश का अधिकार: संविधान के अनुच्छेद-42 के तहत कामकाजी महिलाओं को तमाम अधिकार दिए गए हैं। संसद ने 1961 में यह कानून बनाया था। इसके तहत कोई भी महिला अगर सरकारी नौकरी में है या फिर किसी फैक्ट्री में या किसी अन्य प्राइवेट संस्था में, जिसकी स्थापना इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट 1948 के तहत हुई हो, में काम करती है तो उसे मेटरनिटी लाभ मिलेगा। इसके तहत महिला को बारह हफ्ते का मातृत्व अवकाश है जिसे वह अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकती है। इस दौरान महिला को वही वेतन और भत्ता दिया जाएगा जो उसे आखिरी बार दिया गया था। अगर महिला का गर्भपात हो जाता है तो भी उसे इस ऐक्ट का लाभ मिलेगा। इस कानून के तहत यह प्रावधान है कि अगर महिला गर्भावस्था के कारण या फिर वक्त से पहले बच्चे का जन्म होता है या फिर गर्भपात हो जाता है और इन कारणों से अगर महिला बीमार होती है तो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसे एक महीने का अतिरिक्त अवकाश मिल सकता है। इस दौरान भी उसे तमाम वेतन और भत्ते मिलते रहेंगे।

स्त्रीधन पर महिला का अधिकार : स्त्रीधन वह धन है जो महिला को शादी के वक्त उपहार के तौर पर मिलते हैं। इन पर लड़की का पूरा हक माना जाता है। इसके अलावा, वर-वधू को कॉमन यूज की तमाम चीजें दी जाती हैं, ये भी स्त्रीधन के दायरे में आती हैं। स्त्रीधन पर लड़की का पूरा अधिकार होता है। अगर ससुराल ने महिला का स्त्रीधन अपने पास रख लिया है तो महिला इसके खिलाफ आईपीसी की धारा-406 (अमानत में खयानत) की भी शिकायत कर सकती है। इसके तहत कोर्ट के आदेश से महिला को अपना स्त्रीधन वापस मिल सकता है।

जमीन जायदाद से जुड़े अधिकार : विवाहित या अविवाहित महिलाओं को अपने पिता की संपति में बराबर का हिस्सा पाने का हक है। इसके अलावा विधवा बहु अपने ससुर से गुजाराभत्ता व संपत्ति में हिस्सा पाने की भी हकदार है। हिन्दू मैरेज एक्ट 1955 के सेक्शन 27 के तहत पति और पत्नी दोनों की जितनी भी संपत्ति है, उसके बंटवारे की भी मांग पत्नी कर सकती है। इसके अलावा पत्नी के अपने 'स्त्री-धन' पर भी उसका पूरा अधिकार रहता है। 1954 के हिन्दू मैरेज एक्ट में महिलाएं संपत्ति में बंटवारे की मांग नहीं कर सकती थीं, लेकिन अब कापार्सोनरी राइट के तहत उन्हें अपने दादाजी या अपने पुरखों द्वारा अर्जित संपत्ति में से भी अपना हिस्सा पाने का पूरा अधिकार है। यह कानून सभी राज्यों में लागू हो चुका है।

नौकरी/स्वव्यवसाय करने का अधिकार : संविधान के अनुच्छेद 16 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि हर वयस्क लड़की व हर महिला को कामकाज के बदले वेतन प्राप्त करने का अधिकार पुरुषों के बराबर है। केवल महिला होने के नाते रोज़गार से वंचित करना, किसी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करना लैंगिक भेदभाव माना जाएगा।

अपराध की धारा/सजा

- अपहरण, भगाना या औरत को शादी के लिए मजबूर करना - धारा 366 - 10 वर्ष।
- पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना - धारा 494 - 7 वर्ष।
- पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता - धारा 498ए - 3 वर्ष।
- बेइज्जती करना, झूठे आरोप लगाना - धारा 499 - 2 वर्ष।
- दहेज - धारा 304क - आजीवन कारावास।
- दहेज मृत्यु - धारा 304ख - आजीवन कारावास।
- आत्महत्या के लिए दबाव बनाना - धारा 306 - 10 वर्ष।
- सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गीत गाना - धारा 294 - 3 माह कैद या जुर्माना या दोनों।
- महिला की शालीनता भंग करने की मंशा से की गई अश्लील हरकत - धारा 354 - 2 वर्ष।
- महिला के साथ अश्लील हरकत करना या अपशब्द कहना - धारा 509 - 1 वर्ष।
- बलात्कार - धारा 376 - 10 वर्ष की सजा या उम्रकैद।
- महिला की सहमति के बगैर गर्भपात कराना - धारा 313 - आजीवन कारावास या 10 वर्ष कैद / जुर्माना। ❑

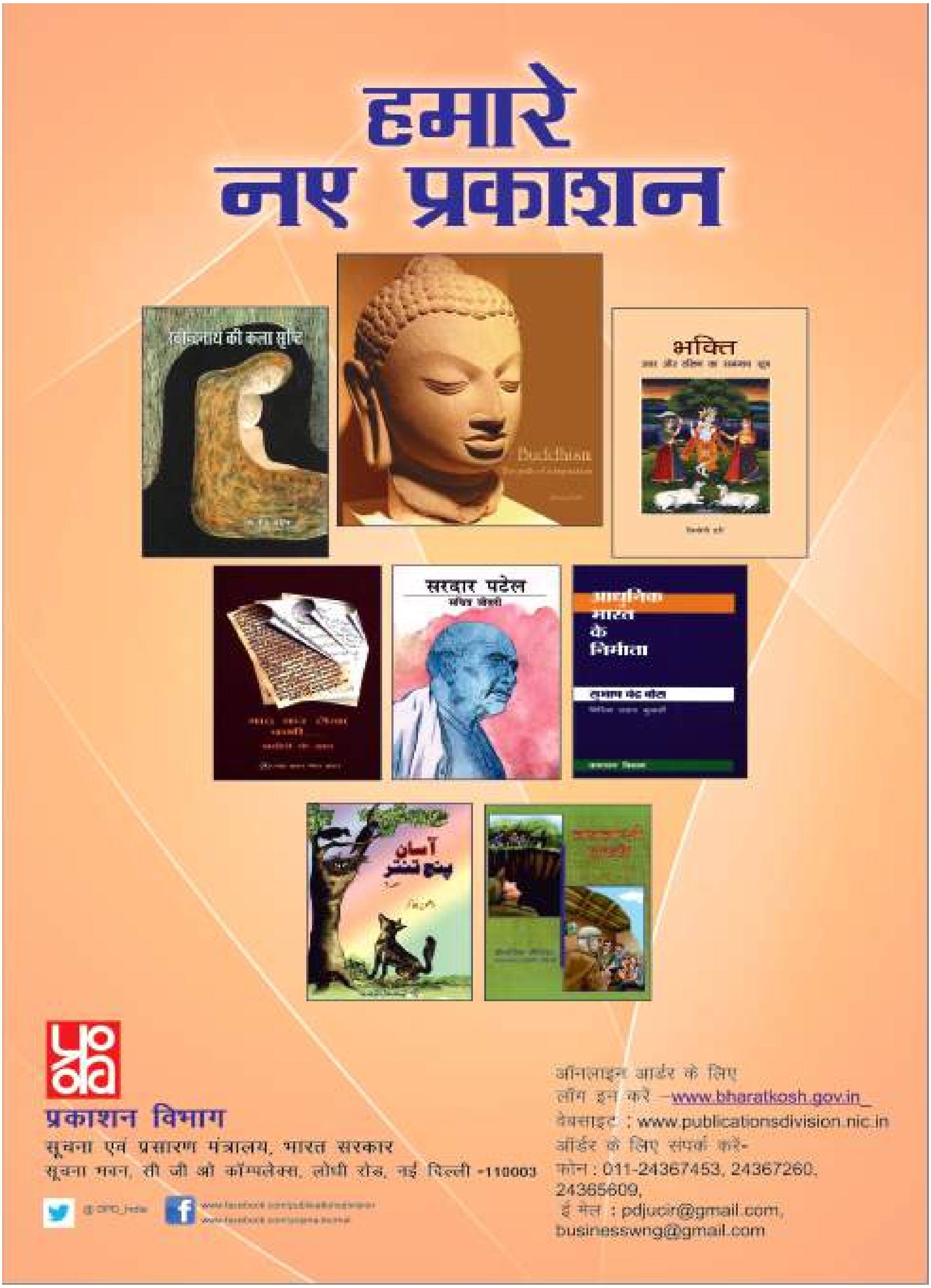
हमारे नए प्रकाशन
रवीन्द्रनाथ की कला सृष्टि
Buddhism
भक्ति
सरदार पटेल
आधुनिक भारत के निर्माता
आसान पंचतन्त्र
प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003
ऑनलाइन आर्डर के लिए
लॉग इन करें -www.bharatkosh.gov.in
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in
ऑर्डर के लिए संपर्क करें-
फोन : 011-24367453, 24367260, 24365609,
ई मेल : pdjucir@gmail.com, businesswng@gmail.com

प्रधानमंत्री ने 'एम्स' में कई स्वास्थ्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 'एम्स' दिल्ली में 29 जून, 2018 को विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं की शुरूआत करते हुए। साथ में हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे पी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे और अनुप्रिया पटेल सहित कई गणमान्य लोग।

प्रधानमंत्री ने 'एम्स' में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं की शुरूआत की। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में राष्ट्रीय वृद्धजन केंद्र की आधारशिला रखी। इस केंद्र में बुजुर्गों के लिए मल्टी स्पेशिएलिटी स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधाएं होंगी। इसके जनरल वार्ड में 200 बिस्तर होंगे। प्रधानमंत्री ने इसी कार्यक्रम के दौरान सफदरजंग अस्पताल में 555 बिस्तर के सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक का भी उद्घाटन किया। उन्होंने सफदरजंग अस्पताल में 500 नए बिस्तर के नए आपातकालीन ब्लॉक, एम्स में 300 बिस्तर के पावरग्रिड विश्राम सदन और एम्स, अंसारी नगर और ट्रॉमा सेंटर के बीच संपर्क सुरंग भी राष्ट्र को समर्पित किया।

इस मौके पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किफायती स्वास्थ्य देखभाल और रोगों की रोकथाम को सरकार के एजेंडे में प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस तरह की सुविधाएं देश के दुर्गम इलाकों के लोगों को भी मिले। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय वृद्धजन केंद्र बुजुर्ग आबादी की ठीक से देखभाल करेगा और जेरियाट्रिक दवा और संबंधित विशिष्टताओं के क्षेत्र में शोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय को भी शामिल किया गया है।

एम्स, अंसारी नगर और ट्रामा सेंटर के बीच संपर्क सुरंग निर्माण के साथ 300 बिस्तरों वाला पावरग्रिड विश्राम सदन भी बनाया गया ताकि 'एम्स' और ट्रॉमा में आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को रात को ठहरने में सहुलियत हो।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 2025 तक तपेदिक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, जो 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पहले है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि देश का चिकित्सा क्षेत्र यह लक्ष्य हासिल कर लेगा। ❑